खण्ड-264, अंक-4
गुरूवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(10 मार्च, 1966 ई0)

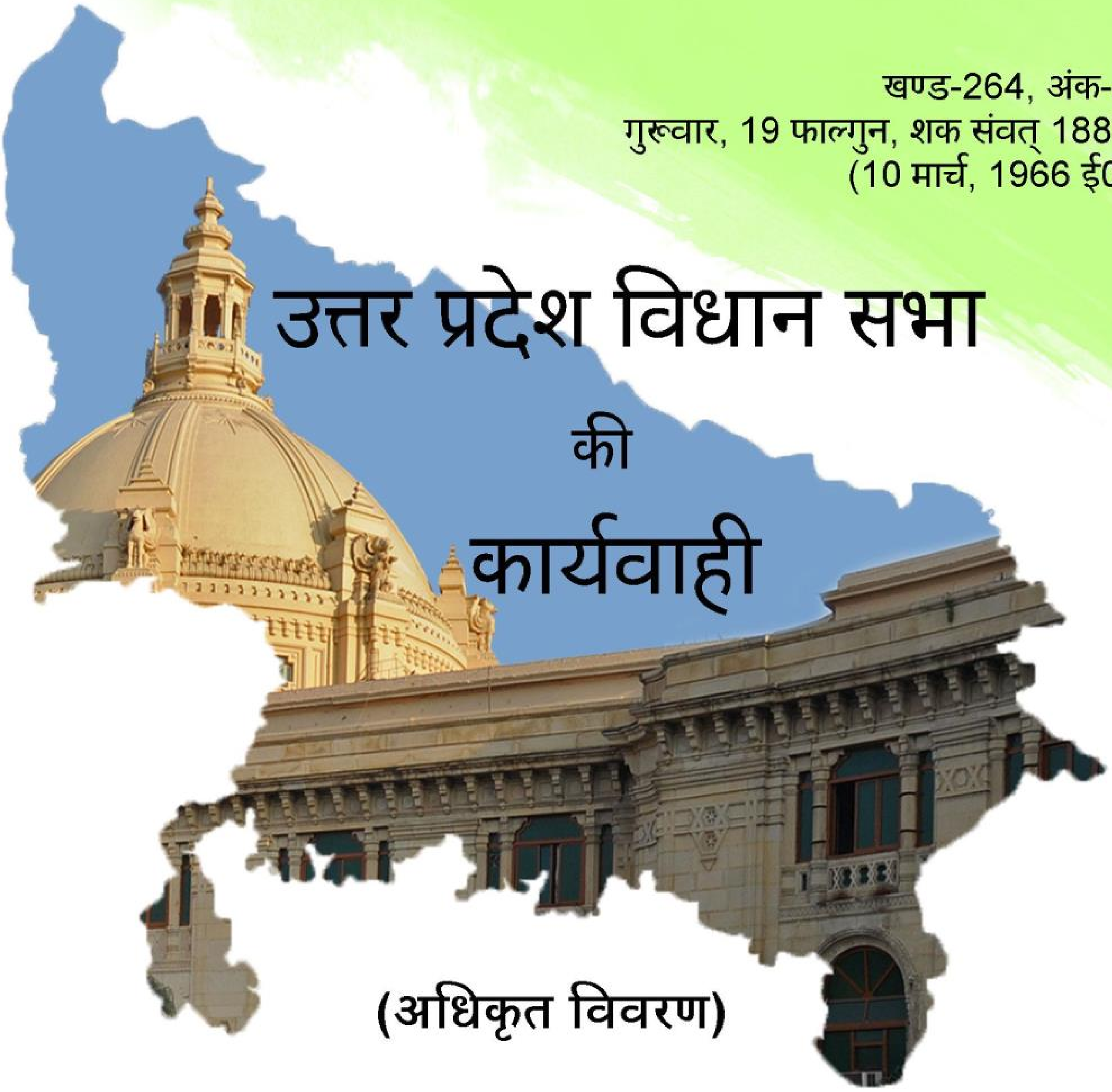

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 264 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १० मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४०

अभयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभानराय, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काजी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउरहमान, श्री उपनाम (बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवल कशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खांन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुट बिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीर राम, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शिवपूजनसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनारायणसिंह श्री
शिवमंगल श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल श्री, (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल जुलिया, श्री

हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मंत्री, श्री हर गोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, गृह उपमंत्री श्री शिव प्रसाद गुप्त तथा जिला उप मंत्री डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १० मार्च, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

भटनी चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय

*१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया की भटनी चीनी मिल के मैनेजर ने सुताबर, खुखुन्दू और मेहेन क्रय केन्द्रों से गन्ना खरीदना बन्द कर दिया है और ऐसा करने से लगभग तीन लाख मन गन्ने के सूख जाने की सम्भावना आ खड़ी हुई है और साथ ही दूसरी चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीदने के लिये तैयार होने पर भी बेचने नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार दो तिहाई सीजन बेला की समाप्ति के बाद उक्त गन्ने के पेराई की तत्काल क्या व्यवस्था कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

प्राप्त सूचनानुसार भटनी चीनी मिल द्वारा निर्दिष्ट क्रय केन्द्रों से गन्ने की खरीद की जा रही है और इस मिल द्वारा उक्त क्रय केन्द्रों पर जितना गन्ना ८—२—६६ तक खरीदा गया उसके आंकड़े संलग्न तालिका 'क' में दिये हुये हैं। आशा है शेष उपलब्ध गन्ने की खपत यथा समय हो सकेगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६३ पर)

*२—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया की खड्डा चीनी मिल पिछले सालों की भांति १८ से २० हजार मन प्रति दिन गन्ना पेरने के स्थान पर इस साल १० से १२ हजार मन प्रति दिन गन्ना पेर रही है? यदि हां, तो दो तिहाई सीजन बेला की समाप्ति के बाद उस जोन के ४० लाख मन गन्ने की पेराई की क्या तत्काल व्यवस्था कर रही है ? और कम गन्ना पेरने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

प्राप्त सूचनानुसार सीजन आरम्भ होने से पूर्व इस मिल की ठीक तरह मरम्मत व सफाई न हो सकने के कारण गत वर्षों की अपेक्षा चालू सीजन में इस मिल की पेराई लगभग ३,००० मन दैनिक औसत से कम रही है । इस क्षेत्र में उपलब्ध ३४ लाख मन गन्ने की पेराई के लिये अन्य पड़ोसी मिलों को डाइवर्ट किये गये गन्ने का वितरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है । इस प्रकार खडडा मिल के लिये १८.७५ लाख मन गन्ना उपलब्ध रहा जिसमें से ९-२-६६ तक ६.६४ लाख मन गन्ना पेरा जा चुका है और शेष १२.११ लाख मन गन्ने की खपत आजकल की १४,०००-१५ ००० मन प्रतिदिन औसत पेराई के आधार पर मई के पहिले दूसरे सप्ताह तक हो जाने की आशा की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. २६३ पर)

*३---श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बबेरू में छात्रों और पुलिस के बीच दंगा

*४---श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ फरवरी, १९६६ को बांदा जिले के बबेरू नामक स्थान पर पुलिस द्वारा छात्रों को क्यों पीटा गया ?

*५---क्या सरकार के पास इस घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है यदि हां तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

दिनांक १३-२-६६ को जब कुछ अभियुक्तों को बांदा जेल में दाखिल करने हेतु ले जाने के लिये कुछ सिपाही बबेरू के बस स्टैन्ड पर प्रतीक्षा कर रहे थे, एक छात्र वहां आकर अभियुक्तों से बात चीत करने लगा । मना करने पर जब वह न माना और सिपाही को गाली देने लगा तो उसे हटाने तथा गाली गलौज करने से रोकने के लिये सिपाही ने डंडा मारा जिस पर उक्त छात्र वहां से चला गया । उसी दिन रात में १० बजे कुछ छात्रों द्वारा सिपाहियों पर आक्रमण किया गया जिसके फलस्वरूप एक सिपाही को चोटें आईं । इस संबंध में मुकदमा कायम हुआ और जांच की जा रही है ।

श्री मतोलासिंह---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि रात्रि को शिरोमन बाड़े में नौटंकी हो रही थी तो वहां थानेदार साहब अपनी टोली के साथ मय बंदूकों के गये और बंदूकें तानकर कहा कि अगर स्कूल के लड़के हों तो निकाल दीजिये, उनको हम मारेंगे ? क्या यह सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, यह जानकारी नहीं है बल्कि यह सूचना है कि जब सिपाही खाना खा रहा था तो उसको पीटा गया और उसके १०-१२ चोटें भी आई हैं ।

श्री मतोलासिंह---

क्या मंत्री जी हमारी बात को सही मानकर जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, और कोई प्रश्न करना हो तो कर लीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, जब कोई माननीय सदस्य अपनी जानकारी के आधार पर कोई बात कहते हैं तो मंत्री जी को जांच करानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

मेरा निवेदन यह था कि प्रश्न इस तरह का हो सकता है कि जो सूचना सरकार की तरफ से आई है वह अमुक-अमुक तथ्यों के आधार पर असंगत है । अब कोई तथ्य पूछिये कि यह वाकया है या नहीं तो मालूम हो जायेगा कि मंत्री जी का उत्तर गलत है । अगर वाकया न पूछें तो इस प्रकार का प्रश्न ठीक नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या मंत्री जी सदस्य की सूचना पर कि वाकया इस प्रकार का है कि पुलिस अधिकारियों ने जाकर तमाशा देखते हुये लड़कों को व जनता को भी घेर लिया और कहा कि लड़कों को बाहर निकाल दीजिये, जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई सूचना नहीं है बल्कि उल्टे सिपाही ने जो पिटा है उसने एफ० आई० आर० दाखिल की और लड़कों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है । अगर माननीय सदस्य कोई सूचना देंगे तो उससे लाभ उठायेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसी थाने में दूसरी रिपोर्ट लिखी जा सकती थी ?

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर भेज दें तो वे कहते हैं कि हम जांच करा लेंगे ।

श्री मतोलासिंह---

क्या माननीय मंत्रीजी को यह भी जानकारी है कि थानेदार ने वहां के प्रिन्सिपल को थाने पर बुलाया और तय किया कि अच्छा भाई तुम भी चुप रहो और हम भी चुप रहें ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इतनी जानकारी मालूम है कि जो लड़के नाराज होकर आये, थानेदार और प्रिन्सिपल साहब मिले और यह आपस में समझौता किया कि अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिये, लेकिन जब बाद में सिपाही खाना खा रहा था तो लड़कों ने उसे मारा ।

श्री मतोलासिंह---

वह सिपाही कहां का था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

वह सिपाही थाना भरता का था ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि प्रिन्सिपल साहब से बातचीत होने के बाद जो सिपाही मारा गया वह दूसरे स्थान का था ? क्या प्रिन्सिपल और थानेदार की बातचीत होने के बाद जो लड़के को मारा गया उसकी कोई शिकायत प्रिन्सिपल ने की है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मने कहा कि लड़कों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं हुई कि किसी को मारा गया । बात यह है कि जब यह सिपाही मुलजिमों को लेकर जा रहा था एक लड़का उन मुलजिमों में से एक से बात करना चाहता था और जब ऐसा करने से पुलिस ने रोका तो वह नहीं माना और गाली दी और मारपीट की नौबत आई तो लड़का और अपने साथियों के साथ आया और जब सिपाही रात्रि को बांदा से मुलजिमों को दाखिल करके लौटा तो जब ओंकार प्रसाद खाना खाने गया तो लड़कों ने सिपाही को पीटा ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सिपाही को गाली दी गयी तब उसने लड़के को पीटा तो क्या यह अपराध नहीं है ? अगर अपराध है तो क्या कार्यवाही उसके खिलाफ की गई जिसने कानून को अपने हाथ में लिया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसकी पूरी सूचना मांगी गयी है और यदि उसका कसूर होगा तो उसे अवश्य सजा दी जायगी ।

एटा जेल से चेतराम की गलत रिहाई

*६—सर्वश्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा), श्री लोकपालसिंह (जिला एटा) तथा श्री रामसिंह (जिला एटा)—

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल एटा से दिनांक १७ फरवरी, १९६६ को चेत राम नामक कोई कैदी जो कि एक कत्ल के केस में बन्द था परन्तु बिना जमानत छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो रिलीज करने का आदेश किसके द्वारा प्राप्त हुआ था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह कैदी जिला एवं सेशन जज, एटा के आदेश पर, जो गलती से उसके वारन्ट पर किए गये थे, छोड़ा गया था ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह गलती वारन्ट की कब मालूम हुई और वह कैदी जेल में आ गया कि नहीं ? और यदि आ गया तो किस के द्वारा पकड़ कर जेल में लाया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह गलती १८ फरवरी को मालूम हुई । १७ तारीख को आदेश आया उस पर गलती से जज ने मुलजिम की रिहाई के आदेश कर दिये । जब जेलर ने यह देखा तो वह जज साहब के पास गया और गलती ठीक कराई और वह छूटा कैदी फिर गिरफ्तार होकर आ गया जेल में और अब भी जेल में है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

वह किसके द्वारा पकड़ा गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें मेरी सूचना नहीं है । मेरी केवल सूचना यह है कि कानेस्टिबुल द्वारा जेल में लाया गया । एक्चुवल में किसने पकड़ा, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

यह गलती किसने की कि अमीरा के बजाय चेतराम को रिहा किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह तो जज ने कहा है कि अमीरा के बजाय चेतराम पर रिहाई के आदेश वह लिख गये ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---

मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि वह सिपाही है नहीं जिले के अन्दर ।

श्री अध्यक्ष---

क्या आपके पास मंत्री जी यह सूचना है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मेरे पास यह सूचना है कि उसको गिरीशचन्द्र कांस्टेबिल गिरफ्तार करके लाया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

जब रिहाई का आदेश कोर्ट ने बनाया तो कोर्ट ने क्यों नहीं देख लिया कि अमीरा को छोड़ा जाना था तो चेतराम क्यों छोड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो मानते हैं कि गलती हो गयी ।

श्री उग्रसेन---

तो कार्यवाही क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो उन्होंने बतला दिया ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

कार्यवाही तो जिलाधीश करेंगे । जिलाधीश की नोटिस में यह ला दिया गया । कोर्ट के बारे में तो कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---

क्या यह सही है कि डिप्टी जेलर, जिसने उस दिन उस को छोड़ा वह उस रात को चेतराम के यहां रहा और दूसरे दिन स्वयं लाकर उसको बन्द किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने पहले ही निवेदन किया कि कांस्टेबिल उसको लाया और लाकर उस को बन्द किया ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---

किस थाने में आजकल उसकी पोस्टिंग है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

अयोध्या पुल दुर्घटना जांच रिपोर्ट

*१--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट श्री उग्रसेन तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या पुल दुर्घटना की जांच समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट के आधार पर क्या-क्या कार्यवाहियां की गयीं तथा किन व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

जी हां। जांच आयोग ने निम्नलिखित सरकारी कर्मचारियों को तथा पुलिस और पी० डब्लू० डी० के कुछ अन्य कर्मचारियों को जिनके नाम नहीं दिये हैं दुर्घटना के बारे में जिम्मेदार पाया है :--

१--श्री एस० पी० अग्रवाल, मैजिस्ट्रेट तथा मेला आफिसर

२--श्री राम लाल, मैजिस्ट्रेट,

३--श्री के० के० मेहरोत्रा, मैजिस्ट्रेट

४--श्री राम आसरे, पुलिस अधीक्षक

५--श्री एस० के० गर्ग, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० और

६--श्री एम० सी० जौहरी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०।

सरकार ने निर्णय किया है कि उपरोक्त कर्मचारियों के संबंध में और अन्य मामलों पर जो रिपोर्ट से उत्पन्न होते हैं तथा उन सिफारिशों पर जो आयोग ने ऐसी दुर्घटना बचाने के लिये की है और जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया, संबंधित विभागों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाय।

*२--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री उग्रसेन तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सरकार उपरोक्त समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद हो रहा है और जितनी जल्दी संभव होगा रिपोर्ट सदन में पेश की जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जांच समिति ने इस अयोध्या कांड की हत्याओं के लिये कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जांच समिति ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई अदालती कार्यवाही करने की सिफारिश की है और सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कौन-सा तरीका अख्तियार करेगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वह रिपोर्ट आप के सामने आ जायगी। उन्होंने यह निश्चित किया है कि ये अधिकारी इस इस कार्य के दोषी हैं और उनमें से श्री एस० पी० अग्रवाल, मैजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश हो गये हैं। इसी तरह से श्री गर्ग को सस्पेंशन के लिये आर्डर पास कर दिये गये हैं। दूसरे अधिकारियों के बारे में भी विभागों को लिख दिया गया है ताकि जिम्मेदारी निश्चित करके आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

इन मेलाधिकारियों की लापरवाही के कारण उस घटना में १४४ आदमी मरे थे। क्या इनको कम्पेंनसेशन देने के लिये सरकार ने सोचा है? अगर हां, तो क्या तरीका कम्पेंनसेशन को डिटरमिन करने के लिये सरकार अख्तियार करने जा रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह रिपोर्ट आपके सामने आ जायगी। १४४ आदमियों के मरने की बात नहीं है। ११ आदमियों की बाडी मिल चुकी है। ३१ की मिली नहीं है। इस प्रकार से ४४ आदमियों के मरने की बात कही जाती है। जहां तक कम्पन्सेशन देने की बात है वह अभी उठती नहीं है। यह तो दुर्घटना एक हो गई।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैंने १४४ के मरने की बात नहीं कही। मैंने ४४ के ही मरने की बात कही थी।

श्री उग्रसेन--

मन्त्री जी ने श्री एस० पी० अग्रवाल और श्री के० के० गर्ग, जो मेला अफसर और वहां पर इंजीनियर थे उनके मुअत्तल करने की बात कही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पुलिस कप्तान और दूसरे अधिकारी थे उनको क्यों नहीं मुअत्तल किया गया?

श्री अध्यक्ष--

उस प्रतिवेदन में जिन अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट है, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई।

श्री उग्रसेन--

मेरा आशय यह है कि इन दो को ही क्यों मुअत्तल किया गया है और दूसरों को क्यों नहीं किया गया है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने यह कहा कि मुअत्तल करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। मुअत्तल उनको किया जाता है जिनका इतना अपराध हो कि उनको नौकरी से बरखास्त किया जा सके। जिनका इतना कसूर न हो उन को नहीं किया जा सकता।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

वह रिपोर्ट अभी सामने नहीं है। वह अगर सामने आ जाय तो सप्लीमेंटरी हो सकते हैं। तो वह रिपोर्ट कब तक सदन की मेज पर रख दी जायगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह समराइज्ड रिपोर्ट तो हम एक सप्ताह में ही आपको दे देंगे। यदि पूरी रिपोर्ट आप चाहेंगे तो वह भी हम १० दिन के अन्दर दे देंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर विशेषज्ञ तरीके से प्रकाश डालने के लिये तैयार हैं कि जिनके अन्तर्गत इन अधिकारियों को दोषी पाया गया और इनके खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की गई या मुअत्तल किया गया?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैंने कहा कि रिपोर्ट आप के सामने आ जायगी। जिन लोगों को रिपोर्ट में दोषी पाया गया उन को मुअत्तल किया गया बाकी के खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

जब बयान हिन्दी में लिये गये तो यह रिपोर्ट हिन्दी में क्यों नहीं लिखी गई ? यह प्रश्न यहां पर आ चुका है लेकिन फिर भी सरकार उसी तरीके से करती जाती है। जब यहां की राजभाषा हिन्दी है तो प्रदेश के अधिकारी क्यों अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी में देते हैं ? आप ऐसा आदेश दें कि जब कोई कमीशन नियुक्त किया जाय तो वह अपनी रिपोर्ट हिन्दी में दे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन—

मुझे अच्छी तरह से यह मालूम है कि यह रपट कुम्भ मेले से पहले आ गई थी तो जो सिफारिश मुसद्दीलाल कमीशन ने की थी उन को उस मेले में अमल में लाया गया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कुम्भ मेले में कितना अच्छा इन्तजाम था यह सब आप जानते हैं।

श्री उग्रसेन—

वहां के इन्तजाम में उन सिफारिशों को अमल में लाया गया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो सिफारिश आई उससे भी अच्छा वहां इन्तजाम था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं जानना चाहता हूं कि श्री एस० पी० अग्रवाल, मेला अफसर जो वहां पर थे उनको पदोन्नति करके बरेली भेजा गया और श्री के० के० गर्ग, जिनको जिम्मेदार ठहराया गया था, उनको असिस्टेंट इंजीनियर से एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के पद पर उन्नति करके भेजा गया, अगर हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गर्ग साहब तो हमारे यहां उस समय भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, यह रिपोर्ट मेरे पास है। श्री अग्रवाल के बारे में यहां पर कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह अग्रवाल और गर्ग दोनों को ही पदोन्नति कर के भेजा गया अथवा नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने अभी निवेदन किया कि गर्ग साहब तो उस समय भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उन की पदोन्नति का सवाल नहीं उठता। जहां तक एस० पी० अग्रवाल का सवाल है, उनकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। आप चाहें तो मंगा दूंगा।

सचिवों का पर्वतीय स्थानों पर दौरा

*३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, जून तथा जुलाई, १९६५ में राज्य में कौन-कौन सचिव (मुख्य सचिव सहित) नैनीताल तथा अन्य पर्वतीय स्थानों पर सरकारी काम से रहे, उनके साथ और कौन-कौन कर्मचारी रहे ? तथा इस प्रवास पर सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मई, जून तथा जुलाई, १९६५ में मुख्य सचिव, अन्य सचिवों एवं उनके कर्मचारियों द्वारा नैनीताल तथा अन्य पर्वतीय स्थानों की यात्रा पर हुए व्यय का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६४–२६५ पर)

एटा जिले में बन्दूक के लाइसेन्स

*४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में पूरे वर्ष १९६५ के अन्दर कितने ऐसे बन्दूक के लाइसेंसों के प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र हैं जिनकी पुलिस कप्तान महोदय एटा तथा विभिन्न तहसीलों के तहसीलदारों के यहां से संस्तुति की जा चुकी थी परन्तु परगनाधीशों के यहां एक महीने या उससे अधिक अवधि तक लम्बित रहे और कितने अब भी लम्बित हैं ? और क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसे प्रार्थना पत्रों की संख्या क्रमशः ७९९ तथा ४२ हैं। परगनाधीशों के यहां उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के लम्बित रहने का कारण यह है कि परगनाधीश पुलिस और तहसीलदार की रिपोर्ट के अतिरिक्त स्वयं भी व्यक्तिगत जांच करना आवश्यक समझते हैं जिसमें समय लगना स्वाभाविक है।

*५—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा के सन् १९६५ में ही कितने बन्दूकों के प्रार्थना-पत्र परगनाधीश के यहां किस-किस दिनांक में आये और किस-किस दिनांक में उन्होंने अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित किये तथा जिस क्रम से वे आये थे उसी क्रम से अग्रसारित न किये जाने के कारण क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सूचना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है माननीय सदस्य देख सकते हैं। जिस क्रम में प्रार्थना-पत्र परगनाधीशों के यहां आये उसी क्रम में उन्होंने अग्रसारित नहीं किए जिसका कारण यह है कि परगनाधीश प्रार्थना-पत्रों को अग्रसारित करने के पूर्व स्वयं भी प्रार्थियों की उपयुक्तता के बारे में जांच करते हैं और यह जांच सदा उसी क्रम में करना सम्भव नहीं होता।

*६—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला एटा में जब डकैतों से जन-जीवन को अत्यधिक खतरा पैदा हो गया है तो पुलिस कप्तान महोदय की चरित्र रिपोर्ट आ जाने के बाद भी ३–३ महीने या इससे अधिक समय तक प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र पर अन्तिम निर्णय न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसका कारण परगनाधीशों द्वारा प्रार्थियों की उपयुक्तता के बारे में व्यक्तिगत जांच करना है जो वे बहुधा अपने जाड़ों के दौरों में करते हैं और इसमें कभी-कभी प्रार्थियों के सम्पर्क स्थापित करने में समय लगने के कारण अथवा अन्य कारणों से समय लग जाता है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन ७९९ लोगों के प्रार्थना-पत्र अग्रसारित किये गये उनमें से कितनों को लाइसेंस दिये गये हैं ? और यदि नहीं दिये गये तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इतनी सूचना तो नहीं है, लेकिन यह मुझे मालूम है कि १९६५ में ७८६ लाइसेंस मंजूर किये गये हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि जब आर्म्स ऐक्ट में स्पष्ट रूप से यह अमेंडमेंट कर दिया गया है कि जिसका चाल-चलन ठीक हो उसे लाइसेंस प्रदान किया जाय तो जिसका चाल-चलन पुलिस कप्तान ठीक प्रमाणित कर देता है उसके बाद भी इतनी देर लगने और परगनाधीशों द्वारा जांच कराने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

परगनाधीश लाइसेंस मंजूर नहीं करते और जो लाइसेंस मंजूर करता है उसका इंहेरेंट राइट है कि वह आंख खोल कर देख ले कि किसी गलत आदमियों को लाइसेंस न मिल जाय।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि एटा के जिलाधीश केवल उन व्यक्तियों को लाइसेंस मंजूर करते हैं कि जो ५०० रुपये के बांड खरीदता है ? जो बांड नहीं खरीदता है, भले ही उसका चाल-चलन कितना ही अच्छा हो, उसे लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाता, क्या यह सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास सूचना यह है कि गलत आदमियों को लाइसेंस नहीं दिया जाता ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

ब्रिटिश काल से जो आर्म्स ऐक्ट चला आ रहा था उसमें परिस्थिति के अनुसार सरकार ने काफी ढिलाई कर दी है और नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति का चाल-चलन ठीक हो उसके अनुसार उसे लाइसेंस मिल जाना चाहिये। तो फिर यह ८०० लाइसेंस पेंडिंग पड़े रहने का कारण क्या है और एस० पी० की जांच के बाद उनकी अपनी जांच करने का कारण और तरीका क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने कहा था कि ४२ लाइसेंस पेंडिंग हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यह एटा का ही सवाल नहीं है, आम बात है । क्या मंत्री जी को पता है कि जब पुलिस की चाल-चलन की रपट पुलिस को भेज दी जाती है तो सुरक्षा कोष, अल्पबचत योजना में जो रुपया नहीं दे तो उसको लाइसेंस मिलता ही नहीं है ? शांति रखने के लिये और डाकुओं से बचाने के लिये सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी कि उनको लाइसेंस मिल जाना चाहिये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सुरक्षा कोष में रुपया लिया जाना कोई अनिवार्य नहीं, क्राइटेरिया नहीं है । लाइसेंस तो और बातों को देखकर दिये जाते हैं । एटा में तो इतने ज्यादा मिल चुके हैं तो कमिश्नर ने कहा कि इतने लाइसेंस क्यों दिये जा रहे हैं । इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो प्रशासकीय दृष्टि से और बातें भी विचारणीय होती हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

इस बात को देखते हुए कि जब पुलिस कप्तान द्वारा चाल-चलन सही लिख दिया जाता है, तहसीलदार उसकी संस्तुति करता है कि यह लाइसेंस देने के काबिल है उसके बाद भी केवल

इस कारण कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बमुश्किल बन्दूक खरीदने के लिये पैसा इकट्ठा कर पाते हैं लेकिन हजार-हजार रुपये के बांड नहीं खरीद सकते तो उनको लाइसेंस नहीं दिये जाते, तो क्या मंत्री जी, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको भी लाइसेंस मिल जायं ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि जरूरी नहीं है बांड खरीदना। एक प्रश्न हो सकता है कि आप कहें कि अमुक व्यक्ति है जिसको लाइसेंस नहीं दिया गया क्योंकि वह बांड खरीदने के लिये तैयार नहीं था।

श्री गंगाप्रसाद—

अयार में घटना हुई वहां के लोग कलेक्टर साहब से मिले और कहा कि लोगों के लिये यह शर्त नहीं होनी चाहिये कि केवल बांड लेने पर ही लाइसेंस मिले, आप जांच करायें।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितने लाइसेंस दिये गये हैं सब ने बांड लिया है और जिन्होंने नहीं लिये उनको इसी कारण से लाइसेंस नहीं मिले ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले ही निवेदन किया था कि बिलकुल जरूरी नहीं है बांड लेना, और भी बातें देखी जाती हैं। वह तो एटा का प्रश्न था।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्या जिनको लाइसेंस दिये गये हैं उन्होंने बांड भरे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और न शिकायत है कि बांड लेकर हमको लाइसेंस मिले।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

इस सदन में आश्वासन दिया जा चुका है कि यदि पुलिस चाल-चलन ठीक लिखती है तो लाइसेंस मिल जाना चाहिये, लेकिन यह सुरक्षा कोष की पाबन्दी लगा दी गयी है। तो क्या कोई ऐसा आदेश जारी करेंगे कि सुरक्षा कोष में चन्दा देने के आधार पर नहीं बल्कि अगर ठीक चाल-चलन है तो उसको लाइसेंस दिया जायगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जब कोई ऐसा आदेश है ही नहीं तो उसे खिलाफ क्या आदेश दिया जाय ?

उत्तराखण्ड में भवन निर्माण

*७—श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में अब तक कौन-कौन इमारतें तैयार हो चुकी हैं ? कौन बाकी रह गई हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पिथौरागढ़ चमोली और उत्तरकाशी में अब तक आयोजना के संबंध के अन्तर्गत ७३० इमारतें तैयार हो चुकी हैं और ४९७ पर कार्य चल रहा है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो इनकी सूची मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर—

मैं यह जानना चाहता हू कि चमोली, उत्तर काशी तथा पिथौरागढ़ में कितनी-कितनी इमारतें बनी थीं तथा कितनी बनने को बाकी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

चमोली जिले में १३८ इमारतें तो पूरी हो गयीं, १०८ पर काम हो रहा है। पिथौरागढ़ में २८३ इमारतें पूरी हो गयीं, २१५ पर काम हो रहा है, उत्तर काशी में १९२ इमारतें पूरी हो गयीं, १२३ पर काम हो रहा है।

आजमगढ़ जिले में हरिजन समितियों को अनुदान

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन विकास खंडों में हरिजन समितियों के सहायतार्थ गत वर्षों में तीन-तीन हजार रुपये का अनुदान जिला हरिजन विभाग की ओर से दिया गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

सूची 'अ' संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६६–३६९ पर)

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अनुदान का भुगतान किन-किन विकास खंडों द्वारा नहीं किया गया है ? और क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सूची 'ब' संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ ३६६–३६९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार के विचाराधीन कोई योजना है कि जिन विकास खंडों को रुपया दिया जाता है अगर वे उसका भुगतान नहीं कर पायेंगी तो उनको अनुदान नहीं दिया जायगा अर्थात् अनुदान ऐसे ही विकास खंडों को दिया जायगा तो उस रुपये को खर्च कर लेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सारे प्रदेश से ही इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि रुपये का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। जिलास्तर पर अब समिति इस कार्य को किया करेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह समिति जिलों के अन्दर अब से अपना काम शुरू कर देगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसके गठन के आदेश जा चुके हैं और कार्य भी प्रारम्भ हो गया है ।

श्री उग्रसेन--

विकास के कामों की जांच के लिये गोविन्द सहाय समिति जो बनी थी और उसने जो अपनी सिफारिशें दी थीं, क्या उसी को लागू करके इन समितियों का गठन किया गया है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसकी सिफारिशें वृहत् रूप में नहीं थीं, लेकिन आचार्य जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी उसने सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी और उसी के अनुसार कार्यवाही की गयी है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

जिला स्तर पर जो समिति गठित की जायेगी उसके गठन का आधार क्या होगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

३ १ जनवरी और ८ फरवरी को जो जी०ओ० प्रसारित हुआ है उसमें इसके गठन के बारे कि किस प्रकार की यह समिति होगी, कौन-कौन उसके सदस्य होंगे आदि बातों का जिक्र है ।

श्री श्रीराम--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि समस्त प्रांत में हरिजनों को दी जाने वाली ग्रांट डेढ़ लाख रुपये की पड़ी हुई है, उसके लिये कब तक वितरण की व्यवस्था कर देंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री होरीलाल यादव--

श्रीमन्, माननीय सदस्यों को जी०ओ० नहीं मिला है । क्या माननीय मंत्री जी उस जी० ओ० के मुख्य-मुख्य आधार बताने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जब जिला स्तर पर रुपया जाता था तो जिले के जो जिला परिषद् हैं वे ब्लाक की क्षेत्रीय समिति को दे देते थे और जो जिला स्तर पर क्षेत्रीय हरिजन सहायक समिति थी वह अपने ब्लाक में आये हुए आवेदन-पत्रों को देखकर यह रुपया मंजूर करती थीं । सन् ६२ से लेकर ६५ तक अनेक ब्लाकों का रुपया मंजूर हुआ और उनकी प्रथम किश्त दी जा चुकी है और दूसरी किश्त देने की यह शर्त थी कि कार्य पूरा हो जाय और उसकी रिकोर्ट आ जाय तो वह किश्त दी जाय । बहुत से ब्लाकों ने प्रथम किश्त के उपरान्त रिपोर्ट नहीं दी इसलिये रुपया पड़ा हुआ है । क्योंकि जिला हरिजन सहायक समिति निर्मित हो गई है और आदेश प्रसारित हो गये हैं और प्रदेश के समस्त ब्लाकों का रुपया उस समिति को खर्च करने का अधिकार प्राप्त हो गया है । इसलिये जो कार्य पड़े हैं उन कार्यों को यह समिति देखेगी और पूरा करायेगी ।

श्री होरीलाल यादव--

श्रीमन्, मेरा सवाल दूसरा है । जो जी०ओ० निकला है उसके क्या आधार हैं समिति गठित करने का वह जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कागजात देख सकते हैं । उसके संदर्भ में जवाब थोड़े ही हो सकता है ।

[१० मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अमरिया थाने में श्री जुम्मा को पीटने की घटना

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि दिनांक २८ जुलाई, १९६५ को थाना अमरिया, जिला पीलीभीत की पुलिस ने श्री जुम्मा, निवासी कानपुर को बांध कर मारा और डी०एस०पी० को तार दिया गया और डी०एस० पी भी मौके पर खुद पहुंच तथा दिनांक २९ जलाई, १९६५ को उसे छोड़ा ? यदि हां, तो इस सारी घटना का क्या कारण था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२९–७–६५ को मजरा बखतपुर में गढ़े हुए कोल्हुओं की १२ पीतल की डिबियों की २७/२८ जुलाई, ६५ की रात्रि में हुई चोरी की घटना के विषय में वादी द्वारा श्री जुम्मा भी अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के साथ थाने पर लाये गये थे। उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य न होने से उन्हें उसी दिन थाने से छोड़ दिया गया था।

तार उप-पुलिस अधीक्षक को नहीं, बल्कि पुलिस अधीक्षक को केवल पेशबन्दी में भेजा गया था। अब वादी तथा श्री जुम्मा आदि ने आपस में समझौता कर लिया है।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री को मालूम है कि श्री जुम्मा का डाक्टरी मुआइना जो मेडिकल आफिसर इंचार्ज पी०एन०यू० डिस्पेंसरी अमरिया, जिला पीलीभीत दिनांक २९ जुलाई, १९६५ को किया उसके अनुसार ९ चोटें आई हैं? यदि हां, तो इस पर कोई जांच करा कर उन पुलिस अधिकारियों पर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्री जुम्मा का कोई डाक्टरी मुआइना पुलिस द्वारा नहीं कराया गया, न श्री जुम्मा ने ही अपने डाक्टरी मुआइने की कोई रिपोर्ट थाने में दी।

श्री जुम्मा के साथ पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जैसा कि जवाब में उन्होंने कहा कि २९–७–६५ को जुम्मा को पकड़कर लाया गया और उसी दिन छोड़ दिया गया, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो तार पुलिस कप्तान को दिया गया वह कौन-सी तारीख को और कौन से वक्त पर दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसमें दो तार दिये हैं। एक तार कमरुद्दीन ने २८ तारीख को और दूसरा तार जुम्मा ने ३० ता० को पुलिस कप्तान को दिया है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने बताया कि २८ ता० को कमरुद्दीन ने तार दिया कि जुम्मा को पकड़ लिया गया। तो मंत्री जी का यह कहना कैसे सिद्ध होता है कि पेशबन्दी के लिये उनको तार दिया गया जब कि २९ ता० को जुम्मा को पकड़ा और २८ ता० को यह तार दिया कि जुम्मा को पकड़ लिया गया। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २९ ता० को जब डी० वाई० एस० पी० मौके पर पहुंचे और यह कहा कि इस जुम्मा को क्यों पकड़ रक्खा है तब उसे छोड़ा गया

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इस तार में लिखा है कि पुलिस मारपीट कर रही है। उन्होंने तो लिखा है कि जुम्मा को रामसिंह, बरयामसिंह, अजीतसिंह और तारासिंह ने एक ट्यूब वेल से ११ बजे से बांध रक्खा है और काफी मारपीट कर रहे हैं। उसकी जान किसी झूठे केस में फंसा न दें, खतरा है। फौरन इन्क्वायरी करा ली जाय। यह लिखा है।

श्री रियासत हुसैन—

उसकी कोई रिपोर्ट थाने में नाम जद या शुबहे की थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह रिपोर्ट नामजद थी। उनका कहना था कि गांव में इसने कबूल कर लिया था मगर थानेदार के सामने नहीं किया। उन्होंने उसे रास्ते में पीटा था। थानेदार ने कहा कि इसकी इनक्वायरी करेंगे लेकिन बाद में दोनों फरीकैन ने राजीनामा लिखकर दे दिया।

श्री रियासत हुसैन—

जब पुलिस को यह यह मालूम हुआ कि उन्होंने उसे मारा है और उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई है तो पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न नहीं की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

राजीनामा होने पर पुलिस के हस्तक्षेप का कहां सवाल है ?

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जब पुलिस की जानकारी में आया कि बाहर मारा गया था तो उसकी चोटों की डाक्टरी जांच क्यों नहीं कराई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जब दोनों में राजीनामा हो गया और काग्नीजेबिल अफेंस नहीं बनता। तो पुलिस क्या कर सकती है ?

सुपरिंटेंडेंट यूटिलाइजेशन

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस-किस जिले में सुपरिटेंडेंट युटीलाइजेशन की जगह है और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन जगहों पर कौन कौन काम कर रहे हैं और किस किस जगह से तरक्की पाकर आये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रदेश के २० जिलों में सुपरिटेंडेंट यूटिलाइजेशन तैनात किये गये हैं जो प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों की ऋण की वसूली तथा उपयोग के कार्य की देखभाल करते हैं जिनका विवरण संलग्न तालिका के स्तम्भ ५ में प्रस्तुत है।

इन पदों पर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनका विवरण भी संलग्न तालिका के स्तम्भ २ में दिया गया है। इन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी किस किस जगह से तरक्की पाकर आये हैं उनका विवरण भी संलग्न तालिका के स्तम्भ ४ में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ .... पर)

श्री रियासत हुसैन—

ये पोस्ट्स परमानेंट क्रियेट की गई हैं या टैम्पोरेरी और यदि टेम्पोरेरी, तो कितने दिनों के लिये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त —

ये एड-हाक सैलेक्शन से लिये गये हैं। कमीशन के सामने जावेंगे। वहां से एप्रूवल आने पर परमानेंट होने पर विचार किया जायगा। अभी पोस्ट्स टेम्पोरेरी हैं।

मऊनाथ भंजन में बुनकर सहकारी समितियां

*४—श्री झारखण्डेराय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) में कुल बुनकरों की कौन कौन सहकारी समितियां हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मऊनाथ भंजन में बुनकरों की ३३ रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं जिसकी सूची संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७२ पर)

*५—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें कितनी और कौन-कौन रजिस्टर्ड हैं और कितनी और कौन अनरजिस्टर्ड हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

३३ रजिस्टर्ड समितियां हैं। अनरजिस्टर्ड समितियों से सरकार का कोई संबंध नहीं है अतः उनकी संख्या के विषय में बताना संभव नहीं है।

*६—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जो अनरजिस्टर्ड हैं उनका रजिस्ट्रेशन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

तीन अनरजिस्टर्ड सहकारी समितियों ने रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन-पत्र दिये थे। इन समितियों का रजिस्ट्रेशन इस लिये न हो सका कि इनका कार्यक्षेत्र वर्तमान रजिस्टर्ड समितियों के कार्यक्षेत्र में ही पड़ता था जो कि सहकारिता के नियमों के विरुद्ध है।

श्री झारखण्डेराय—

क्या मंत्रीजी को सूचना है कि जिन समितियों को रजिस्टर नहीं किया गया उनकी ओर से उन्हें और डाइरेक्टोरेट में भी प्रार्थना-पत्र दिये गये थे कि उन्होंने काफी रुपया लगाया है उन्हें विशेष सुविधा देकर रजिस्टर कर लिया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने अन्तिम फैसला कर लिया है या अभी विचाराधीन है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सही है कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये और मुझे भी कहा कि हमारे इन्कम-टैक्स में हानि हो जायगी। लेकिन चूंकि उस क्षेत्र में एक सोसाइटी काम कर रही है, और रजिस्टर करना सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा यह उन्हें भी बता दिया गया था।

श्री झारखण्डेराय—

यह देखते हुए कि उनका पैसा काफी उसमें लगा है और सैकड़ों परिवारों की जीविका का प्रश्न है, और टैक्स की दिक्कत भी अपनी जगह पर है, तो उस रूल को वेव करके रजिस्टरर्ड करने की कृपा करेंगे क्योंकि रजिस्टर्ड समिति के उनके हितों का टकराव नहीं होता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वे पहली सोसाइटी में शामिल होकर अपना काम यथावत् चला सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मऊनाथ भंजन में एक ही मोहल्ले में २ सोसाइटियां हैं जो भिन्न भिन्न तारीखों में रजिस्टर हुई हैं तो क्या इस सोसाइटी को इसलिये रजिस्टर नहीं किया जा रहा है कि पहली बोगस है और कोई कामकाज नहीं है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अगर बोगस है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अगर मैं यह सबूत दे दूं कि एक ही मोहल्ले में २, २ सोसाइटियां हैं, तो मंत्रीजी इनको भी रजिस्टर करने पर संजीदगी से विचार करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ये सोसाइटियां तो पुरानी सन् ४७, ५५ और ५० से चली आरही हैं, काम कर रही हैं और उन्हें बन्द करना अब मुनासिब नहीं होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, यह बहानेबाजी है ।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि बुनकर सोसाइटी संघ जो मऊ में कायम हैं उसका अध्यक्ष कौन है, और उस समिति में कितने सदस्य हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इसलिये नहीं हो रहा है कि उसी मुहल्ले में जो सेसाइटी रजिस्टर्ड है वह फर्जी है और जो अनरजिस्टर्ड है उसने लाखों रुपया लगाया हुआ है ? क्या मंत्रीजी इसकी पूरी जांच करायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सरकार केवल रजिस्टर्ड सोसाइटीज से संबंधित है, अनरजिस्टर्ड से इसका कोई संबंध नहीं है । यहां तो केवल पंजीकृत सोसाइटीज को ही प्रोत्साहन देने का सवाल है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि कितनी सोसाइटीज ने रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रार को भेजे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

स्याना क्षेत्र में गन्ना

*७—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)‖(अनुपस्थित)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में सन् १९६५ में कितने एकड़ भूमि में गन्ना पैदा हुआ? इसमें से कितने एकड का गन्ना सूखा से प्रभावित हुआ और इससे हुई अनुमानित हानि क्या है?

डाक्टर सीताराम—

विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर के संरक्षित तथा अस्थापित क्षेत्र में से १९६५ में गन्ने का क्षेत्रफल ८७५३ एकड था। इसमें लगभग ४००० एकड़ गन्ना क्षेत्र सूखा रोग से प्रभावित हुआ जिसमें अनुमानित हानि २–३ प्रतिशत की हुई।

*८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

[केन्द्रीय सरकार से संबंधित होने के कारण हटा दिया गया।]

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, प्रश्न संख्या ८ को आपने हटा दिया है इसका कोई संबंध केन्द्रीय सरकार से नहीं है। दरअसल इसका संबंध केवल एक विदेशी की संपत्ति से है। कदाचित् आपने इसको देखा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं देख लूंगा।

कानपुर की मिलों को कच्चा माल मिलने में कठिनाई

*९—श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६५ प्रथम अगस्त से नवम्बर, १९६५ तक कानपुर के किन–किन उद्योग लगाने वाले लोगों ने सरकार से आज्ञा मांगी है कि उन्हें कारखाने दूसरे प्रान्तों को ले जाने की आज्ञा दी जाय? क्या इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रान्तीय सरकार आवश्यक कच्चे माल का कोटा केन्द्र से नहीं प्राप्त कर सकी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रथम अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५ तक की अवधि में कानपुर के किसी भी उद्योग लगाने वाले से अपना कारखाना दूसरे प्रान्तों में ले जाने के लिये कोई आवेदन-पत्र उद्योग निदेशालय को नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रान्तीय सरकार आवश्यक कच्चे माल का कोटा केन्द्र से प्राप्त न कर सकी किन्तु यह सही है कि प्रदेश में अपने कारखानों के चलाने के लिये काफी आवश्यकतानुसार कच्चा माल केन्द्र से नहीं पाता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि सरकार अपने यहां किस-किस कच्चे माल की कितनी कितनी कमी अनुभव करती है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, हमारे यहां नान फेरस मेटल की बहुत कमी है। अपनी आवश्यकता से केवल १० प्रतिशत ही हमें मिल पाता है। दूसरा रा मेटीरियल भी २५–३० प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिल पाता। समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना भी करते रहते हैं। २–१ चीजों में उन्होंने कुछ बढ़ाया भी है। लेकिन अब भी हमारी आवश्यकता से बहुत कम है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा मैटेरियल की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार की नये उद्योगों की स्थापना के बारे में क्या पालिसी है ? क्या सरकार उचित कोटा मिलने पर खोलने की इजाजत देने की सोच रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जब हम से कोई कारखाना खोलने को पूछता है तो हम उससे कहते हैं कि जो माल नहीं मिलता है उस का कारखाना न खोलें क्योंकि हमारे पास मौजूदा कारखानों के लिये ही माल नहीं है इसलिये जिन कारखानों के लिये कच्चा माल उपलब्ध है केवल वही चलाये जांय ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जो पैसा उद्योगों के लिये दिया जा रहा है उसका उपयोग भी ठीक से नहीं हो पा रहा है तो क्या सरकार ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि जो चीजें हमें न मिल पायें उनके अलावा दूसरे उद्योग की चीजों के कारखाने लगायें जिससे कि इस पैसे का सदुपयोग हो सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कर्जा देते समय ही विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाता है कि जिस उद्योग के लिये कच्चा माल उपलब्ध नहीं है उसको कर्जा न दिया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कानपुर में ऊनी सूत न मिल सकने के कारण वहां के होजरी के कारखानेदारों ने सरकार से अपने उद्योग को सूबे से बाहर ले जाने की प्रार्थना की है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि हमें कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं मिला है ।

बुधौली ग्राम में जगदीशसिंह की हत्या

*१०—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बुधौली, जिला बरेली में दिनांक ४ दिसम्बर, १९६५ को हुये कत्ल के संबंध में कथित अभियुक्त ६० वर्षीय इन्द्रपाल सिंह द्वारा आत्म समर्पण करने के बावजूद थाना भुता के इन्चार्ज ने उन्हें बरेली तक (३० मील तक) पैदल चलाया और थाने में मार-पीट भी किया ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह जिसे धारा ३०२/३०७ भा० दं० वि० के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को ग्राम बुधौली से थाना भुता तथा वहां से बरेली पुलिस के संरक्षण में पैदल ले जाया गया क्योंकि ग्राम बुधौली से भुता तथा वहां से बरेली तक कोई पक्की सड़क या यातायात का साधन नहीं है । ग्राम बुधौली से थाना ७ मील तथा थाने से बरेली १३ मील है । थाने में उक्त अभियुक्त को मारा पीटा नहीं गया ।

*११—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त थाना इन्चार्ज थपलियाल ने मृतक की बन्दूक को उसके भाई द्वारा जमा दिखाया है और मृतक की बन्दूक स्वयं कथित अभियुक्त ने थाना इन्चार्ज को दे दी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह सही नहीं है कि मृतक जगदीश सिंह की बन्दूक अभियुक्त ने थाना इन्चार्ज को दी थी वास्तव में मृतक की बन्दूक मृतक के भाई ने घटना के दूसरे दिन थाना इंचार्ज को दी थी।

मन्त्रियों द्वारा आचार संहिता का पालन

*१२—श्री राम किशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री नन्दा जी ने जो प्रदेशीय सरकारों के मंत्रियों के लिये एक आचार संहिता बनाई थी और उसे उत्तर प्रदेश सरकार नेभी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया था इसे कहां तक उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने पालन किया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

आचार संहिता का पालन किया जा रहा है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आचार संहिता की वे मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं जिनका कि पालन किया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—

आचार संहिता में लिखा है कि प्रदेश के अन्दर मंत्रिगण मुख्य मंत्री को और केन्द्र में प्राइम मिनिस्टर को अपनी आय और मोबाइल असेट्स की सूची देंगे और यह भी है कि मंत्री होने के पहले यदि वह कोई व्यापार आदि करते हैं जिसमें कि साधारण तौर से सरकार का माल नहीं सप्लाई किया जाता है नियमों के अनुसार वह किसी एडीशनल सप्लाई को नहीं दे पायेंगे। अगर किसी का शेयर पब्लिक कम्पनी में है तो उन को हटाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही वह किसी प्रकार का ऐसा कर्जा आदि नहीं लेंगे जिस से किसी तरह का एम्बरासमेंट हो और यहकि जिस वक्त बाहर जांय तो डाक बंगले में या सार्वजनिक होटल आदि में रहें।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जिन बातों का उल्लेख मंत्री जी ने किया है उन को सही ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, इस की देखरेख के लिये कोई व्यवस्था है या नहीं ?

श्री बनारसीदास—

असेट्स के बारे में बराबर पालन हो रहा है, करीब-करीब सबने किया है।

श्री अध्यक्ष—

उनके पूछने का मतलब यह है कि कोई सुपरवाइजिंग अथारिटी है ?

श्री बनारसीदास—

चीफ मिनिस्टर ही अथारिटी है, अगर कोई शिकायत होती, तभी तो प्रश्न उठता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस आचार संहिता के हिसाब से जो ब्योरा मंत्रियों ने अपनी सम्पत्ति का भेजा है उसकी कुल पूंजी कितनी है ?

श्री बनारसीदास—

माननीय गेंदा सिंह का जिन की कि अभी मंत्री पद पर नियुक्ति हुई है और श्री अली जहीर का अभी नहीं आया है। बाकी सबने पहले ही अपने स्टेटमेंट दे दिये हैं। किस का क्या ब्योरा है या क्या टोटल है वह तो मुख्य मंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर के सामने है, उसको सदन में रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने पूछा कि कुल पूंजी कितनी है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने बता दिया कि दो ने अभी नहीं दिया है और बाकी सबने दे दिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैंने पूछा था कि मंत्रियों की कुल पूंजी कितनी है ? ब्योरा अगर सरकार के पास है तो बताया जा सकता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रियासत हुसैन—

मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि क्या वे मंत्रियों और उप-मंत्रियों के साथ पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स को भी जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इसमें "स्टेटस को" का क्या प्रश्न होता है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची मंत्रियों द्वारा उनको दी गयी है, उसकी जांच करावेंगे कि वे सही सही सूचियां हैं ? या वे एट रेन्डम ही दे दी गयी हैं ?

श्री बनारसीदास—

इसमें जांच का कोई प्रश्न नहीं है। तरीका यह है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का स्टेटमेंट देंगे। उसके संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो देख सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, बहुत से मंत्रियों ने अपने बेटे पोतों के नाम से मिल और फैक्ट्रियां खोल रखी हैं।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर जो आप इस प्रकार की आलोचनायें करने लगते हैं यह उचित नहीं है। यदि आप कोई सूचना चाहते हैं तो प्रश्नों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैंने "स्टेटस को" की कोई बात नहीं कही थी। मैंने तो केवल यह कहा था कि उस सूची में पार्लियामेंन्ट के मेम्बर्स को भी शामिल कर लिया जाय।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, आचार संहिता में केवल प्रदेशीय मंत्री और केन्द्रीय सरकार के मंत्रीगण ही आते हैं। अतः उसमें जोड़ने या घटाने का प्रश्न नहीं आता है।

*१३—श्री राजेन्द्रसिंह—

[वापस ले लिया गया।]

*१४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[प्रश्न कर्त्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया।]

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सुरक्षा कोष के लिए श्री चन्द्रभानु गुप्त को भेंट किया गया धन

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में जिलाधीशों अथवा सरकारी अधिकारियों द्वारा श्री चन्द्रभानु गुप्त को सुरक्षा कोष की थैलियां कितने-कितने रुपये की दी गई हैं ?

*१७—क्या मुख्य मत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिले से सुरक्षा के नाम पर अन्न लिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३७३ पर) ।

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में शिक्षा कार्य

*१८—श्री भगवान दीन (जिला रायबरेली)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में दिनांक १ सितम्बर, १९६१ से १ मार्च, १९६३ तक कौन-कौन से शिक्षाध्यापक कार्य कर रहे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सर्वश्री मेंहदी हुसैन, श्याम बिहारी लाल और शिवशंकर लाल शर्मा ।

*१९—श्री भगवानदीन—

क्या मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त कारागार में प्रत्येक सर्किल में शिक्षा कार्य का निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा एस० डी० आई०, फतेहगढ़ से दिनांक १ सितम्बर, १९६१ से ३१ मार्च, १९६३ तक किन-किन तारीखों में किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

३०-३-६२, ३१-१२-६२ तथा २८-३-६३ को ।

हरिजन कल्याण मूल्यांकन समिति

*२०—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरिजन कल्याण मूल्याकन समिति का गठन सरकार ने कब किया और उस समिति को रिपोर्ट देने की अवधि क्या निर्धारित की गई ?

डाक्टर सीताराम—

हरिजन कल्याण मूल्यांकन समिति का गठन ३० जून, १९६४ को हुआ । समिति की रिपोर्ट देने की निर्धारित तिथि ३१ अक्टूबर, सन् १९६४ थी जो अब ३१ मार्च, सन् १९६६ हो गई है ।

*२१—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरिजन कल्याण विभाग के अनुदानों के वितरण में क्या उसी तरीकों को अपनाने पर विचार करेगी जो तरीका उद्योग विभाग अपने ऋण तथा अनुदान का वितरण जिला उद्योग विभाग के माध्यम से जिला उद्योग कमेटी की स्वीकृति से कार्यान्वित करती है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। कृषि उत्पादन संबंधी अनुदानों को छोड़ कर शेष अनुदान जिला स्तर पर वितरण करने के शासकीय आदेश ३१ जनवरी, सन् १९६६ को जारी कर दिये गये हैं।

*२२—श्री रियासत हुसैन—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२३-२४—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

[४थे शुक्रवार को प्र० सं० ६७-६८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२५-२६—श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२७-२८—श्री मतोलासिंह—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतरौलिया क्षेत्र में शिकार

*२९—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) तथा श्री लोकपालसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि 'इमरजेन्सी' के इस काल में जिलाधीश तथा एस० पी०, आजमगढ़, दिनांक २५ तथा २६ दिसम्बर, १९६५ को आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के कइलीताल में शिकार खेलने गये हुये थे? उन लोगों को लाने के लिये नावें दोहरीघाट से ट्रक पर लाद कर लाई गई थी? और आस-पास के सब बन्दूक के लाइसेंसदारों को भी वहां पहुंच कर शिकार खेलने में उन अधिकारियों की सहायता करने के लिये आदेश दिये गये थे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केवल २६ दिसम्बर, १९६५ को ये अधिकारी कइलीताल में शिकार खेलने गये थे। प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नकारात्मक है।

चर्मशोधन उद्योग सहकारी समिति, ब्लाक चिरई गांव

*३०—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चर्मशोधन उद्योग सहकारी समिति, पंचरांव, ब्लाक चिरई गांव व जिला वाराणसी का रजिस्ट्रेशन सन् १९६४ में हो गया लेकिन अब तक उसे कोई ऋण तथा दूसरी मदद आज तक नहीं मिली जबकि सोसाइटी ने १९६४ तथा १९६५ में कई दरख्वास्तें ब्लाक द्वारा भेजी हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*३१—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[७वें गुरुवार के लिया स्थगित किया गया।]

नैनी के निकट कारखाने खोलने की योजना

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की तहसील करछना में जो जमीन सरकार ने किसानों से लेकर कारखाने बनाने का निश्चय किया है उसमें कितने कारखाने खोले

जायेंगे और कब तक उन कारखानों के खुलने की सम्भावना है और किस-किस सामान बनाने के कारखाने खुलेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नैनी (जिला इलाहाबाद) के समीप भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित चार कारखाने खोले जायेंगे:

(१) हैवी ड्यूटी पम्पस एन्ड कम्प्रेसर फैक्ट्री।
(२) हैवी स्ट्रैक्चरल्स फैक्ट्री।
(३) रेलवे की स्टील फाउन्ड्री।
(४) रेलवे वैगन फैक्ट्री।

इन कारखानों के लिये नैनी में जमीन भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत ली जा रही है। उक्त अधिनियम की धारा ४ की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा धारा ६ की विज्ञप्ति जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आशा है कि ये कारखाने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हो जायेंगे। इनमें भारी पम्प एवं कम्प्रेसर, भारी ढांचे, मालगाड़ी के डिब्बे बनेंगे और लोहे की ढलाई की जायगी।

मिर्जापुर में वकील द्वारा हत्या

*३३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर में इलाहाबाद बैंक के समीप दिनांक ७ दिसम्बर, १९६५ को दिन को १० बजे एक वकील के द्वारा दो नवयुवकों को गोली से मार डाला गया ? यदि हां, तो यह घटना क्या थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ७-१२-६५ को एक वकील द्वारा दो नवयुवकों के मारे जाने की रिपोर्ट कोतवाली मिर्जापुर में अंकित की गई है।

घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३७४ पर)

*३४-३५--श्री उग्रसेन--

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

थाना कोतवाली, फतेहपुर की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*३६—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत मौजा खलरिहनपुरवा मजरे आदमपुर के शोभा आदि ग्रामीणों का कोई दिनांक २२ फरवरी, १९६५ का शिकायती प्रार्थना-पत्र, मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री और आई० जी० पुलिस को मिला है, जिसमें थाना कोतवाली फतेहपुर की पुलिस के विरुद्ध अत्याचार व जालसाजी के आरोप लगाये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस आशय का श्री शोभा पुत्र शिवबालक, निवासी खलिरहनपुरवा, मजरे आदमपुर, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर का दिनांक २२-२-६५ का नहीं बल्कि २३-२-६५ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था।

*३७—श्री लखीसिंह—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

रायबरेली जिले में अवैधानिक आग्नेयास्त्र रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

*३८—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के अन्तर्गत सन् १९६५ जनवरी से दिसम्बर, १९६५ तक बन्दूकें, पिस्तौलें, रिवाल्वर आदि बगैर लाइसेंस होने की वजह से कितनी संख्या में पकड़ कर जमा कराये गये ? और सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री हरगोविन्दसिंह—

रायबरेली जिले में जनवरी सन् १९६५ से दिसम्बर सन् १९६५ तक २१ देशी पिस्तौलें, २ एस० बी० बी० एल० बन्दूकें तथा १२ बोर के ५८ कारतूस पकड़े गये और इस संबंध में २५ व्यक्तियों का चालान हुआ।

श्री गंगाप्रसाद, हाकिम, तहसील, पुवायां के विरुद्ध जांच

*३९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गंगा प्रसाद, हाकिम, तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध जो रिश्वत की शिकायतें सरकार से की गई थीं उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शिकायतों की जांच हो रही है।

इलाहाबाद में यमुना में पाई गई लाशें

*४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के बलुआघाट तथा गऊघाट के अन्तर्गत यमुना नदी में २० लाशें आदमियों की तैरती हुई दिनांक २३ जनवरी, १९६६ को देखीं गईं ? सरकार उपरोक्त लाशों का पता लगवायेगी कि वह लाशें किसकी थीं और घटना क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२५ जनवरी, १९६६ को इलाहाबाद के दो समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार छपे कि गत तीन दिनों से बलुआघाट और गऊघाट के बीच १५–२० लाशें तैरती देखी गई हैं और लोगों को यह सन्देह है कि यह सम्भवतः उन तीर्थयात्रियों की लाशें हैं जो मौनी अमावश्या के दिन स्नान करते समय डूब गये होंगे और जिन्हें गुम माना गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा की गई जांच से पाया गया है कि बलुआघाट से यमुना पुल तथा गऊघाट की ओर, लगभग एक या डेढ़ फर्लांग दूर कटघर धोबी घाट के पास यमुना नदी में, पानी कम होने के कारण, एक बालू का छोटा सा टीला बन गया है जहां पर अक्सर मनुष्यों और पशुओं की लाशें, जो आस पास के क्षेत्रों के लोगों द्वारा धार्मिक रिवाजों के अनुसार प्रवाहित की जाती है, अटक जाती हैं। नाव से उस स्थान पर जाकर देखने पर यमुना पुल तक इस प्रकार के नौ शव दिखाई दिये। निकट से निरीक्षण पर ज्ञात हुआ कि इनमें ५ शव मनुष्यों के तथा चार शव जानवरों के थे। जांच से यह लाशें मृत्यु के उपरान्त प्रवाह की गई पाई गईं।

*४१–४३—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८४–८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

*४४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में सीमेंट वितरण

*४५— श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के उद्योग अधिकारी ने सन् १९६४ से दिसम्बर, १९६५ तक किन-किन उद्योगों के लिये किन-किन व्यक्तियों तथा फर्मों को कितनी-कितनी सीमेंट देने की सिफारिश डिप्टी डायरेक्टर, क्षेत्र वाराणसी से किया और किन-किन व्यक्तियों तथा फर्मों को स्वयं अपने आदेश द्वारा कितना-कितना दिलाया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९६४ से १९६५ तक गोरखपुर जिले में जिला उद्योग अधिकारी ने जिन जिन फर्मों को सीमेंट देने की सिफारिश उप, निदेशक, उद्योग (पूर्वी क्षेत्र), वाराणसी को भेजी उनका विवरण अनुसूची 'अ' पर दिया गया है। और जिन-जिन लोगों को स्वयं जिला उद्योग अधिकारी ने अपने आदेश से जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सीमेंट दिलाया, उनका †विवरण अनुसूची 'ब' पर संलग्न है।

*४६—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उल्लिखित सीमेंट पाने वालों ने किसी उद्योग शाप को निर्माण नहीं कराया है, बल्कि अधिकतर सीमेंट चोर बाजार में बेच दी गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विभिन्न फर्मों तथा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सीमेंट के उपभोग की जांच कार्यालय के क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर कराई जाती है। परन्तु अभी तक चोर बाजार में सीमेंट बेचे जाने की कोई सूचना जिला उद्योग कार्यालय को नहीं मिली है।

*४७—श्री उमाशंकर—

क्या यह भी सच है कि उल्लिखित सीमेंट पाने वालों के प्रार्थना-पत्रों की जांच किसी जांच करने वाले कर्मचारी से नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी पूरी जांच कराकर सदन की मेज पर एक रिपोर्ट रखेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सच नहीं है कि उल्लिखित सीमेंट पाने वालों के प्रार्थना-पत्रों की जांच किसी जांच करने वाले कर्मचारी से नहीं कराई गई। नियमानुकूल हर प्रार्थना-पत्र पर उचित जांच करने के पश्चात् ही उसके बारे में जिला उद्योग अधिकारी द्वारा सिफारिश भेजी जाती है।

जिलाधीश, शाहजहांपुर के विचाराधीन बन्दूक के लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र

*४८—श्री नरेन्द्रसिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ मई, सन् १९६५ से ३१ जनवरी, सन् १९६६ तक कितने बन्दूक के प्रार्थना-पत्र ग्रामीण सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुलिस कप्तान द्वारा सिफारिश करके जिलाधीश, शाहजहांपुर को स्वीकृति हेतु भेजे गये उनमें से जिलाधीश ने कितने स्वीकृत किये और कितने नहीं ? और क्यों ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री हरगोविन्दसिंह—

१५ मई, १९६५ से ३१ जनवरी, १९६६ तक कुल ७५ प्रार्थना-पत्र ग्रामीण सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुलिस कप्तान द्वारा सिफारिश करके जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर को भेजे गये। ये प्रार्थना-पत्र जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के विचाराधीन हैं।

बलिया जिले में रामचीजसिंह का चलती ट्रेन में कत्ल

*४९—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६६ के अन्तिम सप्ताह में बलिया एवं बांसडीह रेलवे स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन में किसी की हत्या कर दी गई है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जनवरी, सन् १९६६ ई० की अन्तिम सप्ताह में नहीं बल्कि दिनांक ४-१-६६ को ट्रेन नं० ३८ डाउन में यात्रा करते हुये रामचीज सिंह पुत्र रामसेवक सिंह, सा० ड़ोकटी थाना बैरिया, जिला बलिया का कत्ल कुछ व्यक्तियों द्वारा रेलवे स्टेशन बांसडीह व शहतवार के बीच चलती ट्रेन में गोली मार कर किया गया।

इस संबंध में मुकदमा धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना जी० आर० पी० बलिया पर दर्ज है और जांच हो रही है। कुछ संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

कानपुर में अवैधानिक कारतूस रखने वालों की गिरफ्तारी

*५०—श्री कृष्णपाल सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक ४ अक्तूबर, १९६५ को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कुछ व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़े गये जिनके पास भारत में बने १,००० कारतूस अवैधानिक रूप से ले जाते हुये बरामद किये गये? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। उनके विरुद्ध आर्म्स ऐक्ट का मुकदमा चलाया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

*५१—श्री कृष्णपाल सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति वह कारतूस किस दूकानदार से लाये थे तथा उस दूकानदार के विरुद्ध पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस द्वारा जांच से अभी यह निश्चित नहीं हो सका कि उक्त कारतूस वे कहां से लाये थे। अतः किसी दूकानदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

टामसन इन्टर कालेज, गोंडा में विस्फोट की जांच

५२—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा) तथा सरदार बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा स्थित टामसन इण्टर कालेज में २३ नवम्बर, १९६५ को एक विज्ञान प्रयोगशाला में विस्फोट हो जाने से जिन कई छात्रों की मृत्यु हो गई उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कायवाही की गई है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा आवश्यक जांच की जा रही है।

भारतीय विस्फोटक पदार्थ ऐक्ट की धारा ९ के अन्तर्गत इस घटना के कारणों के बारे में जांच करने पर विचार करने के लिये भी जिला मैजिस्ट्रेट को कह दिया गया है।

*५३—श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

[केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होने के कारण हटा दिया गया।]

*५४–५६—श्री वेदराम (जिला एटा)—

[६ठे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ५४–५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५७—श्री विजय सिंह—

[६ठे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फीरोजाबाद में कांच बनाने के लिए विदेशी केमिकल का आयात

*५८—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद कांच बनाने के विदेशी केमिकल्स के १९६२ से १९६५ दिसम्बर तक कितने लाइसेन्स हैं, उनके नाम व पते क्या हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फीरोजाबाद में कांच बनाने के विदेशी केमिकल को आयात करने के लिये सन् १९६२–६३ १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में क्रमशः २७, ५१ तथा ५८ संस्थाओं को अनिवार्यता प्रमाण-पत्र दिये गये हैं जिनके नाम तथा पता सूची ज, में अंकित हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३७५–३७६ पर)

*५९—श्री रक्षपालसिंह—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

नोटीफाइड एरिया, तुलसीपुर का सुरक्षा कोष में अंशदान

*६०—श्री सुखदेव प्रसाद तथा सरदार बलदेव सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नोटीफाइड एरिया, तुलसीपुर, जिला गोंडा ने दो तीन माह पूर्व एक हजार रुपया सुरक्षा कोष में जमा करने का निश्चय किया था? नियमानुसार जिलाधीश गोंडा से अनुमति मांगने पर अब तक जमा करने की अनुमति न मिलने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, एक हजार एक रुपया सुरक्षा कोष में देने का निश्चय किया था जिसे जिलाधीश द्वारा पूरे विवरण के साथ आयुक्त, फैजाबाद मंडल को प्रेषित किया गया है। उत्तर प्राप्त होने पर कमेटी को सूचित किया जायेगा।

हरिजन कल्याण मूल्यांकन समिति

*६१—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री सरकार द्वारा संगठित हरिजन कल्याण मूल्यांकन समिति के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समिति कब गठित हुई और उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब दी?

(ख) अब तक इस समिति पर कितना रुपया खर्च हुआ?

(ग) समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

(घ) समिति की कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार ने अब तक कार्यान्वित की हैं ?

डाक्टर सीताराम--

(क) दिनांक ३० जून, सन् १९६४ को गठित हुई। समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन २२ सितम्बर, सन् १९६५ को शासन को दिया था। अन्तिम प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है।

(ख) ४१,५७१.८९ रुपया।

(ग) अन्तरिम प्रतिवेदन में समिति ने (१) जिला हरिजन कल्याण समितियों के पुनर्गठन तथा (२) विभागीय अनुदानों को जिला स्तर पर वितरण करने की सिफारिश की है।

(घ) शासन ने उपरोक्त दोनों सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा शासकीय आदेश जारी कर दिये। शासकीय आदेशों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३७७–३७९ पर)

*६२--श्री माता प्रसाद--

क्या समाज कल्याण मन्त्री जी को जानकारी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा ३ जुलाई, १९६५ को डी० ओ० नं० ३५०४ के द्वारा जिलों में ऐसे आदेश भेजे गये हैं कि हरिजन कल्याण कार्यों के लिये जो अनुदान भेजे गये हैं उन्हें न तो जिलों की समितियों द्वारा और न तो ब्लाकों द्वारा ही वितरण किया जाय ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां।

*६३–६४--श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में बन्दूक के लाइसेन्स

*६५--श्री रघुवीर सहाय कैथवार--

२६ अगस्त, १९६५ के प्रश्न २४ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, ६४ से अप्रैल, ६५ तक फतेहपुर के तीनों परगनाधीशों ने आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत तहसीलवार बन्दूकों के कितने लाइसेंस दिये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मई, सन् ६४ से अप्रैल, सन ६५ तक की अवधि के मध्य फतेहपुर जिले के तीनों परगनाधीशों ने आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत बन्दूकों के कुल २३२ लाइसेंस स्वीकृत किये हैं, जिनका विवरण तहसीलवार निम्नलिखित है :

१--तहसील फतेहपुर	..	..	८४
२--तहसील बिन्दकी	..	..	६२
३--तहसील खागा	..	..	८६

*६६–६७--श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिये गये।]

*६८--श्री शिवनाथसिंह--

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६९-७०--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

थाना उस्का बाजार में विषाक्त भोजन से परिवार की मृत्यु

*७१--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में थाना उस्का बाजार के धर्म सेहवा बाजार के किसी पूरे परिवार को जनवरी, १९६६ में जहर दे दिया गया? यदि हां, तो उसके जांच-स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये और अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार उपरोक्त केस में पूर्ण जांच के लिये जांच गुप्तचर विभाग के सुपुर्द करने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

थाना उस्का बाजार में १५-१-६६ को लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार ग्राम धर्म सेहवा के श्री सत्य देव पांडे, उनकी स्त्री और दो लड़के १४, १५-१-६६ की रात में जब भोजन करने के बाद उठे तो उन्होंने कै किया और कुछ ही घंटे के बाद एक लड़के के अतिरिक्त उन सबकी मृत्यु हो गई ।

थाना उस्का बाजार के सब-इन्सपेक्टर ने १५-१-६६ को ही घटना स्थल पर जाकर गवाहों के बयान लिये और यह पाया कि मृतकों की किसी से दुश्मनी नहीं थी और उनकी मृत्यु अकस्मात् भोजन में विषैलेपन से हुई । मामले में अभी जांच जारी है लेकिन अभी तक किसी अपराध का होना नहीं पाया गया ।

इस समय अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

*७२-७३--सर्वश्री शिवेन्द्रप्रताप, (जिला सीतापुर), माधवप्रसाद त्रिपाठी, कृष्णपालसिंह तथा मतोलासिंह--

[७वें गुरूवार के लिये प्रश्न संख्या ७५-७६ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

हरिजन अनुदानों का वितरण

*७४--श्री छांगुर (जिला आजमगढ़) तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हरिजनों को जो अनुदान विकास खण्डों द्वारा वितरित होता था अब वह रोक दिया गया है?

डाक्टर सीताराम--

जी हां, केवल कृषि उत्पादन सम्बन्धी अनुदानों को छोड़ कर ।

*७५--श्री छांगुर तथा श्री मंगलदेव--

क्या जिले के हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण अधिकारियों को कोई आदेश भेजा गया था कि वे विकास खण्डों में अवितरित अनुदान वापस कर दें?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं ।

*७६--श्री छांगुर तथा श्री मंगलदेव--

क्या यह सही है कि उन आदेशों के बाद दूसरा कोई आदेश स्पष्ट रूप से नहीं गया है कि जिला समितियां हरिजन अनुदानों को वितरित करें? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं ।

मेसर्स ए० के० न्योगी ऐण्ड कम्पनी, कानपुर द्वारा बनाई गई बन्दूकें

*७७—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेसर्स ए० के० नियोगी ऐन्ड कम्पनी, कानपुर को बन्दूकें बनाने के लिये लाइसेंस स्वीकार हुआ, केन्द्रीय सरकार की निर्धारित १९५७ की नीति के प्रतिकूल, जिसमें उन्होंने किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई लाइसेंस पर कोई भी वेरियशन तथा एक्सपेन्शन करने के लिये मनाही की है, भी लाइसेंस क्यों दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेसर्स ए०के० नियोगी ऐन्ड कम्पनी, कानपुर को बन्दूक बनाने का लाइसेंस जिला मैजिस्ट्रेट कानपुर द्वारा सन १९४७ में स्वीकार हुआ था। केन्द्रीय सरकार की १९५७ की नीति के प्रतिकूल लाइसेंस स्वीकृत, वेरियेशन तथा एक्सपेन्शन करने का प्रश्न नहीं उठता।

*७८—श्री धर्मसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आर्म्स ऐक्ट तथा नियम १९६२ में यह शर्त है कि यदि कोई बन्दूक बनाने वाला लाइसेंसी लगातार ६ माह तक कोई बन्दूक न बनाये तो लाइसेंस स्वयं ही समाप्त हो जायेगा ? आर्म्स ऐक्ट के अनुसार उपरोक्त कानपुर की फर्म ने न १९६२ तथा १९६३ में प्रत्येक माह में पृथक-पृथक कितनी बन्दूकें बनायीं तथा १९५८ से १९६२ तक प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी बन्दूकें बनाई, बन्दूकें बनाने में नियमों का उल्लंघन होते हुये भी उपरोक्त कम्पनी का लाइसेंस आज तक रद्द क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, आर्म्स नियम १९६२ जो कि १ अक्तूबर, १९६२ से लागू हुये हैं, में लाइसेंस की एक शर्त है कि यदि लाइसेंसी लगातार ६ मास से अधिक समय तक अपना कार्य बन्द रखें तो लाइसेंस स्वयं समाप्त हो जायेगा। उक्त फर्म ने सन् १९६२ तथा १९६३ में प्रत्येक मास में जितनी बन्दूकें बनाई तथा सन् १९५८ से १९६२ तक प्रत्येक वर्ष में जितनी बन्बूकें बनाई वह सलग्न तालिका में दी हुई है। सन् १९६२ से पहले वाले आर्म्स नियमों में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी कि यदि लाइसेंसी लगातार ६ मास से अधिक कार्य बन्द रखें तो लाइसेंस स्वयं समाप्त हो जाय। अतः उक्त फर्म ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। लाइसेंस रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ३८० पर)

*७९—श्री धर्मसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त कम्पनी ने १९६०-६१ में बन्दूकें बनाने के लिये लाइसेंस के लिये प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे प्रदेशीय सरकार ने नीति के विरुद्ध समझकर अस्वीकार कर दिया था, फिर भी ये बन्दूकें क्यों बनाते रहे ? और इनको लाइसेंस किसने दिया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, सन् १९६०-६१ में प्रदेशीय सरकार को इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था।

मथुरा जिले में मूर्तियों की चोरी

*८०—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बतायेगी कि मथुरा जिले के मन्दिरों से मूर्तियां चोरी होने की कितनी घटनाओं की रिपोर्ट सरकार को १९६५ में प्राप्त हुई ? इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सन् १९६५ में मथुरा जिले में मंदिरों से मूर्तियां चोरी होने की १५ घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने अभियुक्तों का पता लगाने का यथा सम्भव प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप सात अभियुक्त चुराई गई मूर्तियों के साथ पकड़े जा चुके हैं। संबंधित थानों को मंदिर की मूर्तियों की सुरक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध करने के आदेश दिये गये हैं और मूर्तियों की चोरी से लाभ उठाने वाले संदिग्ध लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

मथुरा संग्रहालय को कुशाणकालीन स्तम्भों की भेंट

*८१--श्री केदारनाथ भार्गव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने कुशाणकालीन ४ अमूल्य स्तम्भ मथुरा संग्रहालय को भेंट किये थे उनका इन्दराज संग्रहालय के रजिस्टर में किस के नाम से है? यदि अन्य के नाम से है, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्त्ता को जिलाधीश, मथुरा ने लिखित उत्तर दिया था कि संग्रहालय जो रिपोर्ट छपेगी उसमें नाम आ जायगा? यदि हां, तो वह रिपोर्ट कब छपेगी?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। रिपोर्ट छप चुकी है तथा प्रश्न कर्त्ताओं के नाम रिपोर्ट में छपे हैं।

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले में अपराध

१--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में अप्रैल, १९६५ से जनवरी, ६६ तक हर थाने में कितनी-कितनी चोरी, राहजनी, डकैती, मरडर की रिपोर्ट दर्ज हुई?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३८१ पर)

२--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या उक्त जिले के थाना रामसनेही घाट में नवम्बर, १९६५ में कोई रिपोर्ट राहजनी की गाजीपुर के लोगों ने लिखाई? इस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक १५-११-६५ को राम किशुन, ब्राह्मण, निवासी पूरे मिश्री मजरा, गाजीपुर ने एक रिपोर्ट धारा ३९४ भा० दं० वि० की लिखाई जिसकी जांच की जा रही है।

३--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या सरकार इस रिपोर्ट की जो राहजनी की लिखाई गई थी सी० आई० डी० से जांच कराने के पश्चात् उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जांच अभी की जा रही है। सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कोई आवश्यकता अभी नहीं प्रतीत होती।

हरिजन कल्याण के अन्तर्गत लखनऊ में पोलीटेक्निक की स्थापना

४--श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६५ में हरिजन कल्याण के अन्तर्गत लखनऊ में जो पोलीटेक्निक की स्थापना हुई उस का सामान कई वर्ष पूर्व खरीदा जा चुका था?

क्या यह भी सच है कि इस संस्था के प्रिंसिपल पद के लिये भी उच्च वेतन पर एक नियुक्ति कर दी गई थी ? यह नियुक्ति कब हुयी ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां ।

खादी विकास योजना

५---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित खादी विकास योजना कब स्थापित हुई थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

उद्योग विभाग , उत्तर प्रदेश, द्वारा खादी विकास योजना १९४७-४८ में आरम्भ की गई थी ।

६---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त खादी योजना में कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

खादी योजना के अन्तर्गत ३३ स्थायी पदों में से २२ पदों पर कर्मचारियों को अभी तक स्थायी किया गया है । शेष ११ पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ में विधान परिषद् द्वारा किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३८२ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ४ फरवरी, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ फरवरी, १९६६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय, की अनुमति दिनांक, १ मार्च, १९६६ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का ६ ठां अधिनियम बन गया ।

इन्टरमीडिएट एजूकेशन संशोधन विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ३ फरवरी, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक २१ फरवरी, १९६६ की बैठक में सहमति प्रकट की थी, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १ मार्च, १९६६ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का ७ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ७ फरवरी, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ फरवरी, १९६६, की बैठक में सहमति प्रकट की थी, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १ मार्च, १९६६ को प्राप्त हो गयी है, और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का ८ वां अधिनियम बन गया।

प्रश्न का समय से उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर झांसी के एक सिनेमा इन्सपेक्टर के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार किया था। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका उत्तर अल्पसूचित प्रश्न के रूप में नहीं दे सकते। फिर यह १०–१२ दिन के बाद आया फिर कहा गया कि हम विशेष जांच करवा रहे है लेकिन आज तक वह अल्पसूचित प्रश्न नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि अल्प सूचित प्रश्न का कितना महत्व रह जाता है जब सरकार १ माह तक उसका कोई जवाब सदन में प्रस्तुत नहीं करती ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक मैं उस पत्रावली को देख न लूं तब तक कैसे निवेदन कर दूं।

श्री लखपतराम शर्मा—

वह तो आपके सामने प्रस्तुत हुई और कहा भी गया था कि शंका की दृष्टि से देखता हूं इसलिये रिपोर्ट मंगायी है और तब उस को प्रस्तुत करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे पास आ जायं, बतला दें तो मैं उस पत्रावली को देख लूं।

श्री लखपतराम शर्मा—

यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लें।

श्री अध्यक्ष—

स्वास्थ्य मंत्री जी से तो मैं पूछ लूं लेकिन उससे पहले मैं भी तो समझ लूं कि क्या है। मैं पहले समझ लूं तो पूछ लूंगा।

कतिपय विषय

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इलाहाबाद जिले में अकाल की परिस्थिति है, उसको देखने के लिये मंत्री महोदय कोई जायेंगे। एक सप्ताह उस आश्वासन को दिये हुए हो गया पर कोई मंत्री अब तक वहां नहीं पधारे और उसकी वजह से स्थिति यह हो रही है कि वहां भुखमरी व्यापक पैमाने पर शुरू होने जा रही है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अभी तक दूकानें नहीं खुली हैं। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, माननीय राजस्व मंत्री यहां मौजूद हैं या तो वह कृपा करें या माननीय नेगी जी को भेज दें। जो आश्वासन सदन में मिला था वह पूरा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री हैं नहीं, शायद उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है कि क्या कहा था। वह आ जायं तो देखा जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि मैंने गेंदा सिंह जी को कहा था जाने के लिये लेकिन कुछ अड़चन के कारण वह नहीं जा सके इसलिये हम जल्दी ही किसी दूसरे मंत्री को भेजेंगे। इस बात को कहे १० दिन से ज्यादा हो रहे हैं। जब कहत पड़ा हो, लोगों को पीने को पानी न मिले तो सरकार को इस मामले में जल्दी कार्यवाही करनी चाहिये।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हमने टेंकर से पानी भेजना शुरू कर दिया है, टेस्ट वर्क खोल दिया है और तमाम तकावी वगैरह के लिये ग्रांट भेज दी और रिएलाइजेशन स्टे कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न केवल इतना था कि मुख्य मंत्री न शायद यह कहा था कि हम किसी को भेजेंगे। अब वह हैं नहीं तो कौन बतायेगा। इसलिये पहले वह आ जायं तब इसको देखा जाय।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन, मैं अभी इलाहाबाद गया था वहां पर सरकार के लोग कहते हैं कि मेजा और करछना से चूंकि विरोधी दल के लोग चुने गये हैं इस वास्ते यहां कोई मंत्री नहीं आवेगा। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि कृपा कर वहां शीघ्र ही किसी को भेजा जाय क्योंकि वहां विरोधी दल के लोग नहीं मर रहे हैं, बल्कि किसान मर रहे हैं।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

होली मनाने तो जाते हैं, लेकिन देखने कोई नहीं जाते हैं।

हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट बोर्ड की इन्टर परीक्षा में कुछ लड़कियों को सम्मिलित होने से रोकने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय नेक राम शर्मा, और माननीय ऊदल की नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना है जिसे मैंने स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है:—

"हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के बोर्ड के सचिव ने गत सप्ताह एक आदेश निकाल कर राज्य की हजारों लड़कियों को इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया है। इन अभ्यर्थियों में कुछ बोर्ड की गृह विज्ञान आदि प्रेक्टिकल परीक्षाओं में सम्मिलित भी हो चुकी हैं।

[श्री अध्यक्ष]

बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि यह लड़कियां विद्या विनोदनी की ऐसे केंद्रों में परीक्षा दिये हैं जिसे बोर्ड की मान्यता प्राप्त नहीं है। बोर्ड के इस आदेश से प्रभावित अधिकांश लड़कियों ने दो वर्ष तक इंटर कालेजों में नाम लिखा कर विधिवत् अध्ययन किया है। बोर्ड के इस आदेश के फलस्वरूप इन लड़कियों का तीन वर्ष व्यर्थ जायगा जिसके लिये उनका कोई दोष नहीं है ....

माननीय शिक्षा मंत्री जी आप कब वक्तव्य देंगे ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

एक हफ्ते का समय दे दिया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, यह परीक्षा १५ से शुरू हो रही है। अतः इस को जल्दी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इसी सप्ताह में दे दीजिये।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

पहले मैं विषय समझ लूं तब उस पर वक्तव्य दिया जा सकता है वर्ना बात अधूरी रह जायगी। लिहाजा उन केसेज की लिस्ट मुझे दे दी जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव--

मैं आपको इत्तिला दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

सोमवार को आप वक्तव्य दे दीजिये।

रामगंगा प्रोजेक्ट, कालागढ़ में मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना रामगंगा प्रोजेक्ट, कालागढ़ की है। वहां ४ हजार मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। यह माननीय उग्रसेन, नरसिंह नारायण पांडेय तथा कई अन्य आदरणीय सदस्यों की है। इस पर माननीय मंत्री केवल वक्तव्य दे दें।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

सोमवार को मैं वक्तव्य दे दूंगा।

श्री उग्रसेन द्वारा अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

एक कामरोको प्रस्ताव मैंने दिया था। बाराबंकी में दिन दहाड़े हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ता, श्री साबिर अली की हत्या कर दी गयी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष--

वह कामरोको प्रस्ताव पुलिस संबंधी है। दो बातें इस संबंध में मैं बतला दूं। आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आज पुलिस अनुदान पर बहस है और यह विषय उसमें आ सकता है। लिहाजा आज यह कामरोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि इसमें कोई तर्क नहीं दिये गये हैं। केवल आपका कहना मात्र है कि यह राजनीतिक हत्या है। यह बात ऐसी है जो आप आज के पुलिस अनुदान पर कह सकते हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी। पुलिस के तीन थानेदारों के होते हुए एक आदमी को बदमाशों ने पूरे डिब्बे को खाली करा कर गोली से मारा और उन दरोगाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और न उस आदमी को बचाने के लिये उन्होंने कोई कार्यवाही की और न उसे फालो किया। ५० गज की दूरी पर थाना था।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के बारे में अब कोई बातचीत नहीं सुनी जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने भी दी थी। नगीना बिजनौर जिले में एक सम्प्रदाय के लोगों ने दूकानें जला दीं और लूटमार की। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और पाकिस्तान के नारे लगाये।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत जिस सूचना को मैंने महत्वपूर्ण समझा, उसको ले लिया। दूसरों को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया।

मुरादाबाद जिले में वर्षा तथा ओलावृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री टम्बरेश्वर प्रसाद, गंगा प्रसाद वर्मा, राम सिंह शाक्य तथा लोकपाल सिंह ने नियम ५२ के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि मुरादाबाद जिले के विभिन्न भागों में ओलावृष्टि, वर्षा तथा तेज हवा से फसलों में क्षति के कारण स्थिति चिन्ताजनक हो गई है। जिलाधिकारी से वास्तविक स्थिति की जानकारी के बाद यह पता चला है कि जिले के किसी भी भाग में वर्षा अथवा हवा से फसलों को क्षति नहीं पहुंची है और ऐसी स्थिति में किसी सहायता का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री टम्बरेश्वर प्रसाद के खड़े होने पर) यह तो केवल वक्तव्य के लिये था।

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

हमारा एटा वाला ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अब आपकी सूचना ले लूं या माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने एक सूचना दी है, देख लूं। आप लोग आपस में तय कर लें फिर मुझे बतायें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

आप अपने कक्ष से तय कर के आते हैं। आपकी हमेशा इस प्रकार का आक्षेप करने की आदत हो गयी है। क्या आपने माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की सूचना को स्वीकार कर लिया है? आप स्वयं तो तय करके आये हैं और आक्षेप हम पर करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें। आपके नेता वहां बैठे हुये हैं। जब एक ही पार्टी के नेता एक विशेष सूचना के ऊपर बल दे रहे हैं, तो मैं यह समझता हूं कि उनके जो साथी हैं और उनके नेतृत्व को मानते हैं उनका चाहिये कि वे उसको अधिक बल दें ब मुकाबले अपने के....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

लेकिन आप नेता विरोधी दल की बात को कहां बल दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

अब अगर मैं उसको स्वीकार नहीं कर सका हूं तो मैं उसके ऊपर विचार करने को तैयार हूं। आप कहते हैं कि हमारा पहले विचार किया जाय। तो दोनों में मुझे तुलना करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि आप मेरे कक्ष में आ जाइये मैं समझ लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

एक हम लोगों का है, उस पर कब विचार होगा?

(व्यवधान)

माननीय काशीनाथ मिश्र और हमारे नाम से एक विशेषाधिकार का प्रश्न रखा गया था मुख्य सचिव और दुबे साहब के विरुद्ध। उस पर कोई विचार ही नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, काशीनाथ जी हमसे सहमत होंगे कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। लेकिन अगर काशीनाथ जी उस पर बल देंगे तो मैं अपने विचार ४ बजे दे दूंगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गंगा प्रसाद जी ने नियम ५२ के संबंध में बात कही उस संबंध में आपने यह कहा कि माधवप्रसाद जी ने दूसरे प्रकार का रखा है इसलिये पहले आप आपस में तय कर लीजिये कि कौन सा लिया जाय। आपके इस एक्सप्रेशन का अर्थ मैंने यह लगाया कि आप कदाचित् यह एक्सप्रेस कर रहे थे कि हम लोग अपने नेता के नेतृत्व की भावनाओं का पालन नहीं कर रहे हैं जो कि बिलकुल गलत है। दोनों प्रश्न बिलकुल अलग-अलग हैं। वह घटना उनकी जानकारी की थी, यह घटना हमारी जानकारी की है।

श्री अध्यक्ष--

अब तो वह समाप्त हो गया।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--

हम लोग सुरक्षित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ८--राज्य विधान मण्डल

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८-राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत १,००,६४,८०० रु० की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८-राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत १,००,६४,८०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--न्याय प्रशासन

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २,१५,५७,९०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान को पेश करते हुए किसी बहुत बड़ी तकरीर या कोई सफाई की जरूरत नहीं है। यह एक साधारण बजट है, जिसके मातहत तमाम सब तफसीलात दी हुई हैं और जुडिशियल डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं, ज्यादातर उनकी तनख्वाह वगैरह का रुपया इसमें शामिल है। दो तीन चीजें हैं जो इस अनुदान में नहीं हैं, लेकिन इसी अनुदान के मुताल्लिक हैं जिनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मसलन इसी ग्रांट के मातहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३,१८,८०० रुपये की मांग रखी गयी है जिसमें कुछ सामान फरनीचर वगैरह खरीदने की सिफारिश की गयी है और वह इसी में शामिल है। इसी तरह से ग्रांट नं० ३५ में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के १,५८,२०० रुपये की मांग रखी गयी है जिसमें कुछ इमारतें वगैरह बनायी जायेंगी। मसलन आजमगढ़ में सेशन जज के रहने लिये मकान नहीं है। उनके रहने के लिये जो मकान था उसे पी०डब्ल्यू० डी० ने कहा कि वह रहने के लिये सेफ नहीं है, तो उनके लिये एक मकान बनेगा। इसी तरह से ग्रांट नं० ५१ में ८ लाख ४० हजार रुपये की मांग रखी गयी जिसमें यह सिफारिश की गयी है कि कुछ जिलों में अदालतों के लिये इमारतें वगैरह नहीं बन सकी हैं और इस रुपये से वह काम किया जायगा। इसी तरह से हाई कोर्ट के लिये व सेशन कोर्ट के लिये कुछ सामान वगैरह खरीदने की सिफारिश भी है। इस अनुदान के मातहत माननीय सदस्य यह जानते ही हैं कि बहुत से आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई विवाद नहीं होता है जो चार्ज्ड आइटम्स हैं और कांस्टीट्यूशन के अन्दर भी वे शामिल हैं, देखने से मालूम होता है कि इस किस्म के कुछ आइटम्स हैं। बकिया और तफसील की बातें हैं। जो पे रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी थी, उसकी सिफारिशों के मुताबिक भी कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह में कुछ परिवर्तन हुआ है और उसके हिसाब से भी थोड़ा सा रुपया और बढ़ गया है। वह सारा रुपया इसमें शामिल कर लिया गया है और यह सब हमने आपके सामने पेश किया है। मेरे खयाल में इस सिलसिले में कोई बहुत ज्यादा तकरीर की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य अगर कोई खास बात उठाना चाहेंगे तो उसका जवाब मैं आखिर में पेश करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—न्याय प्रशासन की प्रणाली व सामान्य नीतियों की चर्चा करना तथा सुझाव देना एवं शिकायतें करना।

श्रीमन्, जहां तक न्यायपालिका का संबंध है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जैसे कि कार्यपालिका और लेजिस्लेचर का स्थान है। जब से हमारा संविधान बना है इन तीनों को एक करने की कोशिश की गई और हर एक को अपनी-अपनी जगह पर आजाद और स्वतंत्र रखने की कोशिश की गई। लेकिन जब हमारी न्यायपालिका की ओर नजर जाती है तो हमें निराश होना पड़ता है कि भारतीय संविधान के आर्टीकिल ५० में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के सैपरेशन की बात की गई है, उसकी आज तक पूर्ति नहीं की जा सकी है।

अभी पिछली बार जब मंत्री जी ने यह कहा कि वह बम्बई गये थे तो वहां उन्होंने जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के कम्पलीट सैपरेशन को देखा है और वहां के लोगों से बातचीत करने पर वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कम्पलीट सैपरेशन से क्राइम्स में बढ़ोत्तरी हो रही है। यही एक कारण है जो इसमें अड़ंगा लगा रहा है और जिसकी वजह से मंत्री जी इनका सैपरेशन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जहां तक न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का संबंध है संविधान में साफ तौर से दिया हुआ है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये राज्य अग्रसर होंगे। इसी के साथ साथ में संविधान की धारा २२७ की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि जो उच्च न्यायालय है उनका सुपरिंटेंडेंस सारी नीचे की अदालतों पर होगा। जब सुपरिंटेंडेंस रहता है तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी तरह का अड़ंगा कोर्ट वगैरा को या डिस्ट्रक्ट जज को नीचे की अदालतों को सुपरिंटेंडेंस करने में लग सके।

मैंने यह देखा है कि जो ड्राफ्ट इनके सैपरेशन का बना था उसके पृष्ठ ५ पर दिया हुआ है कि :

"The Sessions Judges will inspect the work of Additional District Magistrates and Judicial Magistrates periodically and submit confidential reports to Government."

मैं यह जानना चाहता हूं कि १९३९ में ड्राफ्ट रिजोल्यूशन बन गया था जिसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज ए०डी०एम० (जे) और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के कार्य को देखेगा और सुपरिंटेंडेंस करेगा और गवर्नमेंट को कांफीडेंशियल रिपोर्ट देगा तो क्यों इसकी पूर्ति नहीं की गई और क्यों मंत्री जी आज भी हिचक रहे हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग न किया जाय? जैसा कि मंत्री जी ने कहा था कि क्राइम बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि क्राइम बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ाये जा रहे हैं आप देखें कि मुकदमों में जिनमें डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट का संबंध है उसमें २८ परसेंट क्राइम हैं और नीचे की अदालतों में जिनका मैजिस्ट्रेट का संबंध है वे ४३/४४ परसेंट हैं। इसका मतलब यह है कि रिमेनिंग परसेंटेज फाल्स केसेज की वजह से है या ऐसे केसेज की वजह से है जिनका सबूत पूरी तरह से नहीं मिल सका। जहां पर कोई सबूत उचित न मिल सके, जिससे कि मुलजिमान को सजा दी जा सके। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि १०० में ४३ या ४४ ने कसूर किया और जिनको सजा मिलनी चाहिये थी और अदालत ने सजा दी। इस तरह से यदि हम डिस्ट्रिक्ट जजों को भी देखते हैं तो वहां पर भी २८ परसेन्ट लोगों को ही सजा मिली है, तो इसका मतलब यह हुआ कि करीब ७० परसेंट ऐसे लोग थे जिन्होंने गुनाह नहीं किया था बेगुनाह थे। तो क्रीमिनल केसेज के परसेन्टेज आफ कन्वेक्शन से यह धारणा बनी हुई है कि एक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी को एक दूसरे से सैपरेट न किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो

आप चाहते हैं कि हमारे जजेज और हमारी जूडिशियरी बिलकुल स्वतंत्र रहे और उस पर कोई-किसी का दबाव न रहे और दूसरी तरफ जो आप काम कर रहे हैं वह यह है कि एक दूसरे को बिलकुल एक साथ रखें यानी आप उन दोनों को यूनाईटेड करते जा रहे हैं।

जो जिला मैजिस्ट्रेट होते हैं और जिले के छोटे जजेज होते हैं, उन पर डिस्ट्रिक्ट जजेज का भी एक तरफ कन्ट्रोल रहता है और दूसरी तरफ उन पर कमीश्नर का भी कंट्रोल रहता है। तो वह इस तरह से दो-दो अधिकारियों के सबार्डिनेशन में रहते हैं। ऐसी हालत में वह अपने उत्तरदायित्व को दोनों तरफ कैसे निभा सकते हैं और कैसे व उचित न्याय देने में सक्षम हो सकते हैं। जब वह इन लोगों का प्रमोशन, पोस्टिंग व ट्रांसफर आदि इन एक्जीक्यूटिव आफिसरों के हाथ में रहे तो हम कभी भी यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह कभी भी न्याय दे सकेंगे। यदि आप ईमानदारी से चाहते हैं कि न्याय लोगों को सस्ता और समय पर मिल सके तो सब से पहला काम आप का होना चाहिये कि जल्दी से जल्दी आप दोनों ब्रान्चेज को अलग कर दीजिये ताकि कोई यह न कह सके कि कोई भी एक्जीक्यूटिव का हैन्ड उनको दबाने में है या उनकी स्वतन्त्रता के मार्ग में बाधा स्वरूप खड़ा हुआ।

अब जब हम हाई कोर्ट के जजेज के अप्वाएंटमेंट की तरफ जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। उसके बारे में मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा फण्ड नहीं हैं, जिससे हम हाई कोर्ट के जजों की संख्या और ज्यादा बढ़ा सकें, न्याय प्रशासन जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण आईटम है, उस पर बजट की मांग दो करोड़ रुपये की है और दूसरी तरफ जो डंडा मारने वाले हैं यानी पुलिस हैं उन पर १७ करोड़ रुपये की मांग है। फण्डामेन्टल राईट्स जो प्रत्येक नागरिक के जन्मसिद्ध अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन होना भी बहुत जरूरी है और जिनके प्रोटेक्शन का भार उच्च न्यायालयों पर है, उन पर इतना कम खर्च किया जाना ठीक नहीं है। आर्टीकिल ३२ में दिया हुआ है कि वह गारन्टी सुप्रीम कोर्ट करेगा कि किसी के भी फण्डामेन्टल राईट में कोई दखलन्दाजी न करे। जब हम प्रिंसिपिल की तरफ जाते हैं तो उस प्रकार की भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इस जमाने में यह हम देख रहे हैं कि इस सामाजिक व्यवस्था में इतना प्रबल जागरण होता जा रहा है कि हर आदमी अपनी एजूकेशन की वजह से जैसे-जैसे रद्दोबदल इस देश में हुये हैं गुलामी के बाद हर आदमी स्वतंत्र हुआ है। उसमें स्वतंत्रता की सम्यक चेतना आ गयी है और वह अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग करना चाहता है। जिसके कारण वह चाहता है कि उसके अधिकार सुरक्षित रहें और इसी कारण हाई कोर्ट में केसेज की संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है, चाहे वह रिट के रूप में हो या कोई अन्य रूप में हो। हर आदमी अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा चाहता है और जब तक उसके मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट से न हो जाए तब तक आदमी को सन्तोष नहीं हो पाता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जब जनता की यह प्रबल मनोकामना है कि उसको न्याय और सुरक्षा मिले तो सरकार को ड्यूटी है कि सरकार उसको रक्षा का या न्याय का प्रबन्ध करे। इसलिए जरूरी होता है कि माननीय न्याय मंत्री न्यायपालिका को प्रबल बनाने के लिये कोशिश करें जिससे लोगों को उचित न्याय मिल सके...

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोट (जिला फैजाबाद)——

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है। इस महत्वपूर्ण न्याय प्रशासन विषय पर विवाद यहां पर हो रहा है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

राजाज्ञा को हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी में जारी करने के सम्बन्ध में अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष——

(श्री काशी नाथ मिश्र से) आज आप ने विशेषाधिकार का प्रश्न जो उठाया था——

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जी हां, विशेषाधिकार का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मेरा इस पर एक निवेदन है....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

यह तो अब यहां पर प्रतिदिन हो रहा है, इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न अवश्य आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उस दिन निवेदन किया था कि लगातार पूर्वगामी अध्यक्षों का यह मत रहा है कि किसी भी सरकारी अधिकारी का जब तक इस सदन से साक्षात् संबंध न हो, उसके विरुद्ध हम विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकते। इसलिये यदि वह कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा साक्षात सम्बन्ध नहीं है, उसके सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। विचाराधीन राजाज्ञा सदन के बाहर प्रसारित हुई। जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है मैं किसी भी स्थिति में अंग्रेजी में विज्ञप्ति को यहां नहीं लूंगा लेकिन सदन के बाहर कोई ऐसी बात होती है तो उससे विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह सदन के भीतर बाहर का सवाल नहीं है। जब विधान सभा का निर्णय हो गया तो वह विधान सभा पर भी लागू होता है। हमने निर्णय कर दिया कि कोई भी कार्यवाही उत्तर प्रदेश के अन्दर मुख्तलिफ विभागों में भी अंग्रेजी भाषा में नहीं होगी। तब राजाज्ञा अंग्रेजी में जारी कर के उसकी अवहेलना और सदन के निर्णय को अवहेलना हुई। फिर पूर्वगामी अध्यक्षों के निर्णयों की बात आपने कही तो अगर आप भी उन्हीं रास्तों पर चलते हैं तो फिर प्रदेश तरक्की कैसे करेगा। पहले अध्यक्ष अंग्रेजी में बोला करते थे आप हिन्दी बोला करते थे आप हिन्दी में बोलते हैं। जब यह हो गया है कि २६ जनवरी, १९६५ के बाद उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी दफ्तरों में हिन्दी में ही कार्य होगा अंग्रेजी में नहीं तो वह निर्णय तो इस सदन की चहारदीवारी के अन्दर के लिये ही तो नहीं है वह राज्य के समस्त जिलों के लिये लागू होता है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात ठीक होते हुये भी मेरा प्रश्न है कि वह कौन सा आपका विशेषाधिकार है, जो भंग हुआ है यह आप बतावें ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारा विशेषाधिकार यह है कि इस सदन का एक निर्णय है और अगर उसके खिलाफ इस सरकार के सचिव कार्य करते हैं तो इस सदन का निरादर और अपमान वह करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह तो ठीक है, लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न तो उसी समय उठता है जब कोई कार्य ऐसा हो जो इस सदन के कृत्यों में बाधा डाले, बाधा डालने की प्रवृति रखता हो। अगर सदन के कृत्यों में बाधा डालने की क्षमता नहीं रखता तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। विशेषाधिकार का मतलब यह है कि वह अधिकार जो सदन से सम्बन्धित होता है। अब अगर इस सदन के बाहर कोई ऐसा काम हो जैसे अंग्रेजी में रिपोर्ट लिखना, उसका प्रसारित करन। आदि तो उसका कोई सम्बन्ध हमसे नहीं है और न वह हमारे कृत्यों में कोई बाधा डालता है। चूंकि उससे हमारे कार्यों में कोई बाधा नहीं पड़ती इस वजह से हम नहीं कह सकते कि उससे विशेषाधिकार भंग होते हैं। यहां तक कहा गया है ५२–६२ के संकलन में पृष्ठ ३०९ पर.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर हम कोई निर्णय लेते हैं और वह निर्णय कार्यान्वित न हो तब तो हमारी असेम्बली माब असेम्बली हो जायगी और इस असेम्बली का कोई मतलब नहीं रह जायगा, हमारा और न आप के अध्यक्ष होने का । फिर सचिव यहां घोषित करते हैं कि राज्यपाल की स्वीकृति मिल गयी है और कानून बन गया और वह घोषणा कार्यान्वित न होती तो फिर क्या रास्ता होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं । इसका उत्तर देते हुए माननीय खेर साहब, (अध्यक्ष) ने कहा कि "सरकारी कर्मचारियों के किसी कृत्य का सदन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने पर ही उन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है अन्यथा नहीं । अब प्रश्न यह उठता है कि जैसा अपने कहा कि वह हमारे आदेश को तोड़ते हैं तो क्या होगा। तो वह कहते हैं कि अप्रत्यक्ष कन्टेक्ट के बारे में यह एक मोटी सी बात है कि सिविल सर्वेन्ट अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिश करने के लिये जो आप की एक्जिक्यूटिव अथारिटी है यानी मन्त्रिमंडल उसको आप प्रेस कर सकते हैं, उसके द्वारा इन्क्वायरी कमेटी बिठा सकते हैं, उसके द्वारा आप कुछ भी करा सकते हैं और अगर सदन का बहुमत यह चाहता है तो जिम्मेदार सरकार से सब काम करा सकता है ।" तो यह बड़ा मौलिक प्रश्न है। इस सम्बन्ध में आप शिकायत कर सकते हैं, आप सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं और त्रुटि परिमार्जन करा सकते हैं किन्तु सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने के कारण विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । यह कानूनी कठिनाई है। आपने जो शिकायत की है वह वाजिब है किन्तु उस शिकायत को दूर कराने का यह तरीका नहीं हो सकता है। अन्य तरीके हो सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो फिर हाईकोर्ट में रिट दाखिल की जाय, यह हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

वह आप कर सकते हैं। इसलिये मैं इस सूचना को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन (क्रमागत)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जो रिपोर्ट छपी है वह ६० की रिपोर्ट छपी है। ६० के जितने भी केसेज हैं वह सब १९६० की रिपोर्ट में छपे हैं। १९६१ की छपी है। १९६१ में और सन् १९६२ की भी, १९६२; में लेकिन १९६३ की तरफ हमारी निगाह जाती है तो हम यह देखते हैं कि सन १९६३ से जो सम्बन्धित रिपोर्ट है वह १९६५ में छपी है। १९६६ में कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है, जिससे जानकारी हो सके कि न्याय विभाग क्या कर रहा है। किन्तु, यह बात बहुत बड़ी जिम्मेदारी की है क्योंकि यह इस प्रदेश क मौलिक अधिकारों का सवाल है जो अपनी जगह पर सही है। इस सदन के प्रति यह मन्त्री जी जिम्मेदार हैं ? ये विभाग के जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं ? किस बात के लिये ये रुपया चाहते हैं? प्रश्न यह है कि १९६३ के केसेज इस रिपोर्ट म दिये गये हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति के बारे में सदन को जानकारी नहीं है। एक दिन मैं माननीय मंत्री जी के कमरे में भी गया था और जो इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनसे भी जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन उन को भी जानकारी नहीं है कि आज तक स्थिति क्या है और हाईकोर्ट में कितने केसेज पेंडिग हैं । नेशनल हेरल्ड में बताया गया था कि ३२ हजार इंस्टीट्यूट किये गये और उन में १२ हजार आर्डर के लिये पड़े हैं । "लीडर" के मुताबिक ५० हजार केसेज पेंडिग हैं । डिफरेन्ट ओपीनियन हैं। मेरी खुद समझ में नहीं आता कि इस महकमे

[श्री कमला सिंह यादव]

की क्या हालत होगी। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बतलाया था कि फांसी जिस आदमी को देनी थी वह गलती से छूट गया। जुडिशरी और एक्जिक्यूटिव के झगड़े में २६ जजेज की बेंच बनाई थी जो कांस्टीट्यूशनल नहीं थी। कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसी बेंच बनाई जाय। इतना ही नहीं, मैं आप को जौनपुर का कांड बतलाता हूं। वहां पर इंडले साहब, जज द्वारा नुजहत अली, डी० पी०ओ०, गाजीपुर को एक मुकदमें के सिलसिले में तलब किया गया। वे यहां आये तो उनसे पूछा गया कि वह प्रापर ड्रेस में नहीं हैं लेकिन पहले भी उनका बयान ले लिया और उसके बाद दूसरे दिन भी वह वही ड्रेस पहन कर आये तो अदालत ने मेहरबानी यह की कि उनके प्रोपर ड्रेस में न होने पर भी उनका स्टेटमेंट ले लिया और उसके बाद उन पर कंटेंप्ट की प्रोसीडिंग्स चालू कीं। तो मैं नहीं समझा सका कि आप का यह कौन सा कानून है कि प्रापर ड्रेस में न होने पर भी आप पहले तो किसी को एडमिट कर लें, उस का बयान ले लें और बाद में उस पर कंटेप्ट की प्रोसीडिंग्स चलावें, यहां तक कि उसको पकड़ने के लिये जज साहब खुद कुरसी से उठे। तो अगर जुडिशियरी का यही रवैया है तो मैं समझता हूं कि यह चीज हम को कहां ले जायगी, यह मैं समझ नहीं पाता। इसलिये यह जरूरी है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग किया जाय।

श्रीमन्, इसी सदन में कई बातें कही जा चुकी हैं। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी मुलजिम जो अदालत में हाजिर होने जाता है, उसे पुलिस अदालत के कमरे तक से पकड़ कर ले जाती है। इस तरह की बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त न्याय प्रशासन बिलकुल निष्पक्ष होना चाहिये, कार्यकुशलता उसमें होनी चाहिये और आदमी को सही माने में न्याय मिलना चाहिये। जहां तक निष्पक्षता का सवाल है, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि यह जुडीशियरी जुडिशियरी नहीं रह गयी है कि जिस का स्वप्न हम देखा करते थे। यह जुडीशियरी हमारी सरकार का खिलौना हो गयी है। एक पोलिटिकल पार्टी का काम मंत्री जी ने न्यायपालिका को ट्रान्सफर कर दिया है। हमारे न्यायाधीश पालिटीशियन्स हो गये हैं हालांकि ला रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि उन में एलूफनेस होनी चाहिये। यह डाइरेक्शन्स अंग्रेजों के जमाने में दिये गये थे और उन्हीं का परिणाम है कि हम आज तक उस जुडीशियरी की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज जो कार्य प्रणाली चल रही है वह ठीक नहीं है। जितने हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको रिटायर होते ही कहीं न कहीं लगा दिया जाता है और यह प्रलोभन दे कर ही सरकार जो चाहती है उनसे करा लेती है। दूसरे जहां तक उन के एप्वाइंटमेंट की बात है, वह एक डिफेक्टिव प्रोसीजर है। जब हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसी को रेकमेंड करता है, और चीफ जस्टिस आफ इंडिया उसे एप्रूव कर लेता है तो फिर क्या कारण है कि उसके लिये चीफ मिनिस्टर या ला मिनिस्टर से पूछा जाता है और मेरिट्स का ही केवल खयाल न कर के जात, पांत या प्राविंशिवलिज्म का खयाल कर के निर्णय लिया जाता है। ऐसे लोग जो बार में रेस्पेक्ट होल्ड नहीं करते अगर बेंच में चले जाते हैं तो बार उन की रेस्पेक्ट नहीं करता। जो जनता है वह भी रेस्पेक्ट वहीं करती तो जिस जूडिशियरी से हम उम्मीद करते हैं कि हम को सच्चा न्याय मिलेगा उसकी डिग्निटी और रेस्पेक्ट भी खत्म होती जा रही है।

करप्शन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि वह है और बढ़ रहा है जोरों से और मंत्री जी को चाहिए कि अगर दो चार केसेज मिल जाय तो सेंसर करने के लिये रिकमेंड करना चाहिए सेंट्रल को ताकि जो हम स्वप्न में भी नहीं सुनना चाहते थे कि जुडिशियरी करप्ट होगी, उसके करप्ट की शरमिन्दगी से हम बच सकें। दूसरी चीज यह है कि मंत्री जी कहते हैं कि फंड नहीं है हमारे पास हम अधिक से अधिक जजेज को नियुक्त नहीं कर सकते, मैं ला कमीशन की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें बतलाया गया है कि अप्वाइंटमेंट्स में किस तरह से देर की जाती है। जब कोई जज रिटायर होता था अंग्रेजों के जमाने में तो इन

ऐडवांस उसके पद के लिये सारी कार्यवाहियां हो जाती थीं। जैसे कि चीफ जस्टिस ने चार्ज लिया तो दूसरा जज चार्ज ले उसमें कोई डिले नहीं होती थी। आज जाज तो और कामों में आ जाते हैं, कभी इंक्वायरी में, कभी ऐडमिनिस्ट्रेटिव परपज के लिए भी बुला लिये जाते हैं, लेकिन न्याय-पालिका का काम निग्लेक्ट होता है उसका असर क्या होगा, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस रिपोर्ट में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वह पीरियड जिसके लिए कोई जज नहीं था वह साढ़े एक सौ बयालीस महीना है १२ जजेज के १२ महीने के बराबर है जब कि पंजाब में २६ महीने एक दिन और पटना में भी ऐसा ही है। साथ ही एक तरफ तो कहते हैं कि हमें जजेज नहीं मिलते, हमारे पास रुपया नहीं है बजट में, उनके रहने के लिए स्थान नहीं है, कमरा नहीं है इसलिए अदालतों की संख्या नहीं बढ़ायी जा सकती, लेकिन १२ जजेज दूसरे कामों में लगा दिये गये और बैंकें सीज पड़ी रहीं, उनको फिल-अप करने की कोशिश नहीं की गयी। मैं समझता हूं कि यह सरकार का काम है इसलिए वह जिम्मेदार है। इसलिए मंत्री जी को इस डिले के लिये सोचना चाहिए कि कैसे ये दिक्कतें दूर हों।

जहां तक जुडिशियल एप्वाइंटमेंट्स का सवाल है, उसमें दिया हुआ है कि—

"Unsatisfactory appointments. We must nextrefer to an important factor which in our view, has considerably aggravated the situation, causd by the accumulation of arrears. We refer to the selection of unsatisfactory judicial personnel...We have visited all the High Court centres and on all hands we have heard bitter and reveaing crititcisms about the appointmants made to High Court judiciary during recent year.

This criticism has been made by Supreme Court Judges, High Court judges, retired Judges, Public Proscecutors, professors of Law Colleges a very responsible members of the legal profession all over the country. One of the State Governments had to admit that some of the selections did not seem to be good and that careful scrutiny was necessary. The almost universal chorus of comment is that the selections are unsatisfactory and that they have been induced by executive influence. It has been said that these selections appear to have proceeded on no recognizable principle and seem to have been made out of considerations of political expediency or regional or communal sentiments. Some of the members of the Bar appointed to the Bench did not occupy the front rank in the profession, either in the mathers legal equipment or of the volume of their practice at the Bar. A number of more capable and deserving persons appear to have ignored for reasons that can stem only from political, or communalor similar grounds. Equally forceful or even more unfavourable comments have been made in respect of persons selected from the services. We are convinced that the views expressed to us show a well-founded and acute public dissatisfaction at these appointments. The observations made by Chief Justice, Kania referred to by us else where that merit alone should be the basis for selection to the High Court Judiciary seems to have been completely over-looked (Page 69-70, Report of Law Commission of India—Fourteenth Report)."

तो मैं यह कह रहा था कि अगर इसी तरह से सरकार इसमें हस्तक्षेप करती रही तो यह प्रदेश के लिये बड़ा ही घातक होगा और फिर मैं नहीं कह सकता कि उसका क्या नतीजा होगा। जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही आदमी के हाथ में होता है तो टिरेनीकल लाज बनते हैं, क्रूड शासन होता है, और उस निरंकुश शासन से बचाने के लिये एक ही उपाय है कि जुडोशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपेरेशन हो, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी स्वतंत्र हों। जहां यह स्वतंत्रता नहीं रहती है, वहां जज ही लेजिस्लेचर बन जाता है, तो जो वह कहता है वही कानून होता है। इसलिये लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एक्ग्जीक्यूटिव इन तीनों को स्वतंत्र होना चाहिये। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सम्बन्ध होने के कारण जो घटना अभी

[श्री कमलासिंह यादव]

काशी विश्वविद्यालय में हुई वह मालूम है आप को। हर जगह सरकार जो चाहती है वही न्याय होता है। सरकार जो डिक्टेट करती है वही हमें न्याय मिलता है और उसका नतीजा यह है कि निर्दयता हमें मिलती है। उत्पात और बल का प्रयोग हो रहा है। श्रीमन्, आप पुलिस के लिये १० करोड़ देते हैं। जहां अन्धाधुन्ध बल का प्रयोग हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी अब भी नहीं चेते तो न जाने इस देश का क्या होगा।

दूसरी चीज जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि न्याय बहुत मंहगा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान "रिपोर्ट आफ दि जुडिशियल रिफार्म्स कमेटी" के वाल्यूम-वन-के अपैन्डिक्स एफ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह दिखाया गया है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के महकमे से कितनी सेविंग हुई है। इसके अलावा मैं उसका ध्यान ला कमीशन की रिपोर्ट के पेज ८९१ पर दी गई कोर्ट फीस की तरफ दिलाता हूं कि यहां कोर्ट फीस कितनी हाई है। राजस्थान में जब ७५ रु० कोर्ट फीस है तो हमारे यहां १४२ रु० है। राजस्थान में २७५ रु० है तो यहां ५२२ रु० है। राजस्थान में जब ४७५ रु० है तो हमारे यहां ७९७ रु० है और राजस्थान में ८८५ रु० है तो हमारे यहां १६५० रु० है। मान्यवर, यह पुराना आइटम है नया नहीं है। वह तो और अधिक होगा। न्याय आज मंहगा होता जा रहा है और माननीय मंत्री जी की भी इच्छा यही है। जैसा कि ला रिपोर्ट के अन्दर भी एक स्टेटमेन्ट पढ़ने को मिला था। ये कहते हैं कि मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है इसलिये हमें कोर्ट फीस की बढ़ोतरी करनी चाहिये ताकि मुकदमे कम हों। संविधान के अन्दर हमारा मूल अधिकार है कि हमें रिलीफ अधिक से अधिक मिलना चाहिये। क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, रिलीफ सरकार कम करने जा रही है। कोर्ट फीस अधिक से अधिक कर दी जाय ताकि आदमियों को रिलीफ न मिल सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धारणा गलत है। आज जजेज की जो मेन्टेलिटी है और उनके द्वारा जो फैसले हो रहे हैं उनसे जाहिर होता है कि वे गरीब की तरफ नहीं हैं बल्कि बड़े आदमियों के फेवर में ज्यादा हैं। जब आप समाजवाद व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और सही ढंग पर आप लोगों की प्रवृत्ति चाहते हैं और यह चाहते हैं कि जितने लोग इस देश के रहने वाले हों उनकी सोशल, इकोनामिक और पालिटिकल चेतना बढ़े तो उस माने में भी हमारी जितनी कोर्ट हैं, वे जो जजमेंट प्रोनाउन्स करें, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे जजमेन्ट उस तरह के होने चाहिये जिसके लिये हम संविधान को बनाये हैं और जिस हेतु हम कार्य करना चाहते हैं। एक मिनट और दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

हां, एक मिनट और ले लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मद्रास या कलकत्ता की ओर हमारी निगाह जाती है तो वहां मोबाईल कोर्टस बने हुए हैं। छोटे मोटे केसेज के लिये आप भी मोबाईल कोर्ट्स बनाइये ताकि वे मौके पर जाकर उसका फैसला कर सकें। यहां तक कि इंगलैंड में भी यह कायदा है कि मर्डर केसेज में मोबाइल कोर्ट्स मर्डर की जगह पर जाकर ही सुनवाई करते हैं और फैसला देते हैं। हमारे यहां का जो कानून है वह लिपी पुती दलीलों पर ही आधारित है। माननीय मंत्री जी एक कमेटी का निर्माण कर लें जिसमें जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एक्जीक्यूटिव के प्रतिनिधि हों, जो सारे लाज की छानबीन कर के एक ऐसा कानून बनायें जिससे प्रदेश की जनता को लाभ हो सके और सस्ते दामों में मिल सके और जल्दी मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय विरोधी दल के सदस्य का भाषण सुना। उन्होंने न्याय के संबंध में एक स्वीपिंग रिमार्क दिया जो मैं समझता हूं अनुचित है क्योंकि मैं आगे अपने वक्तव्य में बताऊंगा और उन्हीं की ओर से यह बात साबित हो जायगी कि न्याय के खिलाफ जो बातें उन्होंने कहीं हैं वे बढ़ा चढ़ाकर कही गयी हैं।

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए।)

मैं इस वक्त इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जो न्याय हमारे देश और प्रदेश में चालू है वह संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल है और जो रिफार्म्स उस में किये गये हैं उनके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। जैसी तेजी से माननीय मित्र देश के अन्दर चेंज लाना चाहते हैं वह डेमोक्रेटिक मेथड से हो नहीं सकता। अगर हमारे देशवासी चाहते हैं जल्द से जल्द मौजूदा समाज को, उस की तहजीब को खत्म कर दें और नयी चीज कायमकर दें, वह तो केवल डिक्टेटरशिप में ही हो सकता है। परन्तु इस सरकार ने जिस प्रणाली को स्वीकार किया है, वह एक स्लो प्रोसेस है, जिसको हमने जानबूझ कर चुना है। अगर हम उस प्रणाली के साथ गुरेज करते हैं तो अपने साथ न्याय नहीं करते।

माननीय सदस्य ने अंग्रेजी जमाने के न्याय की तारीफ की। उस न्याय की खूबसूरत तस्वीर माननीय मित्र के दिमाग में थी। उसको सुनकर मुझे खेद हुआ। इंगलैन्ड के रहने वाले, ७ हजार मील दूर से आनेवाले, जो हमारे रीतिरिवाजों को जानते नहीं थे, हिन्दुस्तान की जमीन के कानून को समझते नहीं थे, भला वे हमारे साथ क्या न्याय कर सकते थे। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो अब हाईकोर्ट के जजेज का रिक्रूटमेंट किया है, वे हमारे रीति रिवाजों को समझते हैं, जनता के कानून को जानते हैं और केवल वकीलों की दलीलों पर ही निर्भर नहीं करते जैसा कि अंग्रेज लोग किया करते थे। ये लोग सब बातों को सोच कर अपना फैसला देते हैं। इन दोनों जमानों को कम्पेयर करते हुए मैं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि भले ही हम उस व्यवस्था को न ला सकें हों जिसे हम लाना चाहते हैं, फिर भी हम उस ओर आगे बढ़े हैं। हमें बहुत जल्दी भी उस को लाने की नहीं करनी है। हमें तो यह समझना है कि मौजूदा हालत में हम क्या कर सकते हैं। इस बात को देखते हुये हमारे मंत्री जी ने काफी सुधार किया है और जैसा कि हमारे मित्र कहते हैं कि सोशलिज्म हमारे देश में आना चाहिये और हमारे सुधार उस दिशा में होने चाहिये कि जो सोसाइटी को सम्हाल सकें, उसके हितों की रक्षा कर सकें और उसका विकास कर सकें; लेकिन अगर वह चाहते हैं कि सोशलिज्म एक दम से पूरा दरख्त हो जाय तो वह नहीं हो सकता। जिस तरह से मां के पेट से बच्चा पैदा होता है, तो उसका धीरे–धीरे विकास होता है, पैदा होते ही उसके डाढी मूछें नहीं पैदा हो जातीं। इसी प्रकार से यह रिफार्म्स और समाजवाद आहिस्ता–आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, विकास पेट से पैदा होते ही नहीं हो जाता। इसी तरह से राजनैतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था या सोशलिज्म की व्यवस्था भी समाज में धीरे-धीरे कायम होती है, समाज के अनुसार ही उसकी प्रगति होती है। आज की दुनिया में हम इन चीजों का कोई पर-फेक्ट स्टेज एकदम से उपस्थित नहीं कर सकते; अगर हम ऐसा सोचते हैं तो यह हमारी भूल है, इसमें हमारा कोई फैल्योर नहीं है। यह व्यवस्थायें समाज में धीरे–धीरे आगे बढ़ेंगी और जिस तरह से इन्सानों के विचार और तबियतें बदलेंगी उसी तरह से समाज और देश भी बदलेगा और उसका विकास और प्रगति होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

जुडीशियरी की बात कही गई कि बड़ा टेम्पटेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है, लालच दी जाती है और जजेज सरकार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि आप ने यहां देखा होगा कि कितने ही कानून यहां से पास हो गये लेकिन चेलेंज किये जाने पर हाई कोर्ट्स ने बहुत से कानूनों को अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर कर दिया। अगर उन की बात सही होती तो यह कानून कभी भी अल्ट्रावायर्स करार नहीं दिये जा सकते थे। यह भी मालूम होगा कि मामूली गरीब लोग एलेक्शन के मामलों में भी पजीपतियों के खिलाफ रिट पेटीशन्स में जीते हैं। न्याय के मुताबिक फैसले हुये हैं। लेकिन एक प्रार्थना मैं मंत्री जी से अवश्य करूंगा कि उन्हें जहां तक हो सके न्याय को सस्ता बनाना चाहिये। अगर न्याय पैसे के अभाव में गरीबों की सीमा के बाहर हो जाता है तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। बढ़ी हुई स्टाम्प की और कोर्ट फीस की दर गरीबों का लाभ नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं न्याय मिलने का खर्च मिनिमाइज करना चाहिये। अगर हम गरीबों तक न्याय नहीं पहुंचा सकते तो हम समाजवाद से दूर जाते हैं। इसके अलावा मुकदमें बहुत रुके पड़े रहते हैं और उनके डिसपोजल में समय बहुत लग जाता है। सारा समय हाई कोर्ट्स का रिट पेटीशन्स के मामलों में ही लग जाता है। यह जरूरी है कि मुकदमें ज्यादा जमा न होने पावें। मेरा इसके लिये सुझाव है कि इस प्रदेश में २ हाई कोर्ट्स होने चाहिये, अगर हम लोगों को न्याय देना चाहते हैं तो सस्ता न्याय वक्त से देना चाहिये। साढ़े सात करोड़ की आबादी के लिये २ हाई कोर्ट्स का होना लाजमी है, वह आज नहीं तो कल करने ही होंगे। हम मंत्री महोदय से १२–१५ साल से बराबर प्रार्थना कर रहे हैं कि जब लखनऊ बेंच हाई कोर्ट का जज है तो क्या कारण है कि उत्तर के रहने वाले लोगों को लखनऊ होकर इलाहाबाद न्याय के लिये जाना पड़ता है। यह ठीक नहीं है कि उन का पैसा ज्यादा खर्च कराया जाय। मेरी प्रार्थना है कि लेटिगेंट पब्लिक की सहूलियत के लिये उनकी इस जायज मांग को स्वीकार करें और पहाड़ी जिलों को लखनऊ बेंच से अटेच करें। जिन जिलों के लोगों को लखनऊ में आसानी से जस्टिस मिल सकता और चीप मिल सकता है, कम समय में मिल सकता है तो यह समझ में नहीं आता कि उन्हें क्यों लखनऊ स्टेशन छोड़कर, ज्यादा रुपया खर्च करके और ज्यादा समय बरबाद करके इलाहाबाद जाना पड़े। यह दिमाग से समझने की बात है। अगर कोई कास्टीट्युशनल डिफिकल्टी है तो उसको रिमूव किया जाना चाहिये, यदि यह जनता की सहूलियत में हो। जब कि वि दुनियां की डेमोक्रेसी बनायी जा सकती है और बिगाड़ी जा सकती है तो यह समझ में नहीं आता कि यह छोटी सी डिफिकल्टी क्यों दूर नहीं की जा सकती है। अतः मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर गौर करें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कमलासिंह जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन के सामने अपने विचार रखता हूं।

आज भी हमारे माननीय न्याय मंत्री जी की कर्त्तव्य परायणता का परिचय मिला जब कि प्रश्न के उत्तर में माननीय संसदीय मंत्री जी ने बताया कि आचार संहिता का पालन हमारे दो माननीय मंत्रियों ने नहीं किया। उनमें से एक तो न्याय मंत्री जी हैं और दूसरे माननीय गेंदा सिंह जी हैं। माननीय गेंदासिंह जी को तो बख्श दिया जा सकता है क्योंकि वे नये हैं, परन्तु हमारे न्याय मंत्री जी, जिनसे न्याय की ही आशा की जा सकती है, ने अपना छोटा सा कर्त्तव्य, कि उनकी कितनी जायदाद है, अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। इससे ही पता चल सकता है कि न्याय विभाग का वे किस रूप में संचालन कर रहे हैं। यह एक छोटा सा परिचय है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक न्याय से संबंध है कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूं। अभी ला कमीशन की रिपोर्ट के कुछ अंशों को माननीय मंत्री जी ने सुना होगा। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद इतने बड़े प्रदेश का सिर झुक जाता है। ला कमीशन की रिपोर्ट में जो आलोचनायें की गयी हैं, उनको सुनने के बाद भी माननीय मंत्री जी ने नहीं पूछा कि वे किस पन्ने पर हैं। उसका उपचार तो क्या किया होगा जिसने उस रिपोर्ट को पढ़ा भी न होगा। नहीं तो वे तस्लीम करते कि हमने रिपोर्ट पढ़ी है और हमारा सिर झुका हुआ है।

जहां तक नियुक्तियों का संबंध है वे मैरिट के आधार पर होनी चाहिये परन्तु यह देखा जाता है कि उनका संबंध किस से है, वे किस के रिश्तेदार हैं, उनकी पहुंच कितनी है। जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां इस प्रकार से हुआ करती हैं, उनसे हम क्या आशा कर सकते हैं कि वे न्याय दे सकेंगे ? न्याय का स्तर आज दिन प्रति दिन घटता जा रहा है। हमारे न्याय मंत्री जी कहते हैं कि मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ने का कारण वास्तव में यह नहीं है, बल्कि यह है कि फैसले करने वाले इतने अयोग्य होते हैं कि वे मुकदमों का जल्दी फैसला नहीं कर सकते हैं। वे अपना समय दूसरी चीजों में, जैसे आराम से रहने में, और आराम से काम करने में बिताते हैं। क्या कारण था कि पहले जमाने में जब कि जजेज जजमेंट स्वयं ही लिखा करते थे, उनको स्टेनो-टाइपिस्ट या टाइपिस्ट भी उपलब्ध नहीं होता था, जल्दी फैसले हो जाया करते थे ?

दूसरी बात, एप्वाइन्टमेंट की बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि १८ वर्ष हो गई हैं लेकिन एक्जीक्युटिव और जुडिशियरी जिसके सैपरेशन के बारे में बार–बार कहा जाता है, उसमें इतनी देर क्यों की जा रही है। इसमें हमें कोई पोलिटिकल कारण मालूम पड़ता है जिससे छोटे-छोटे मुकदमें भी आज एक्जीक्युटिव को दे दिये जाते हैं। सीरदारी, टैनेन्सी ऐक्ट या जमीदारी एबालिशन ऐक्ट वगैरह के जो मुकदमें थे वे जुडिशियरी से लेकर एक्जीक्युटिव को दे दिये गये हैं ताकि जनता इससे प्रभावित रहे। किसी न किसी ढंग से उन्हें प्रभावित रखना है। दूसरी चीज यह है कि न्याय बहुत महंगा है। माननीय कमला सिंह ने बताया कि और प्रान्तों में कोर्ट फीस कितनी ली जाती है और हमारे यहां कितनी ली जाती है। इस का रेशियों डबल है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। लोग अपने गवाह ले आते हैं, शाम तक बैठे रहें और मुन्सिफ साहब को फुरसत नहीं मिली जिस के कारण गवाह वापस चले जाते हैं और लोगों को परेशानी होती है, पैसा खर्च होता है।

नियुक्तियां, जो मैंने बताया मैरिट पर नहीं होती हैं। इसीलिये क्वालिटी भी नहीं आती है। क्वालिटी तभी आयेगी जब आप सारे संबंधों को, उन की पहुंच को बुला कर मेरिट पर अप्वाइन्टमेंट करेंगे। तभी क्वालिटी भी अच्छी होगी और देर भी नहीं होगी, और पैसा भी न्याय प्राप्त करने में ज्यादा खर्च नहीं होगा।

माननीय चन्द्र सिंह रावत ने बड़ी तारीफ की, लेकिन यह नहीं विचार किया कि प्रदेश में न्याय किस रूप में मिल रहा है। इस की आलोचना न करके केवल बधाई देदी और रीति रिवाज की बात कह दी। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि रीति रिवाज नहीं देखी जाती है बल्कि कानून का जो सही इंटरप्रीटेशन होना चाहिये वही किया जाना चाहिये। रीति रिवाज को अपनी दृष्टि से प्रधानता देते हुए माननीय चन्द्र सिंह रावत जी कहा कि मुफस्सिल में जो अप्वाईन्टमेंट्स किये जाते हैं वह ठीक हो रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरिट पर अप्वाइंटमेंट होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सब से पहले मैं माननीय न्याय मंत्री का ध्यान न्याय विभाग, न्यायपालिका के बारे में उन्होंने जो उपेक्षा दिखायी है, उस की ओर दिलाना चाहता हूं। सब कमेटियों की बैठकें तो हो गई लेकिन न्याय समिति की बैठक नहीं हुई क्योंकि स्वयं उन की दृष्टि में यह इतना अच्छा विभाग नहीं है, यही नतीजा इससे निकाला जायगा...

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

मैं अर्ज कर दूं कि अभी-अभी ८,१० दिन हुए उस की बैठक हुई है।

श्री दीपनारायणसिंह—

न्याय पालिका और विधायिका, दोनों का घनिष्ठ संबंध है। यह जनवाद की दो विभिन्न किन्तु साथ चलने वाली धारायें हैं। अगर भारत में जनवाद को ठहरना है तो इन दोनों में सामन्जस्य होना चाहिये वह भी स्वच्छ होना चाहिये और जनता में प्रिय होने चाहिये। अब आप इन दृष्टियों से सोचें कि आप ने क्या किया। हमने इस सदन में मार्शल के जरिये धर पकड़ कर जजों को बुलवाना चाहा और श्री राम सहाय, कमिश्नर, को अधिकार दिया कि वे उन को कार्य-पालिका के द्वारा पकड़वायें। खुद हमने जजों की उपेक्षा की और ऐक्जीक्यूटिव का डंडा ऊपर कर दिया और न्यायपालिका को नीचे कर दिया.....

श्री अधिष्ठाता—

आप न्याय की मांग पर भाषण करते हुए सरकार की आलोचना करें। सरकार का यह कार्य नहीं था, सदन का कार्य था।

श्री दीपनारायणसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, अपने राज्य का न्याय में पक्षपात एक दुर्भाग्य रहा है। अंग्रेजों के जमाने में यह बात कम थी। किसी का रिश्तेदार जज आ जाए, जाति बिरादरी का जज आजाय, तो न्याय किस तरह का होता है, इसे सभी जानते हैं। आर्थिक लाभ, भ्रष्टता का, फलाव होता है। इसीलिये मैंने बार-बार कहा है कि हाई कोर्ट के जजेज उत्तर प्रदेश में मदरास बंगाल और बम्बई के होने चाहिये जिनकी रिश्तेदारी यहां न हो। सरकार द्वारा बनाई हुई कमेटी का ही सुझाव है कि कम्यूनल जस्टिस और करप्ट जस्टिस जो व्याप्त है समाप्त हो। कास्ट जस्टिस को कम कीजिये। २२ फीसदी रिजर्वेशन हरिजनों को मिला हुआ है, लेकिन आज तक हाई कोर्ट में एक भी जज उनका नहीं बना। या तो वे इतनें अयोग्य ही रखे गये हैं कि हाई कोर्ट के जज बन सकें अथवा आपने पक्षपात किया। उनके एप्वाइन्टमेन्ट में क्या क्या होता है, यह हम भी जानते हैं। सुरा और सुन्दरी का प्रभाव हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट जजेज पर पड़ता है। पर्चे तक इस बारे में निकले हैं। सी० आई० डी० द्वारा जांच भी हुई। जिस वकील का क्लायंट पैसा खर्च नहीं कर सकता उसको न्याय नहीं मिल सकता। वहां भी कम्यु-नल और करप्ट मेथड्स चल रहे हैं। इसलिये न्याय को करप्ट और कम्युनल एटमासफियर से बचाइये। गजेन्द्रदकर जी चले गये पर मैं उनसे प्रभावित हुआ। अब भी जजेज गनीमतन अच्छे हैं बनिस्बत उसके जो जुडीशियरी नीचे की है और कलेक्टर के मातहत है। आज भी जुडीशियल सेपरेशन नहीं हुआ। हर जिले के जज कलेक्टर और पुलिस के प्रेशर में काम करते हैं। देखना यह है कि इलेक्शन पिटीशन वही करते हैं चाहे वह रिटायर्ड जज ही क्यों न हो। जब जनवादी सरकार आप स्थापित करना चहते हैं तो जजेज की सुपीरियारिटी जनवादी सरकार के लिये जरूरी हो गयी है। प्रधान मंत्री, चीफ मिनिस्टर अथवा न्याय मंत्री के खिलाफ इलेक्शन पिटीशंस होते हैं तो वही उसका फैसला करेंगे लेकिन अगर उनको आजादी से न्याय देने की गारंटी न हो तो क्या फायदा? आप बेल एप्ली केशन ले लीजिये। बेल मंजूर हुई, मैजिस्ट्रेट ने बेल दी, बीस रुपया देकर तहसील से वेरीफाइड होकर आ गई। रिश्वत न लेने की कोई कसम खा सकता है पर न दिलाने की कसम कोई नहीं खा सकता। ६ साल तक मैंने रिश्वत नहीं दिलाई, तो सब ने कहा कि यह वकील बड़ा खराब है, हाकिम से लड़ जाता है। जब मैंने मुंशी से कह दिया कि अब दो, तो अच्छा वकील बन गया। यह तो कांग्रेसी सरकार का सिस्टम है, तो मैं अच्छा वकील हो गया। आप ईमानदारी से सोचें कि इसका क्या होगा। निःशुल्क सरकारी वकील अभियुक्त को ३०२ में ही तो देते हैं, औरों में तो नहीं देते। ३०४ का ३९५ में अगर कोई गरीब आदमी फंस जाय तो उसके लिये क्या फैसला होगा? इसलिये मैं कहता हूं कि न्याय सस्ता हो, सही हो, पक्षपात और करप्शन दूर हो।

दूसरी बात। फतेहपुर जिले को आपने क्या समझ रखा है? डिस्ट्रिक्ट जजी भी वहां नहीं है। बांदा में दे रखी है जहां की आबादी सिर्फ ७ लाख की है और हमारे यहां ११ लाख की आबादी है। फतेहपुर को तो आप बिल्कुल हाथ उठाने वालों का समझ बैठे थे। इसके अलावा मकान जजेज के लिये नहीं हैं। उनके रहने का ठिकाना होना चाहिये। हमारे जिले में जो सरकारी मकानात बन रहे हैं अफसरों के वे रेलने क्रासिंग से इधर आने चाहिये। जस्टिस मस्ट नाट बी डिलेड, जस्टिस मस्ट बी चीप और जस्टिस मस्ट बी मेंट फार डेमोक्रेसी। न्याय शीघ्र, सस्ता और जनवादी होना चाहिये।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा इरादा बहस में कोई दिलचस्पी लेने का तो नहीं था, लेकिन मैंने यह अनुभव किया कि न्याय प्रणाली का समाज में एक बहुब बड़ा स्थान होता है और उसके ऊपर जो बहस हो रही है वह काफी उखड़ी सी हो रही है, ज्यादा वक्त उस पर लगना चाहिये। ढाई घंटे इस विषय पर देना ही यह बताता है कि हमारी जो प्लानिंग है उसमें इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। सही बाकया यह है कि १५-१६ साल की अपनी आजादी के जमाने में प्रायः हमारी सारी व्यवस्थायें जो हमको मिली थीं वह आज एक संकट के जमाने से गुजरने रही हैं, उन सब में गिरावट आ रही है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हमको मिले थे उनसे जितना काम लिया जा सकता था वह लिया जा चुका है और अब ज्यादा काम करने की ताकत उनकी कमजोर होती जा रही है। इस विषय पर प्रायः सभी गवर्नमेंटों ने सोचा और इस स्टेट नेभी एक कमेटी मुकर्रर की थी जो मुखर्जी कमेटी के नाम से मशहूर थी। उस कमेटी ने बहुत ही व्यावहारिक तरीके से छानबीन की कि क्यों अदालतों में देरी होती है, कैसे भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है, कैसे इंसाफ सस्ता किया जा सकता है। और मेरा खयाल है कि उस कमेटी की बहुत अच्छी सिफारिशें हैं लेकिन मैं रोजाना की जिन्दगी में देखता हूं कि शायद वह सिफारिशें पढ़ी भी नहीं गयी हैं, अमल में लाना तो दूर रहा। उनकी कहीं झलक भी दिखाई नहीं देती। इस सब्जेक्ट के ऊपर उसने भी जानकारी की है।

श्री कमलासिंह यादव—

पोलिटिशियन बनाये जाते हैं, कमेटी की रिपोर्ट के पेज १५८ पर दिया हुआ है कि वे एलूफ रहें।

श्री गोविन्द सहाय—

बहरहाल, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मगर पोलिटिशियंस में एक खूबी जरूर है कि वे एक दूसरे की नस्ल को बर्बाद करने में बड़े एलर्ट रहते हैं। बहरहाल, जहां पोलिटिशियन का दायरा नहीं होना चाहिये वहां उसके रहने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि जुडिशियल स्ट्रक्चर जो हमें मिला हुआ है, वाकया यह है कि वह पुलिस स्टेट की प्रापर्टी की हिफाजत के लिये बना हुआ है। जितने कायदे-कानून हैं, सारा जुरिसप्रुडेंस प्रोटक्शन आफ प्राइवेट प्रापर्टी है। पुलिस स्टेट एक सीमित स्टेट होता है, उसका एक छोटा सा दायरा होता है और उसके लिहाज से यह ढांचा बना हुआ है। अब मुसीबत यह है कि सरकार ने बड़ा फैलाव अपने चारों तरफ कर लिया है और उसके मुताबिक जो हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर है, उसके दिमाग को बदलने का ढंग, उसके सोचने का ढंग, उसका मेंटल ओरिएंटेशन वैसा नहीं है जैसाकि होना चाहिये। लेजिस्लेचर ने कोई कानन पास किया और हमने समझ लिया कि हमारी जिम्मेदारी खतम हो गयी। जैसे इस सदन ने फैसला किया कि जमींदारी खतम होनी चाहिये और जमींदारी खतम करने के कानून को हमने पास कर दिया। लेकिन कानून पास करने से ही कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक जुडिशियरी के अन्दर वह स्पिरिट न हो जिस स्पिरिट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोबिन्द सहाय]

को लेकर यह कानून पास किया गया। जो कानून हमने पास किया है, उसकी झलक जब तक जज या हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसके अन्दर न हो, तब तक हम अपने खयाल से सोच लें कि उसका इंटरप्रिटेशन हमारी स्पिरिट के मुताबिक होगा, सही नहीं होगा। जो कुछ भी कानून लेजिस्लेचर पास करता है उसका इंटरप्रिटशन वकीलों द्वारा हुआ करता है लेकिन जो हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसको सही रास्ते पर लाने के लिये जरूरी है कि उसके पुराने ढांचे को बदला जाय।

आज हमारे प्रदेश की खास तौर से यह बदकिस्मती है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि यहां पावर की छीनाझपटी चल रही है। पोलिटिशियन से बयरोक्रेसी पावर छीन रही है और ब्यूरोक्रेसी से जुडिशियरी पावर छीनना चाहती है। इस तरह से आज मैं यह मानने के लिय तैयार नहीं हूं कि जजेज या जुडिशियरी डिपार्टमेन्ट के लोग पोलिटिक्स के दायरे से कोई बाहर हैं। पोलिटिक्स का दायरा तो दुनिया के मुताबिक होता है और इस तरह से सब में पोलिटिक्स किसी न किसी रूप में आज है। आज ऐसी हालत हो गयी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक खास जीज यह है कि वहां एक सेक्शन जजों का है जो यू० पी० गवर्नमन्ट के खिलाफ कोई केस होने पर सब एक साथ रहते हैं जैसा यह तो होना ही था।

आज हमारे जुडिशियल डिपार्टमेन्ट की यह हालत है। बड़ी मुसीबत की बात यह है कि ये जजेज, वकील और एडवोकेट्स जो हैं वे सोसाइटी के बड़े काबिल लोग समझे जाते हैं और खयाल यह है कि अक्ल जितना भी किसी को हो सकती है, यह वह तबका है जिसके पास बहुत काफी है। इसके अलावा वे काफी शान से रहते हैं, बड़े अन्दाज से बैठते हैं, टीप-टाप सारी चीजें उनके अन्दर हैं जिसका आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जहनियत पर भी असर पड़ता है। जहां भी कहीं पोलिटिशियंस में कोई झगड़ा हो वहां जज की मांग की जाती है, यदि कहीं यूनिवर्सिटी में कोई झगड़ा हो तो वहां भी जज साहबान की खोज होती है,लेकिन चाहे जज साहबान हों, सिविल आफिसरान हों, आई० सी० एस० हों, सब एक ही नस्ल के होते हैं, उनमें कोई खास फर्क नहीं होता। कानून का इंटरप्रिटेशन हर आदमी अपनी अक्ल से करता है। सेक्रेटेरिएट के अन्दर भी जुडिशियल डिपार्टमेन्ट में काफी तोड़ फोड़ हो गया है। पहले यह होता था कि जुडिशियल सेक्रेटरी अपनी टीम खुद बनाता था और जिस जिसको अपने लिये उपयोगी समझता था उसको अपने साथ रखता था। आज की तरह से यह नहीं होता था कि एक को इधर से ले लिया, एक को उधर से ले लिया और उसका एप्वायंटमेंट हो गया। मेरा खयाल है कि आज कानून का जितना मजाक हमारे यहां है उतना और कहीं नहीं होगा। मान लीजिये गवर्नमेन्ट सर्विस में किसी की एंट्री खराब है, उसकी एंट्री में लिखा है कि इसकी इंटेग्रिटी क्वेश्चेनेबिल है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एंट्री दी, चेयरमैन ने एंट्री दी, फिर किसी ने बतला दिया कि अगर जिला परिषद् से इसे पास करवा लो इंटेगरिटी वाली एंट्री जो क्वेश्चनेबिल है वह सेट एसाइड हो जायगी। चुनाचे जिला परिषदमें आ गया और उसने कह दिया कि यह ईमानदार हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

यह कहां का जिला परिषद् है ?

श्री गोविन्द सहाय--

यह बिजनौर का जिला परिषद है। मैं यह बता रहा हूं कि कैसे प्रेशर्स पड़ते हैं। मैंने उस समय जब कि मैं मिनिस्टर था तो चीफ मिनिस्टर को लिखा कि यह अनहोनी बात है। उन्होंने इसको एक्जामिन कराया और उसकी चिप्पी खोल दी गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय यह आर्डर हो गया कि यह गलत काम हुआ है। इसके बाद मेरा जिला वतन हो गया। लोगों को मौका मिला और कोशिश हुई। मुझे पता चलाकि कानून ऐसा हो गया है कि अगर कोई बेईमान आफिसर है और जिला परिषद मैजोरिटी से पास कर दे कि यह बेईमान नहीं है तो उसकी एंट्री रोक दी जाय। यह आर्डर लीगल डिपार्टमेंट से जाता है।

लोगों से पूछा तो मुझे बताया गया कि यह बेवकूफी है लेकिन पता नहीं कि कैसे यह आर्डर हो गया। अब मुझे पता नहीं कि मंत्री जी का डिपार्टमेंट के ऊपर कितना असर है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि एक तरीका यह हो गया है कि जुडीशियल डिपार्टमेंट पर असर डाला जाता है। यह बेजा बात है, जो भी करता हो, मैं करता होऊं या कोई दूसरा करता है तो नहीं करना चाहिये। अगर हमें ट्रेडीशन्स बनानी हैं तो जुडीशियरी की हमें इज्जत करनी चाहिये। जैसे यदि कोई डैमोक्रेसी में यकीन करता है तो उसे पार्लियामेंट की इज्जत करनी चाहिये और अगर कोई धर्म में यकीन करता है तो उसे मंदिरों की इज्जत करनी चाहिये। उसी प्रकार से जुडीशियरी इज्जत का इंस्टीट्यूशन है, उसमें इस तरह की उखाड़ पछाड़ नहीं होनी चाहिये।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यह सवाल इतना आसान नहीं है कि जुडीशियरी को यकायक सस्ता बनाया जा सकता है। जो हमने तजुर्बे किये थे उनके नतीजे अच्छे नहीं निकले। जैसे जुडीशियल मजिस्ट्रेट का हमने तजुर्बा किया। उसके जुडीशियल मजिस्ट्रेट बनाने से वह ईमानदार नहीं हो जाता, वह ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि उसे और सहूलियतें प्राप्त न हों। आज जुडीशियल मजिस्ट्रेट और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें भी छानबीन की जरूरत है।

इसके अलावा मुकर्जी कमेटी की जो अच्छी सिफारिशें हैं उनको अमल में लाना चाहिये वरना इन कमेटियों के बनाने से पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है और ऐसा मालूम होता है कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। जो कुछ किया जा सकता है, उसके करने की कोशिश जरूर की जायेगी।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गोविन्द सहाय जी ने फरमाया कि जुडीशियल स्ट्रक्चर आज बहुत बुरा हो गया है और अंग्रेजी राज्य के जमाने के स्ट्रक्चर की उन्होंने तारीफ की। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अंग्रेजी राज्य में जुडीशियल स्ट्रक्चर बद था जो अब बदतर हो गया है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि उनके जमाने में यह बैड था और अब वह वर्स हो गया है। हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा। यह प्राइवेट प्रापरटीज की हिफाजत के लिये बनाया गया था और जितने फैसले हुये हैं उनमें आप देखेंगे कि वे एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिये हुये हैं। उसी पर चलते चलते हम उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर सकते सारे जीवन के क्षेत्र में जैसे गिरावट आई है, उसी तरह से जुडीशियरी के क्षेत्र में गिरावट आई है और उसके लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट अजेज ने प्रदेशीय सरकार के खिलाफ गुटबाजी कर रखी है। आप जो कायदे कानून बनाते हैं, उसमें यह होना चाहिये कि किस तरह से चले और जुडीशियरी का ढांचा कैसा हो।

श्री गोविन्द सहाय—

श्रीमन्, मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। मैंने कतई ऐसा चार्ज नहीं लगाया। मैंने कहा कि इतने बदल गये हैं जैसे दो इंस्टीट्यूशन में टक्कर हो जाये। एक दिमागी जहन ऐसा हो गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो सवाल यह है कि जो हमारे लेजिस्लेटर लोग हैं—विधान सभा के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से जुडीशियरी का स्ट्रक्चर बनावें। आज जरूरत है कि इंडियन पैनल कोड, ताजीरात हिंद, सिविल प्रोसीजर आदि जो हमारे तमाम कायदे और कानून हैं, जिनकी मातहती से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

अदालतें अपना काम करती हैं वह समयानुसार, बदली हुई परिस्थितियों को देख कर बदले जायं। जिस समय में यह सारे कानून बने थे, तब से आज की हालत में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। जब तक उनमें आमूल परिवर्तन नहीं होता है, तब तक लोगों को सही मानों में न्याय नहीं मिल सकता है। हम देखते हैं कि स्माल काज कोर्ट्स के केसों में भी सालों का समय लग जाता है। जहां तक सस्ता न्याय पाने का सवाल है यह तो स्टेट की प्रायमरी डिवटी है, उसका प्रायमरी फंक्शन है कि हर आदमी को सस्ता न्याय मिले। किन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर हिन्दुस्तान में न्याय सबसे ज्यादा महंगा है। यू० एन० ओ० की रिपोर्ट छपी थी उसमें कहा गया था कि यदि सारी दुनिया में कहीं न्याय सबसे महंगा है तो वह हिन्दुस्तान में है और यदि सारे भारतवर्ष के सारे प्रदेशों का मुकाबला किया जाय तो उनमें उत्तर प्रदेश में ही सबसे महंगा न्याय आपको मिलेगा। ला-कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि यहां पर न्याय सबसे महंगा है।

इतना ही नहीं, यह हमारे लिये इसके अतिरिक्त बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय से कटाती भी है। जितना न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है, उससे ज्यादा विभाग की फीस आदि से सरकार की आमदनी हो जाती है। न्याय प्रशासन में वर्ष ३८ से ४९ में ४७ लाख से ५५ लाख का सरकार को फायदा हो गया है। जो सरकार न्याय के माध्यम से कमाती होगी, उसकी न्याय व्यवस्था कितनी खराब होगी, उसके लोगों का करेक्टर कितना खराब होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। न्याय हमारे शासन का बड़ा ही खास पहलू है। न्यायपालिका का समाज के हर अंग पर असर पड़ता है---हमारी ला एण्ड आर्डर पर, हमारी सभ्यता और संस्कृति पर और हमारे आचार व्यवहार पर उसका असर पड़ता है। इसके अनुदान की मांग पर आधे दिन का समय दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इसको कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि शासन है ही नहीं, क्योंकि शासन का ढांचा न्याय ही है।

दफा ३२३ जो कि गाली गलौज और मारपीट पर लागू होती है एक साधारण दफा है लेकिन इसका समाज पर बड़ा असर है। इसमें साधारण आदमी रोज पिसता है। गांव के आदमी रोज पीटे जाते हैं, लेकिन उनकी कोई इनक्वायरी नहीं कर सकता। स्वतंत्र देश में इस तरह से छोटा आदमी पीटा जाये और कानून उसको उचित संरक्षण न दे सके तो यह हमारे लिये बड़ी ही चिन्ता और शर्म की बात है।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, २-४ जगहों को छोड़ कर बाकी सभी जगह जो भी आपका सड़ा हुआ रास्ता है उस रास्ते के अन्दर वह बड़ी ईमानदारी से इन्डीपिन्डेन्ट तरीके से काम करना चाहती है, लेकिन आप ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण आर० के० नेहरु वाला पढ़ कर आपके सामने सुनाना चाहता हूं, कितनी सफाई से और ईमानदारी से उन्होंने फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने गवर्नर महोदय को आदेश दिया था---जो इस प्रकार है---

"We further issue a writ of mandamus to the Vice-Chancellor directing him to fill up the office of the V.C. in the manner provided by section 11 of the Act. In the circumstances of the case we direct the respondents in the manner other than Sri Sri Prakash to pay the costs of the petition to the petitioner."

श्री अधिष्ठाता---

आपने जो पढ़ा है, उसका अनुवाद कर दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ११ के मातहत हाई कोर्ट ने चांसलर यानी राज्यपाल को आदेश दिया कि आप नया वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नियुक्ति करें लेकिन

चांसलर महोदय बजाय उस आज्ञा के पालन के एक आर्डिनेंस जारी कर देते हैं। अगर इस तरह से इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा डिगनिटरी आदेशों की अवहेलना करता है और उसके खिलाफ अपना आदेश निकालता है और कायदे कानून को तोड़ता है तब तो जुडिशियरी भ्रष्ट होगी, आपका जुडीशियल आफिसर भ्रष्ट होगा, सारे लोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करेंगे। मैं कहता हूं कि न्याय पर आज कुठाराघाट करने के लिये जिम्मेदार सिर्फ यह सरकार है और उसका न्याय मंत्री। जुडीशियल आफिसर्स की नियुक्ति किस तरह से होती है? हुकुम कुछ होता है, पेशकार बयान कुछ लिखता है। मैजिस्ट्रेट के आदेश की इज्जत क्या? आनरेरी मैजिस्ट्रटों की नियुक्तियां होती हैं किस तरह से? जज में पालिटिक्स नहीं है पालिटिक्स तो हम लोग उनके अन्दर डाल रहे हैं, यह सरकार डाल रही है, इस सरकार ने न्याय के अन्दर गुटबन्दी कायम की है। अपने सगे सम्बन्धियों को, रिश्तेदारों, जो मुल्क के शान को रिश्वत दे सकते हैं उन्हीं को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान की किस धारा के अन्तर्गत आपने इलाहाबाद में एक अतिरिक्त ऐडवोकेट जेनरल, शशिभूषण अग्रवाल को कायम किया है। संविधान में स्पष्ट है कि एक ही ऐडवोकेट जेनरल होगा, लेकिन आपने एक अतिरिक्त ऐडवोकेट जेनरल भी कायम कर दिया। इसलिये कि वह किसी बड़े के सगे सम्बन्धी हैं। सारा काम, सारा ढांचा, सारी नियुक्तियां इस राज्य में इसी आधार पर हो रही हैं चाहे वह न्याय विभाग हो, चाहे एक्जीक्यूटिव का कोई विभाग हो। अगर इस तरह की पद्धति चलाते रहोगे तो न्याय नहीं हो सकता।

हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियां, आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां जिलों से सिफारिश आती है कि फलां को सजा हो चुकी है, वह बेईमान है उसकी नियुक्ति न हो लेकिन ऐसे लोग हर जिले में हैं और उनको मैजिस्ट्रेट बना दिया गया है। मैं चाहूंगा कि १७, १८ सालों के तजुर्बे के बाद जो अंग्रेजों के न्याय का बेहूदा तरीका है, उसको बदलिये। अगर आप सही तरीके से समाज को ले चलना चाहते हो तो आपको आमूल परिवर्तन करना होगा। सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य है कि हर सीधे-सादे गरीब आदमी को सस्ता न्याय सुलभ करावे। दुनिया के तमाम लोग संकेत करते हैं कि हिन्दुस्तान में सबसे मंहगा न्याय है। ताजीरात हिन्द, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सभी में आमूल परिवर्तन करना होगा तब जाकर इस देश के अन्दर अमन चैन और व्यवस्था कायम होगी; नहीं तो जो सड़ा गला ढांचा चला आ रहा है वही चलता रहा और आपने जुडीशियरी को कंट्रोल न किया और साधारण आदमी के लिये सस्ता और सुलभ न्याय नहीं हुआ तो एक न एक दिन जनता उखड़ेगी और कचहरियों को तोड़ेगी, एक्जीक्यूटिव को तोड़ेगी, उसको उखाड़ कर फेंकेगी और वह बग़ावत के रास्ते पर चलने लगेगी।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कमला सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अगर यह कहा जाय कि प्रदेश के अन्दर न्याय बिकता है तो इसमें अत्युक्ति नहीं होगी। अदालत में नीचे से लेकर ऊपर तक यही स्थिति आज पैदा हो गई है। अभी माननीय दीप नारायण सिंह जी ने बताया यह बिलकुल सत्य है और स्थिति इसी प्रकार की है। अदालत में यह स्थिति पैदा हो गई है कि सब जगह न्याय बिकने की प्रवृत्ति हो गई है आनरेरी मैजिस्ट्रेट की अदालतों से लेकर ऊपर की अदालतों तक इसी आधार पर निर्णय होते हैं। सब जगह पक्षपात की बात कही जाती है। जो न्याय चाहने वाली जनता है, उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेल के मामले में यह हालत है कि अगर एक आदमी किसी की बेल की दरख्वास्त मूव करता है तो उसकी खारिज हो जाती है लेकिन अगर उस बेल को कोई खास आदमी मूव कर दे तो वह मंजूर हो जाती है। पता नहीं इसमें क्या बात पैदा हो जाती है। हो सकता है कुछ देने लेने का प्रश्न ही इसके अन्दर रहता हो। बाज आदमी की जमानत अगर आई है तो उसके वैरिफिकेशन में बहुत समय लग जाता है और १५, २० दिन तक उसको

[श्री रूपानसिंह]

जेल के अन्दर सड़ाया जाता है। इस विषय में जनता को बहुत कष्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं सरकार इस तरफ ध्यान दे।

जहां तक लंच का सवाल है, सब जगह यह बात हो गई है कि जो लंच पर जाते हैं, उसका पता नहीं होता है कि कितने समय का लंच होगा। उनका लंच घंटों चला करता है। १२।। बजे से २ बजे, ३ बजे, ४ बजे तक चलता है। कहीं कहीं तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ४।। बजे पेशकार से कह देते हैं कि तारीख दे दी जाय अब काम नहीं होगा। यह विचित्र स्थिति है। सवेरे से आकर लोग अपने केस की प्रतीक्षा करते रहते हैं और अन्त में ५ बजे उनको इस प्रकार से कह दिया जाता है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिये। इस तरह से केस रखने चाहिये कि जितने गवाह उस दिन के लिये काफी हो सकते हैं उसका निश्चित कोटा मुकर्रर किया जाय तो अच्छा होगा।

जहां तक जुडिशल विभाग का सम्बन्ध है, उस विषय में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं। इनका विभाग यदि कोई बिल बनाता है तो उसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसमें कमी रह जाती है। जब वे सदन के अन्दर बिल आते हैं तो यहां पर विरोधी पक्ष की ओर से यह बतलाया जाता है कि इसमें यह गलती है इसको दूर करना चाहिये लेकिन यहां पर यह परम्परा पड़ गई है कि विरोधी पक्ष की बात को सुना नहीं जाता है। जब वे बिल यहां से पास होकर हाई कोर्ट के समक्ष जाते हैं तो वहां पर रद्द हो जाते हैं। रद्द होने के बाद हाई कोर्ट का जो निर्णय होता है उस निर्णय को समाप्त करने के लिये यहां पर फिर उनमें संशोधन लाये जाते हैं। यह विचित्र स्थिति इस प्रदेश के अन्दर उपस्थित है कि हाई कोर्ट यदि किसी काम को गलत बताता है कि ऐसा जो किया गया है वह ठीक नहीं है तो उसके लिये यहां वैधीकरण का प्रस्ताव लाया जाता है। अगर इस काम को सही रूप में दोनों संगठन करें तो यह विवाद कम हो सकता है।

एलेक्शन पिटीशन के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि इनका निर्णय होते होते बहुत अधिक समय लग जाता है। इसकी तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये कि ६ महीने के अन्दर उनका फैसला हो जाय। अगर आप देखें तो मालूम होगा कि प्रदेश के अन्दर कोर्ट में जो विधान सभा या लोक सभा के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद गये हैं तो आधे से अधिक समय लग जाता है। कुछ में ऐसा हुआ है कि २।। साल में प्रारम्भिक कार्यवाही भी नहीं हो पाई तो अन्त में उनको वापस करना पड़ा। उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था तो इस वजह से वह क्या करते? ऐसी हालत में उनको वापस करना पड़ा। १।। साल होने को आया म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो गये। माननीय मंत्री जी के जिम्मे ट्रिब्युनल अप्वाइन्ट करने का काम था लेकिन उसमें इतनी देर हुई कि जो म्युनिसिपैलिटी के पिटीशन थे उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति प्रदेश में उत्पन्न है। उसकी ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और पिटीशन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से व्यवस्था होनी चाहिये कि उस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र दिया जाय। इन बातों को कहते हुए मैं कटौती के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया और अपने विचार स्पष्ट किये हैं मैं उनका आभारी हूं। माननीय रावत जी ने रिट पिटीशन के बारे में कहा कि उसमें लोग अधिक से अधिक जाते हैं हालांकि उस की कोर्ट फीस बढ़ा दी गयी है। मैं रावत जी को बताना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी यहां मौजूद हैं, उन्होंने कोर्ट फीस लोगों से ली और कंसालिडेशन करने की फीस भी लोगों से ली। अंग्रेजों के जमाने के जो रेकार्ड थे, जो नक्शे थे उनको ठीक न करके उन गरीबों की बहुत सी जमीन बड़े काश्तकारों ने हड़प ली।

लेकिन पहले जिस रिट की फीस ५ रुपया थी उसे आपने बढ़ा कर ५१ रुपया कर दिया। अब आप सोचिये कि वह गरीब आदमी कि जिस की जमीन छीन ली जाय, पुश्त दर पुश्त के लिये उसे नेश्त-नाबूद कर दिया जाय उसे कम से कम रिट की रिलीफ तो मिलनी ही चाहिये और ऐसे मामले में तो उसे फ्री रिलीफ होनी चाहिये। मैं नहीं कहता कि आप मुकदमें बढ़ाने को प्रोत्साहन दीजिये, लेकिन जिनकी ग्राउन्ड्स पक्की नहीं होगीं उनको कोई रिलीफ मिलेगी नहीं। लेकिन जहां स्पेशल ड्राइव हो मुकदमों की सुनवाई का, एक साथ एक दिन में ५, ६ सौ मुकदमें फैसल किये जायं उनके लिये ही रिट बना हुआ है। अगर आप यह चाहते हैं कि लोग ऊपर की अदालतों में रिलीफ न सीक कर सकें तो अच्छा यह होगा कि जितने मुकदमें आप के हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, उनको एक ही आर्डर से खत्म कर दीजिये। मैं समझता हूं कि सब से बढ़िया यह तरीका होगा और आगे के लिये भी लोगों का रास्ता साफ हो जायगा।

एक बात और मैं आप के द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि १९६३ में आपने उत्तर प्रदेश के सिविल लाज बनाये। उसके जरिये आपने हाई कोर्ट को पावर दी है कि धारा २४ में जो केसेज १०-हजार की वैलुयेशन के हैं उनको वे डिस्ट्रिक्ट जजेज के यहां ट्रान्सफर कर दें। शायद मंत्री जी का ध्यान इस तरफ नहीं गया है कि डिस्ट्रिक्ट जजेज के यहां कितनी फाइलों का ओवर-लोडिंग पहले से ही है। और यह सूचना भी मंत्री जी न हम लोगों को कभी नहीं दी कि जिला जजों के यहां कितने केसेज पेंडिंग हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मंत्री जी केवल यह पता लगादें कि कितने केसेज कमिट होते हैं लोअर कोर्ट्स से और ए० डी० एम० या दूसरे जजेज के जरिये डिस्ट्रिक्ट जज के यहां, तो उस से कुछ अन्दाजा लग जायगा। आप की सन् ६०, ६१, ६२, ६३ हर साल की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां काम बहुत ज्यादा है। मैं मंत्री जी का ध्यान सी० आर० पी० सी० की दफा २०७ की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मंत्री जी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वह सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकते हैं कि इसमें वह कोई सुधार करे। १९६२ की एक रूलिंग आई है कि जो ए० डी० एम० जे० है या जो कमिटिंग मैजिस्ट्रेट होता है वह जुडिशियल डिस्क्रिशन नहीं ले सकता, जो केसेज कमिट होने लायक हैं उनमें तो अगर जुडिशियल डिस्क्रिशन ए० डी० एम० जे० को दे दिया जाय तो बहुत से मुकदमे जो सेशन कोर्ट को कमिट किये जाते हैं वह शायद न हो और इस तरह सेशन जज की फाइल हल्की हो सकती है और इस तरह से पैसा जो हमारे देश का बरबाद होता है कि झूठे केसेज जहां पर कि एवीडेंस नहीं है उनके लिए मजबूर हैं ए० डी० एम० जे० कि उनको सेशन कमिट करें क्योंकि प्राइमा फैसी एवीडेंस का सवाल आता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन कोर्ट में जो केसेज जा रहे हैं या कमिट किये जा रहे हैं जब कोई भी कनविक्शन के लायक एवीडेंस न हो तो उनको जूडीशियल डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने का हक दिया जाय...

श्री अधिष्ठाता---

आप ५ मिनट में भाषण समाप्त कर लें तो अच्छा है।

श्री कमलासिंह यादव---

ठीक है। तो २०७ में कोई अमेंडमेंट के जरिये से कोई ऐसी पावर सरकार सजेस्ट करे तो सुधार हो सकता है। एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि प्लीडर लोग काबिल लोग समझे जाते हैं। हाई कोर्ट रूल्स जो प्लीडर्स की फीस के हैं उसमें देखें तो साढ़े सात परसेंट फीस है उनकी और क्लार्क की उसकी ५ परसेंट है---यानी साढ़े सात परसेंट की ५ परसेंट यानी वह एक रुपया पड़ेगी। तो कितना रिम्युनरेशन आपने रिकाग्नाइज किया है? मैं समझता हूं कि इनमें भी थोड़ा अमेंडमेंट और सुधार होना चाहिये और १४५, १४६ जा० फौ० को अपीलेबुल बनाया जाय।

[श्री कमलासिंह यादव]

चूंकि इस बजट में पे रेशनलाइजेशन का भी जिक्र है, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो असिस्टेंट मुंसरिम, रीडर और दूसरे क्लार्क्स होते हैं उनकी सब की तनख्वाह १२० से २२० कर दी गयी है। यही असिस्टेंट मुंसरिम की भी रखी है जो सुपरवीजन का काम करता है। नतीजा यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं है। जो सुपीरियर आफिसर है उसकी तनख्वाह में थोड़ी तो बढ़ोत्तरी होनी चाहिए चूंकि पे ही सुपीरियारिटी की निर्णायक होती है। तो इस तरह से पे स्केल में सुधार हो। तीसरी चीज यह है कि मुंसरिम जो सेशन या डिस्ट्रिक्ट जज का होता है उसकी तनख्वाह २२५ से ३२५ कर दी गयी है। कलेक्टरी का जो सुपरिन्टेन्डेन्ट होता है उसकी ३०० से ४०० रखी गयी है जब कि मंसरिम की केवल २५० से ३२५ तक है। तो इस तरह की चीजों में सुधार होना चाहिए।

एक चीज के लिए मैं बधाई दूंगा पे रेशनलाइजेशन कमेटी को कि अप्रेंटिस की तनख्वाह बहुत कम थी—४० रुपया—उसमें कम से कम उन्होंने ७५ रुपया कर दिया। लेकिन साथ ही साथ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अपरेंटिस ७ साल के बाद कनफर्म होते हैं

पी०आर० सी० ने उनके इंक्रीमेंट्स के बारे में कुछ नहीं किया है, सरकार को उस पर विचार करना चाहिये और उनकी बढ़ोत्तरी अन्य क्लर्कों की भांति ही होना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मुंसिफ और सिविल जजों का पे स्केल एक ही है। मुंसिफ अगर सिविल जज हो जाय तो सरकार को उसे कुछ स्पेशल एलाउन्स देना चाहिये।

इसके अलावा जो जुडिशियरी के कम्पीटीशन्स होते हैं, उसमें जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वे तो उस कम्पीटीशन्स में भाग ले सकते हैं, परन्तु मुंसिफ उसमें भाग नहीं ले सकते। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये और मुंसिफों को भी कम्पीटीशन्स में भाग लेने का अधिकार होना चाहिये।

जैसा कि हमारे भाई काशीनाथ जी ने कहा, श्रीमन्, सन् ३० में एक अंग्रेज ने कहा था कि जब कानून भंग करने वाले कानून भंग करने की प्रवृत्ति देश भर में फैलायेंगे तो अगर कहीं उनक हाथों में राज्य चला गया तो वे अपनें राज्य को कायम रखने क लिये कानूनों की होली खेलने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। चंकि श्रीमन्, गांधी जी ने कानून तोड़ने का एक रास्ता अपनाया, सरकार आज तक उसी रास्ते को ठीक नहीं कर पायी। बंगाल में आपने देखा क्या हुआ, और जगह भी आप देख रहे हैं कि यह सरकार अपना राज्य कायम करने के लिये किस तरह से कानूनों की होली खेल रही है।

एक बात मैं ड्राफ्टिंग के सिलसिले में और कहना चाहता हूं। ड्राफ्टिंग हमारे यहां से इतनी गलत होती है कि उसके लिये हाई कोर्ट से तमाम स्ट्रिक्चर्स तक पास हुये हैं। कई एक्ट्स में, श्रीमन्, हमने देखा कि गलत ड्राफ्टिंग के कारण कितनी परेशानी हुई है। ड्राफ्टिंग की गलती के ही कार एक दार इलैक्शन पिटीशन का मुकदमा पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां भेजा गया फिर एस०डी०ओ० के यहां भेजा गया। हमारी सरकार का जो ड्राफ्टिंग का मुहकमा है वह बहुत कमजोर है और उसका कारण यह है कि योग्य व्यक्तियों को उसमें नहीं रखा जाता। जो लोग बाहर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जो ड्राफ्टिंग में दक्ष हैं, उनको सरकार को इस विभाग में रखना चाहिये। एक आदमी को सरकार ने अमेरिका उसीकी ट्रेनिंग के लिये अपने खर्चे पर भेजा, जब वह वापस आया तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज बना कर दूसरी जगह भेज दिया, उससे वह काम नहीं लिया जिस काम की उसको ट्रेनिंग मिली थी। अच्छे से अच्छे आदमी हमारे सेक्रेटरिएट में पड़े हुये हैं, जो ड्राफ्टिंग की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, ऐसे आदमियों को अगर इस विभाग में रखा गया तो यह ड्राफरटिंग विभाग सुधर सकता है। इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया और अपने अहम सुझाव दिये। जिन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं, उनको नोट कर लिया गया है, सरकार उन पर विचार करेगी और जो भी सुझाव ठीक होंगे उन पर अमल भी किया जायेगा।

पहली बात तो जिस पर माननीय कमला सिंह जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत जोर दिया वह है जुडिशियरी के सैपरेशन की। हमारे सूबे में एक तरह से सेपरेशन १९५५ में कर दिया गया। एक काडर अलग से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का बना दिया गया था, जिनके मुताल्लिक यह काम था कि वे उस किस्म के मुकदमे जो मैजिस्ट्रेट के होते हैं करें। उनको किसी हद तक मैजिस्ट्रेट से अलग कर दिया गया था। एक विचारधारा इस सूबे में यह थी कि यह जो हमने किया है वह ठीक किया है और काफी है और जैसा कांस्टीट्यूशन में लिखा गया है कि सैपरेशन होना चाहिये वह सैपेरेशन हो गया। लेकिन यह मामला ला कमीशन के सामने गया, उसने गौर किया और उसकी यह राय थी कि यह कोई सैपेरेशन नहीं है। सैपेरेशन के माने यह हैं कि जो मैजिस्ट्रेट जुडिशियल वर्क करे उस मैजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट के मातहत होना चाहिये और उसको पूरा अधिकार होना चाहिये, तभी वह सैपेरेशन होगा। चुनांचे यह भी सही है कि बहुत से सूबों में, और हमारे आस-पास के सूबों में भी सेपरेशन हो चुका है लेकिन अभी इत्तिफाक से शायद तीन सूबे बाकी रह गये हैं जहां सैपेरेशन नहीं हुआ। मैंने यह समझा था कि जो सैपेरेशन है वह सही मानों में नहीं है जिसका मकसद कांस्टीट्यूशन में दिया गया है। मुझे याद है मैं सन् ६५ के शुरू में कलकत्ता गया था। वहां के ला मिनिस्टर से बातचीत की थी और उन्होंने मुझे बहुत से कागजात दिये थे और यह कहा था कि हम अप्रैल से सैपेरेशन करने जा रहे हैं और उन्होंने पूरी स्कीम सैपेरेशन की तैयार कर दी थी और ऐसा मालूम हुआ था कि शायद सैपरेशन अप्रैल में हो जायेगा। मगर कुछ ऐसा हुआ कि वह सैपेरेशन न वहां हुआ और न यहां हुआ। कुछ विचारधारा जरूर है कि क्राइम जब तक बढ़ता चला जा रहा है तो उस वक्त सैपेरेशन का करना शायद ऐसा हो कि क्राइम काबू से बाहर हो जाय। हमारा पहला फर्ज यह है कि क्राइम अपने सूबे में कम हो। लेकिन बहरहाल यह विचारधारा है। लेकिन यह वजह नहीं है जिसकी वजह से सैपेरेशन नहीं हुआ। उस पर गौर हो रहा है और यह खयाल किया जा रहा है कि सैपेरेशन होना चाहिये और मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में कुछ न कुछ कार्यवाही की जावेगी। उसमें कितनी देर लगेगी यह कहना मुश्किल है क्योंकि यह बड़ा काम है और इससे बड़ा भारी परिवर्तन होगा। यह तो माननीय सदस्य जानते हैं कि सन् ६३ से करीब-करीब इमरजेंसी चल रही है। मैंने तो इसरार किया कि होना चाहिये पर गवर्नमेंट कहती है कि 'लेट अस वेट टिल दि इमरजेंसी फिनिशेज'। लेकिन जहां तक वसूल का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है कि सैपेरेशन होना चाहिये और उसी तरह से होना चाहिये जिस तरह से ला कमीशन ने कहा है।

दूसरे कहा गया है कि हमारी जो जुडिशियरी है वह एक्सपैन्सिव है और मुकदमों में ज्यादा खर्च हो रहा है। माननीय सदस्य जानते हैं कि जहां तक कोर्ट फीस का ताल्लुक है, इसका फैसला फाईनेंस डिपार्टमेंट में होता है। जिस जमाने में मेरे पास डिपार्टमेंट था मैंने देखा था और मुझे यह महसूस हुआ कि हमारे यहां यू० पी० की जो कोर्ट फीस हैं, मुमकिन है, मुझे मालूम नहीं राजस्थान से सन् ५२ की फिगर्स से ज्यादा रही हों लेकिन उसके बाद से करीब-करीब वही हैं। उनमें और हमारे यहां जो फीस रक्खी गई है, ज्यादा अन्तर नहीं है। इसके अलावा इन पर फाईनेंस डिपार्टमेंट में गौर किया जाता है और वहीं फैसला किया जाता है। जब मैंने एक कानून इस सिलसिले में पास किया था तो मैंने बताया था कि यहां इतनी है इसलिये हम बढ़ा रहे हैं। अब रह गया यह कि हमारे यहां लिटीगेशन बढ़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत से मुकदमे लोग, यह समझते हुये कि यह कामयाब नहीं होगा, महज यह सोचकर कि दूसरे फरीक को परेशान करना है, उसका कुछ पैसा खर्च कराना है,

[श्री सैयद अली जहीर]

बिलकुल फ़िवलस दायर कर देते हैं। इस तरह के मुकदमों को रोकने के लिये सिवाय कोर्ट फीस बढ़ाने के और कोई इलाज नहीं है। रिट एप्लीकेशंस के बारे में अपको मालूम है कि पहले महज ५ रुपये में हाई कोर्ट में रिट फाइल हो जाया करती थी। मगर हाई कोर्ट के जजेज ने कहा और हमने भी देखा कि इतने बेतहाशा रिट्स हो रहे हैं कि जिस की कोई हद नहीं है। हमने ५ रुपये से बढ़ाकर ५० रुपये किया लेकिन उससे भी कोई ज्यादा रुकावट नहीं आई है। अब यह सोचा जा रहा है कि उसे बढ़ा कर १०० रुपये या कुछ किया जाय। जब वह तय होगा आपके सामने आवेगा।

यू० पी० में हाई कोर्ट के जजेज की तादाद ३९ हो गई है। ३८ का तक़र्रूर हो गया है। बावजूद इसके दायरे से फैसले हुए मुकदमों की तादाद कम रही है। सन् ५९ में ३०,००० मुकदमें दायर हुए और २८,००० फैसले हुए। सन् ६० में २९,००० दायर और २७,००० फैसले हुए। ६१ में ३१ हजार दायर और २९ हजार फैसल हुए। सन् ६२ में ३१ हजार दायर और २७ हजार फैसले हुए। सन् ६३ में ३५ हजार दायर हुए और २७ हजार फैसले हुए। ६४ में ३७ हजार दायर हुए और ३१ हजार फैसल हुए। सिर्फ सन् ६५ में आकर, फार दी फर्स्ट टाइम, ३७ हजार का दायरा रहा और ३८ हजार का फैसला हुआ यानी फैसला दायरे से ज्यादा रहा। यह हालत है बावजूद इतनी कोर्ट फीस बढ़ने के। हाई कोर्ट के बकाया, सिविल और क्रिमिनल्स मिलाकर, ६५,८१३ है सन् ६५ के आखिर में जो पैन्डिंग थे। अब आप खुद गौर करें कि अगर हम कोर्ट फीस कम कर दें या अबालिश कर दें तो क्या हालत होगी। १००, २०० या ५०० जज मुकर्रर कर देंगे तब भी ये झगड़े खत्म नहीं होंगे। रहा सवाल गरीबों का, सरकार ने उनके लिये पंचायतें बनाई हैं। ज्यादातर गांवों के लोग ही गरीब होते हैं जो वहां अपने फैसले करा सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

१०९ और ११० अबालिश करा दीजिये। आप तो जानते हैं कि वे बिलकुल झूठे मुकदमें होते हैं।

श्री सैयद अली जहीर—

माननीय सदस्य जानते हैं कि वे खास हालात में और खास जरूरतों के लिये दायर किये जाते हैं। बदकिस्मती से वे हालात और सूरत अब भी मौजूद हैं। वरना खुली हुई बात है कि कोई भी १०९ और ११० नहीं चलाना चाहता है।

यह शिकायत है कि मुकदमें छूट जाते हैं। कई बार इस पर गौर किया गया। होता क्या है, मैं जानता हूं और माननीय सदस्य भी जानते होंगे। सिर्फ यही नहीं होता है कि सिर्फ इन्नोसेन्ट आदमी ही छूट जायं बल्कि अक्सर और ज्यादा औकात ऐसा होता है कि अगर कोई मुल्जिम असरदार है या असरदार गिरोह का है तो वे लोग इस तरह का दबाव डालते हैं और ऐसे तरीक़े अख्तयार करते हैं कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाता है। अदालत अगर जानती भी है कि इसने जुर्म किया है मगर एवीडेन्स न होने पर उन्हें छोड़ देना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि लोग जानते हुए दबाव से या यह कि हम बुरे क्यों बनें, गवाही देने के लिये तैयार नहीं होते हैं। ऐसे केसेज मेरे इल्म में आये हैं कि किसी का अजीज कत्ल हुआ, उसके दुश्मन मालूम हैं जिन्होंने कत्ल किया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया लेकिन जब गवाही का वक्त आया तो उस वक्त अजीज ही बदल गये। बहुत से यह समझते हैं कि मरने वाला तो चला गया, अब हम क्यों दुश्मनी मोल लें, कहीं हमको भी न मार डालें, और कहीं पैसा लेकर गवाह अपना बयान खराब कर देते हैं। जब मुकदमें छूट जाते हैं उनके लिये न सरकार कुछ कर सकती है, न पुलिस कुछ कर सकती है और न अदालत ही कुछ कर सकती है। अपने देश के चरित्र को ऊंचा करना होगा। हजारों केसेज ऐसे होते हैं आपको मालूम होगा, कि किसी आदमी के पास

लाठी या बन्दूक है भरी हुई, जिसमें शायद एक ही कारतूस भरा हुआ है, वह किसी को मारता है और घड़ल्ले के साथ वहां से चला जाता है, कोई उंगली तक नहीं हिलाता है कि उसे पकड़ने की कोशिश करे। दाद देता हूं मैं उन लड़कों को जिन्होंने अभी दिल्ली में मोटर पर मीलों पीछा करके उस आदमी को पकड़ा जिसने कत्ल किया था। यह हिम्मत आम तौर से लोगों में होनी चाहिये, मगर नहीं है। लोग देखते रहे हैं, कत्ल होता रहता है और वे सोचते हैं कि हम क्यों झगड़े में पड़ें, लड़ रहे हैं या मार रहा है तो मारने दो। यह जजबा देश का दुश्मन है। आप जानते हैं कि गिरोहबन्दी हो जाती है। किसी ने गुनाह किया तो एक गिरोह ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा गिरोह कहता है कि महज गिरोहबन्दी की वजह से इसका नाम लिया जा रहा है। पंचायतों के इलैक्शन खत्म हो जाते हैं लेकिन बरसों तक उनकी लड़ाइयां और दुश्मनियां चलती हैं। कोई कत्ल हुआ तो उन्होंने कहा कि पंचायत का मामला है और दुश्मनी में गवाही दे रहा है। यह तो मान लिया जाता है कि झगड़ा हुआ लेकिन कौन सच है, और कौन झूठ है, वह तय करना अदालत के लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने कुछ जजेज के एप्वाइन्टमेन्ट की बात कही। हाई कोर्ट के जजेज गवर्नमेन्ट आफ इंडिया मुकर्रर करती है। हमारे यहां से सिर्फ सिफारिश जाती है। इस सिफारिश को कभी वे मानते हैं और कभी नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो दूसरा नाम भेजा जाता है। इसी तरह से जुडीशियल आफीसर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं और फिर वे भी हाई कोर्ट के अन्डर रहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जिनका रिकार्ड अच्छा नहीं होता वे आगे नहीं बढ़ पाते इस में भी सरकार की कोई खराबी नहीं है। असली बात तो सिस्टम की है। हमारे देश में कुछ ऐसी भावनायें हैं जिनकी वजह से यह खराबी पैदा होती है। इस वजह से उम्मीद यह की जाती है कि जैसे जैसे ये खराबियां दूर होंगी, जैसे जैसे हमारा चरित्र ऊंचा होगा ये सब शिकायतें भी रफा होती जायंगी।

(इस समय २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

माननीय काशीनाथ जी ने शिकायत की कि हमारे यहां का प्रोसीजर गलत है, बाहर का है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने ला कमीशन मुकर्रर कर रखा है। वह बराबर इस बात पर गौर किया करता है कि हमारे यहां कानून का जो सिस्टम चल रहा है उसमें क्या तरमीमात की जायं। आप यह जानते होंगे कि हमारे यहां बदकिस्मती से कोई पुराना ऐसा पूरा न्याय का सिस्टम नहीं था। बहुत जमाने पहले जब वैदिक जमाना था तो मनुस्मृति के मुताबिक न्याय होता था। फिर राजे महाराजे अपने-अपने लिहाज से फैसले किया करते थे। उसके बाद मुसलमानों का राज्य आया। उन्होंने अपने कानून बनाये जिनके मुताबिक किसी का हाथ काट दिया जाता था और कभी-कभी आदमी को जान से भी मार दिया जाता था। लेकिन यह जो मौजूदा कानून है, यह जो न्याय का सिस्टम है, यह १००–१५० सालों से अंग्रेजी जमाने से चला आ रहा है। इसमें चेन्ज करने के बारे में हमने कई बार सोचा लेकिन आम आदमी का यही खयाल है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिये सोचने के बावजूद भी पुराना और कोई सिस्टम न होने की वजह से चेन्ज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब कभी अदालत के बाहर बात होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि यह अदालत थोड़े ही है, यहां तो सच बोलो यानी अदालत में जाकर झूठ बोलना मानो जायज हो। इस तरह अदालत के हिसाब से जो कानून बनाया जाता है वह इस तरह का होता है कि उसमें झूठ सच मिला हुआ होता है। लेकिन फिर किया भी क्या जाय? जितने भी बड़े-बड़े विचार करने वाले लोग हैं वे यह समझते हैं कि इस सिस्टम आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में चेन्ज भले ही चाहे जो कुछ करना पड़े, यही एक ऐसा सिस्टम है जिसको अपनाया जा सकता है और दुनियां में इसकी रेस्पैक्ट है जिसमें सबके लिये प्रोटेक्टिव राइट्स हैं। गो कि लोगों को इस सिस्टम के लिये कोई खास रेस्पेक्ट नहीं है फिर भी लोग यह समझते हैं कि अगर किसी सिस्टम से न्याय मिल सकता है तो इसी सिस्टम से मिल सकता है। यह हमारी

[श्री सैयद अली जहीर]

न्याय पंचायतें बनी हैं, कोई मनाही नहीं कि आपस के झगड़े न्याय पंचायतों में न ले जायं, उनसे अपने फैसले न करा लें। उसमें न क़ोर्टफीस लगती है न वकील ही करने पड़ते हैं लेकिन लोग नहीं जाते और एक आदत-सी हो गई है कि अदालत से ही फैसला करायेंगे और मुन्सिफ के फैसले से उनको सन्तोष हो जायगा। उनसे कहा जाय कि बड़े से बड़े वकील को ही सालिस मान लो और उससे फैसला करा लो, लेकिन वह भी मंजूर नहीं होता।

कोर्ट फीस के बारे में मैं इतना और कहूंगा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि क़ोर्टफीस कम कर दी जाय। मुकदमों की तादाद की बात भी जाने दें, तब भी उससे मुअक्किल का फायदा नहीं होगा, वकीलों का लाभ जरूर होगा, वह रुपया कोर्टफीस से जो मुअक्किल का बचेगा वह वकील साहब ऐंठ लेंगे और मुवक्किल का खर्च उतना ही होगा। इस तरह से इस फीस के घटाने से मुवक्किल का कोई लाभ होने वाला नहीं है।

एक सवाल यह उठाया गया कि अदालत का कोई फैसला हो जाता है तो उसके ऊपर आर्डिनेन्स ले आया जाता है और अदालत के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। जब सरकार कोई कानून बनाती है तो उसकी एक मन्शा होती है और यह लेजिस्लेचर अपने उस मंशा को कानून की शक्ल में शब्दों में रखता है लेकिन अगर कोई मामला अदालत में जाता है तो अदालत कभी-कभी उन शब्दों के माने दूसरे लगाती है और जो मंशा लेजिस्लेचर होता है, उसको वह नहीं मानती और वह माने किस तरह से लगाते हैं यह अलग-अलग क़ेसेज पर मुनहसर होता है, वह कोई आखिरी चीज नहीं होती.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

इलाहाबाद के वाइस चान्सलर के मामले में साफ हाई कोर्ट के वर्डिक्ट होने के बाद आर्डिनेन्स का क्या स्थान था जब कि निर्णय हो चुका था ?

श्री सैयद अली जहीर—

उसका साफ जवाब यह है कि क़ोर्ट ने जो आर्डर किया वह अपने ही बने हुए यहां के कानून के मुताबिक किया। उसमें था कि चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट के नामिनी होंगे, तो सवाल यह पड़ा कि इन शब्दों के अनुसार वह खुद अपने को भी नामिनेट कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने यह अर्थ लगाया कि वह अपने को नामिनेट नहीं कर सकते। गवर्नमेन्ट यह समझती थी कि इस नामिनेट करने के अधिकार के अन्तर्गत वह अपने को भी नामिनेट कर सकते हैं। जब फैसला उस तरह से हो गया तो हमने आर्डिनेन्स निकाल कर यह कर दिया कि वह अपने को भी नामिनेट कर लें तो वह भी जायज है, किसी भी कानून की सफाई करना या उसको बदलना लेजिस्लेचर का अधिकार है...

श्री कमलासिंह यादव—

जहां पर आपने हाई क़ोर्ट के जज को रखा है वहीं आप लिख देते कि जज आफ हाई क़ोर्ट आर हिज नामिनी। लेकिन वह ड्राफ्टिंग इतनी गलत है कि साफ नहीं होता था।

श्री सैयद अली जहीर—

ड्राफ्टिंग करने वाले तो यह समझते थे कि इन शब्दों से ही वह अपने को भी नामिनेट कर सकते हैं। फिर यह कोई नई चीज नहीं है, आर्डिनेन्स भी निकला तो वह फिर सदन के सामने आया, हमने उसको कोई घर में तो नहीं छिपाया, हाउस ने जिस पर स्वीकृति दी वही चीज कानून बनी। इससे यह जाहिर नहीं होता कि सरकार कानून की परवाह नहीं करती। आये दिन जो होता रहता है आप जानते हैं, रोज सरकार के खिलाफ रिट होते हैं, रोज जिला परिषदों के अध्यक्ष निकाले जाते हैं, गवर्नमेन्ट के हुक्म भी रद्द होते रहते हैं। तो जहां तक अदालत का ताल्लुक

है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार के ३ सतून (पिलर्स) हैं। जुडीशियरी भी एक पिलर अपनी जगह पर है। तो यह समझना कि हम इन्टरफियरेन्स करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सब की रिसपेक्ट करते हैं लेकिन बहरहाल अगर हम यह समझते हैं कि हमारी मंशा सही है और उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है तो सदन को अख्तियार है बदलने का।

एडवोकेट जनरल के बारे में यहां पर कहा गया कि हमारे कांस्टीट्यूशन में एक ही एडवोकेट जनरल के लिये दिया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन में एडिशनल एडवोकेट जनरल की कोई मुमानियत भी नहीं है। उसमें तो खाली एडवोकेट जनरल और उसकी ड्यूटीज के बारे में दिया हुआ है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, संविधान में यह क्लियर दिया हुआ है कि "There shall be one Advocate General for the whole of the State" उसमें अतिरिक्त एडवोकेट जनरल के बारे में कोई स्थान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि "अतिरिक्त" का कहां पर स्थान आ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप उनका जबाब सुन लीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, उसका जवाब संविधान में है, माननीय मंत्री जी के मुंह में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनका जबाब तो सुनें।

श्री सैयद अली जहीर—

माननीय सदस्य की बात अगर मान भी ली जाय कि एक ही एडवोकेट जनरल हो सकता है, तो हमने भी तो एक ही रखा है। दूसरा जो है वह तो एडिशनल एडवोकेट जनरल है। जब हमने देखा कि हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं, उनके पास इतना काम है कि वे काम नहीं कर सकते हैं तो हमने दूसरे आदमी को एडिशनल के रूप में रखा है। लेकिन जो फरायज एडवोकेट जनरल के संविधान में दिए हुए हैं, वे हमेशा उन्हें अदा करते हैं। वे अपनी राय देते हैं। तो एक आदमी अगर कोई काम नहीं कर सकता है तो कांस्टीट्यूशन के खिलाफ वह कोई बात नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यही नहीं। इनके ५–६ या ७–७ स्टैंन्डिग कौंसिल भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन वे तो एडवोकेट जनरल के मातहत ही रहते हैं।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने तो एक ही एडवोकेट जनरल रखा है और एक को एडिशनल रखा है। कितना बढ़िया भाष्य है!

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने बताया कि इनका काम इतना ज्यादा है कि एक आदमी के लिए फिजिकली पासिबिल नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकट—

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यहां पर भी एडिशनल उपाध्यक्ष बना लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहां पर तो १० एडिशनल हैं।

श्री सैयद अली जहीर—

श्रीमन, मैंने जो बहस की उसमें बारीकी बहुत हैं, उसको माननीय सदस्य समझ नहीं सकते हैं। उसमें बहुत फर्क हो जाता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, जब माननीय अली जहीर साहब समझ सकते हैं तो यहां का हर बच्चा समझ सकता है।

श्री सैयद अली जहीर—

यहां पर माननीय गोविन्द सहाय जी ने शिकायत की कि जो राय दी जाती है वह उल्टी-सुल्टी राय होती है लेकिन में माननीय गोविन्द सहाय जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो ला मिनिस्टर हैं उसमें उसका कोई अधिकार नहीं है। जितने हमारे डिपार्टमेन्ट् हैं उनके अलग-अलग डी० एल० आर० है कि फलां डिपार्टमेंट को फलां डी० एल० आर० राय देंगे और फलां को फलां राय देंगे। मुझे तो इत्तिला भी नहीं होती है। जब फाइल आती है तो उसमें कानन को देख कर फैसला कर दिया जाता है और जो मुनासिब राय समझी जाती है उस लिखकर भेज दिया जाता है। कोई राय उसमें जो दी वह मोहमिल हो या बिलकुल गलत हो, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह उस वक्त ही देखी जा सकती है जबकि केस सामने हो, उसके सामने वह राय हो तभी उस पर गौर किया जा सकता है कि वह गलत है या सही है। शिकायत जो थी वह यह थी कि कोई अधिकारी था, उसके लिये लिख दिया गया था कि इस की इन्टेग्रीटी डाउटफुल हैं या क्वैश्चनेबिल है और किसी डी० एल० आर० ने यह राय दे दी कि इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबिल जो है यह एक फाइनल चीज है और इस के उपर जिला परिषद अगर यह फैसला कर दे कि यह ऐन्ट्री गलत है तो जिला परिषद् उस एन्ट्री को बदल नहीं सकती और वह अपनी जगह पर रहेगी। यह डी० एल० आर० ने लिख दिया। जब दुबारा राय ली तो जिला परिषद् ने कहा कि ऐंट्री गलत है और इसको पेस्ट कर दिया जाय तो डी० एल० आर० ने कहा कि यह अधिकार है कि यह कह दे कि यह ऐंट्री गलत है और इस को एक्सपंज कर दिया जाय। तो मुझे नहीं मालूम वाकयात क्या हैं, जैसा मैंने कहा कि इस मसले को देखने के लिये कुल वाकयात सही सही सामने हों तब फैसला करें कि राय सही दी या नहीं। लेकिन एक बात समझ में आती है, वह यह कि पूरी बाडी, जिला परिषद् के लोग यह समझें कि किसी अफसर ने गलत ऐक्शन लिया है तो उसको अधिकार है कि अपने अफसर की गलती को सही करे और यह लिखे। यह तो सवाल नहीं आता कि आया क्वेश्चनेबिल थी कि नहीं। लेकिन उस से जो सुपीरियर बाडी है, उसको तो हमेशा ओवर रूल करने का अधिकार है। अब उसने सही किया या गलत किया, यह दूसरा सवाल है। लेकिन प्योरली लीगल प्वाइंट आफ व्यू से यह कह देना कि यकीनन यह राय नहीं हो सकती थी इस की कोई वजह नहीं मालूम होती है। तो इस किस्म की जो शिकायतें होती हैं, उनको कुछ गौर करके समझा नहीं जाता है और ऐसी शिकायतें हो जाती हैं।

कुछ आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की शिकायतें की गईं कि वे बाज वक्त गलत एप्वाइंट हो जाते हैं। मैं तसलीम करता हूं कि मुमकिन है कि गलत हो जाते हों। लेकिन जो हमने तरीका रखा है, वह यह है कि हर जिले में एक ६ आदमियों की कमेटी बना दी गई है, उस में ४ हमारे एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० होते हैं....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो कमेटी बनाई है, उस में कोई अपोजीशन का आदमी भी रखा है या सारे कांग्रेस के ही रखे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, जो चुने जाते हैं वे बहरहाल ऐसे होने चाहियें जिनके ऊपर शासन का एतमाद हो। ऐसे लोगों को हम चाहते हैं और ऐसे ही लोगों के हाथ में यह अख्तियार दिया जाय कि वे फैसला कर के बतायें कि कौन मुनासिब है और कौन नहीं मुनासिब है।

श्री लखपतराम शर्मा—

इसका मतलब यह है कि अपोजीशन के आदमी ठीक नहीं हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन, मंत्री जी ने कहा कि जिन पर शासन को ऐतमाद हो, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह कहना ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस में व्यवस्था का क्या सवाल है ? आपने एक सवाल किया। कांग्रेस वालों को ही क्यों करते हैं, उन्होंने उस का जवाब दिया कि जिन पर यकीन होता है उनको रखते हैं।

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, आप पक्ष और विपक्ष दोनों को रखा करते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो समझता हूं कि जो आपकी शिकायत है वह उन्होंने मान ली कि ठीक है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, हमको कोई एतराज नहीं है जब वह कहते हैं कि जो उनकी हां में हां मिलावें उसी को करेंगे।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं एक बात की सफाई मंत्री जी से चाहता हूं कि जिन आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के विरोध में सरकार के यहां शिकायतें मौजूद हैं उनके बारे में भी मंत्री जी कुछ विचार करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

तो मैं अर्ज कर रहा था कि ४ मेम्बर लेजिस्लेचर के होते हैं। उसमें अगर कोई मेम्बर लिस्ट देखना चाहे तो देख सकता है कि अपोजीशन के मेम्बर भी जगह-जगह पर थोड़े बहुत हैं। लेकिन शासन के दिमाग की यह बात है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, उसके मेम्बर लेजिस्लेचर के मेम्बर ही नहीं हैं। जिलाधीश, जिला परिषद् के चेयरमैन, कहीं किसी कमेटी के प्रेसीडेंट भी उसके मेम्बर कर दिये जाते हैं। इस सब के अलावा वहां का मेम्बर डिस्ट्रिक्ट जज, जिलाधीश हो कर आता है। बार एसोसियेशन से एक आदमी होता है। इस तरह से ६ और ३ कुल मिलाकर ९ आदमी इसके सदस्य होते हैं और उनको अधिकार होता है कि नाम चुन कर भेजें। यह कहा गया कि कुछ आदमी गलत हो जाते हैं। मैंने पहले ही तसलीम किया कि कुछ आदमी गलत हो जाते हैं लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि जब शिकायत इस किस्म की आती है किसी आनरेरी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ तो उस पर कार्यवाही होती है लेकिन अगर वह एनानिमस नेम से होती है उस पर कोई ऐक्शन नहीं किया जाता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपकी नोटिस में चीज लाई जाती है और उस पर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—

इस किस्म की दरख्वास्त होती है तो तहकीकात कराई जाती है। जब रिपोर्ट आती है जिलाधीश की तो ऐक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी खास आनरेरी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत है और कहीं आप समझते हैं कि गलत आदमी हो गये हैं तो उनके खिलाफ आप लिख कर शिकायत करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि उसके ऊपर कार्यवाही की जायगी। इसके लिये न दफा ३११ लगाई जाती है और न एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। हर वक्त हम उनको अलग कर सकते हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

बांदा के जिलाधीश ने इलाहाबाद के आनरेरी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत की।

श्री सैयद अली जहीर—

जिलाधीश के खिलाफ शिकायत करेंगे तो हम इस में क्या कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनका कहना है कि बांदा क जिलाधीश ने आनरेरी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत की है।

श्री सैयद अली जहीर—

मुझे लिख कर भेज देंगे माननीय सदस्य तो मैं दरियाफ्त करा लूंगा। मेरे दिमाग में इस वक्त कोई शिकायत नहीं है।

जायदाद की बात कही गयी जो मेरे पास सामान है, उसकी मैंने इत्तिला नहीं दी। मैं बतला दूं कि सन् ५९ से आल इंडिया कांग्रेस के प्रेसीडेंट का आर्डर आया था कि जितने मिनिस्टर साहबान हैं वे हर साल अपने सामान की लिस्ट भेजा करें और तब से हर साल मैं भेजता रहा हूं। इस साल यह बात कही गयी कि उसकी एक कापी मुख्य मंत्री के पास भेजना चाहिये। जो आज माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि मैंने नहीं भेजी है, तो उनका मतलब शायद यह था कि मुख्य मंत्री के पास मैंने नहीं भेजी है, लेकिन मैं भेज चुका हूं और बराबर जाती रहती है। तो वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे शर्म हो। यह बिल्कुल गलत है। मेरी हर चीज खुली हुई है, कोई चीज छिपी नहीं है और जो माननीय सदस्य चाहें उसको देख लें और इत्मीनान कर लें। लेकिन बहरहाल, यह चीज ऐसी होती है कि इसको मेज पर रखना शायद कोई पसन्द नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता।

जहां तक मैं समझता हूं जितनी अहम बातें कही गयीं थीं उनमें से बहुतों का जवाब मैंने दे दिया है। छोटी-छोटी बातों को मैंने नोट कर लिया है और उन पर मैं गौर करूंगा। मेरी प्रार्थना यह है कि यह अनुदान मन्जूर किया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिलों में समितियां बनी हुई हैं जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स का नाम फार्वर्ड करते हैं इनके पास। तो आपने बरेली में तीन साल मुतवातिर एक सज्जन को बनाये रखा जबकि उनका नाम उस कमेटी ने रेकमेंड नहीं किया। क्या यह बात सही है ?

श्री सैयद अली जहीर—

यदि यह क्वेश्चन है तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बाद में प्रश्न कर लीजियेगा ।

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २,१५,५७,९०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह अनुदान ढाई बजे तक चलना था । आधा घंटा अधिक हो गया है । तो क्या यह नियमानुसार है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आधे दिन के लिये था । घंटे उसमें नहीं थे और आप जानते हैं कि १२ बजे के बाद शुरू होता है । तो कोई ऐसी बात नहीं है ।

अनुदान संख्या १४—पुलिस

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का सवाल है । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १८६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है—

"(३) प्रत्येक मांग में पहले प्रस्तावित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदनन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तार प्राक्कलन का विवरण, जो मदों में बंटा हो, दिया जायेगा ।"

तो मंत्री जी ने जो यह मांग रखी, इसमें किस मद पर कितना रुपया है, यह उन्होंने नहीं बताया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने बजट के आंकड़ों को नहीं पढ़ा ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने पढ़ा है, उसका सवाल नहीं है । मंत्री जी जिस वक्त मांग पेश करेंगे उसमें भी उन मदों का बटवारा होना चाहिये था, यह नियमावली में है कि राज्यपाल की सिफारिश से हम यह मांग करते हैं कि इस मद में इतना इतना रुपया स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

बजट की परम्परा यही नहीं, हाउस आफ कामन्स में, लोक सभा में, यहां और हर असेम्बली में एक ही तरीका है और वह यह है कि बजट पेपर्स में यह सब लिखा हुआ होता है । अभी-अभी पहले भी दूसरी मांगों के संबंध में बजट पेश हो चुका है और इस तरह से एक के लिये जो तरीका है वही सब के लिये तरीका है । मैं समझता हूं कि वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

पहले से कोई गलत तरीका चला आ रहा है, तो क्या वही तरीका चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

दुनिया भर में ऐसा ही होता है, आप कृपा कर के बैठ जायं।

(श्री हरगोविन्द सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, आपने जो हाउस आफ कामन्स का हवाला दिया है, हाउस आफ कामन्स की प्रथा तो यह है कि जो मेम्बर नहीं होता है वह कभी भी किसी बजट सेशन में भाग नहीं ले सकता। माननीय हरगोविन्द सिंह इस सदन के मेम्बर नहीं हैं, इसलिये वे इस बजट को नहीं पेश कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे यहां यही परम्परा चली आ रही है और हमारे यहां के कांस्टीट्यूशन में भी यह दिया हुआ है कि जो मंत्री होगा जिस विभाग का वही उसके बजट को पेश करेगा। अब आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं बैठ रहा हूं लेकिन हाउस आफ कामन्स की जो बात आपने कही वह यहां के लिये सही नहीं है।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, मुझे इस बात का अहसास है उन माननीय सदस्यों के लिये जो....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, पहले ये ग्रांट तो पेश करें। ये तो भाषण देने लगे।

श्री उपाध्यक्ष—

पेश कर रहे हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ग्रांट तो मैंने पेश कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। लेकिन दोबारा फिर पेश कर दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब एक बार आपने मान लिया कि उन्होंने पेश किया है तब फिर दोबारा उनको पेश करने के लिये क्यों कह रहे हैं? जब एक बार माननीय मंत्री ने कहा कि पेश कर दिया है और आपने माना कि उन्होंने पेश कर दिया है, तब फिर दोबारा क्यों पेश करवा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

इसलिये कि आप कहते हैं कि पेश नहीं किया तो फिर दोबारा पेश कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

माननीय उग्रसेन, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्दसिंह--

तो आप कहते हैं कि मैं फिर इसको पेश करूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

जी हां ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४--पुलिस के अन्तर्गत १७,६९,३४,८०० रुपये की मांग वर्ष, १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय । श्रीमन्, मुझे इस बात का अहसास है कि बहुत से माननीय सदस्यों के लिये और विशेषकर जो विपक्ष में बैठ हुये हैं उनके लिये शायद मैं मंत्री नहीं हूं । लेकिन उनके सौभाग्य से या अभाग्य से मंत्री हूं । इसलिये . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

उपाध्यक्ष महोदय, अब व्यवस्था का प्रश्न है कि अब तक यह समझते थे कि वह मंत्री हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बैठ जाइये । इन बातों से कोई मतलब नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी, श्रीमन्, जब छुट्टियां हुई थीं तो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें केवल १० व्यक्ति उपस्थित थे । बाकी लोगों ने कह दिया कि हम उपस्थित नहीं होंगे । यह मंत्री नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

बाहर क्या होता है, इससे हमें मतलब नहीं है । आप बैठ जाइये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अब यह मंत्री है या नहीं, इसे यह बतलायेंगें या माननीया सुचेता जी बतायेंगीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । यह गृह मंत्री हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप उप नेता सदन से पूछिये कि यह गृह मंत्री हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मिश्रा जी, कृपया बैठ जाइये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

हमें मालूम नहीं था कि आप सरकार चला रहें हैं या सदन चला रहें हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

अब चूंकि, श्रीमन्, मैं गृह मंत्री हूं इसलिये भवन की परिपाटी, कानून और परम्परा के अनुसार उनको हमारी बजट स्पीच सुननी पड़ेगी ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि हमारी स्पीच सुननी पड़ेगी, क्या वह यह कह सकते हैं, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री जे० पी० मिश्र, (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, अगर यह सुनना नहीं चाहते हैं तो कानों में रुई लगा सकते हैं ।

श्री हरगोविन्द सिंह--

मुझ से जरा गलती हो गई । चूंकि प्रान्त के सौभाग्य से बहुत से माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य चुने गये हैं, इसलिये उनको हमारी बजट स्पीच सुननी चाहिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इस सदन के चुने हुये सदस्य गैर चुने हुये सदस्य की स्पीच को सुनना नहीं चाहते हैं । आप सरकारी दल से आग्रह करें कि चुने हुये सदस्य से अनुदान पेश करायें । आप भी चुने हुये सदस्य हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

६ महीने तक तो बिना चुना हुआ आदमी भी मंत्री हो सकता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मेरा निवेदन यह है कि सदन के माननीय सदस्य यह मांग कर सकते हैं कि यह भाषण न दें और कोई चुना हुआ सदस्य भाषण दे क्योंकि यह प्रजातंत्र का अपमान है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हाउस आफ कामन्स में यही होता है, श्रीमन् ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

जो अनुदान मैंने भवन के सम्मुख उपस्थित किया है, वह यों यदि देखा जाये तो वित्तीय वर्ष के अनुदान से थोड़ा सा ज्यादा है । वित्तीय वर्ष का अनुदान १६ करोड़ ४६ लाख, २९ हजार और ७०० रुपये का था और यह १७ करोड़ ६९ लाख ३४ हजार ८०० रुपये का है । इस प्रकार से इसमें वृद्धि एक करोड़ २३ लाख ५ हजार रुपये की है । यदि वास्तव में देखा जाये तो इस में वृद्धि केवल १० लाख रुपये की हुई है । इसलिये कि चालू वित्तीय वर्ष में जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया था, जिसको भवन ने स्वीकार किया है ।

श्री उग्रसेन--

'भवन' नहीं सदन कहिये। श्रीमन्, 'भवन' का क्या मतलब है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जानता हूं आप बहुत पढ़े लिखे हैं और मैं तो बेपढ़ा हूं। बैठिये, जो कहता हूं सुनिये।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

कृपा करके आप इस पर अपनी व्यवस्था दीजिये कि इस हाउस में यदि कोई "आप" का सम्बोधन करता है तो वह किसके लिये होता है। 'आप' का संबोधन पीठासीन अध्यक्ष के लिये होता है। तो क्या यह उचित है कि माननीय मंत्री आपके सामने इस तरह से कहें कि 'जानता हूं आप बहुत पढ़े लिखे हैं'.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप (श्री टम्बेश्वर प्रसाद से) मेरे निवेदन पर बैठिये।

श्री हरगोविन्दसिंह--

मुझे यह भी एहसास होता है कि माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न की पुस्तक इतनी पढ़कर आये हैं कि इनको अपच हो गया है। इसलिये बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन में व्यवस्था बनी रहे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं बेपढ़ा लिखा हूं, इससे अगर कहीं व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा हो जाये तो आप से और माननीय सदस्य से क्षमा चाहता हूं। पुलिस का विभाग जो है वह एक....

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

मंत्री जी, आप अपना भाषण चालू रखिये, टोका टाकी में नहीं पड़िये, नहीं तो आपका भाषण हो नहीं पायेगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

अगर आप लोग माननीय मंत्री जी को नहीं सुनना चाहते हैं तो आप अपनी परम्परानुसार सदन से बाहर चले जाइये। यह बार-बार विघ्न पैदा करके आपने क्या तमाशा बना रखा है ? आधा घंटा इस तरह से हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

इस माननीय गृह मंत्री के खिलाफ एक सौ तीस सदस्यों ने असंतोष प्रकट किया और सारे प्रदेश में लूट खसोट, डाकेजनी, राहजनी और गुंडागर्दी का नंगानाच है, इनके राज्य में कोई कानून कायदा नहीं रह गया है। इस सरकार से हमने बार-बार आग्रह किया कि उनके पद को बदलिये, उनके विभाग को बदलिये, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसीलिये हम विरोधी दल के सदस्यों का कर्तव्य हो जाता है कि ऐसा मंत्री जब कभी भी अपने विभाग की प्रगति को सुनाये हम लोग न सुनें। हम आपसे साग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि आप इनका प्रवचन दूसरे किसी मंत्री से पढ़वाइये, मुख्य मंत्री से पढ़वाइये, लेकिन हम इनका प्रवचन सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो जिसका काम है, वह करेगा। वह गृह मंत्री हैं, वह ही अपने विभाग का अनुदान प्रस्तुत करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

लेकिन, श्रीमन्, ऐसी हालत में नहीं है, जिसका राम सुन्दर जी ने जिक्र किया कि जिसके राज्य में गुंडागर्दी और बदमाशी का राज्य हो और जिसके खिलाफ १३० माननीय सदस्य दस्तखत करके भेजें। । कानून का राज्य इस प्रदेश में नहीं है, अपने सगे सम्बन्धियों को यह गृह मंत्री बढ़ावा दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हम तो बैठ ही रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप भी अव्यवस्था को फैलाने में मदद दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको मौका मिलेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मौका मिले न मिले, ऐसे गृह मंत्री को....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

किसी दूसरे से बजट पढ़ाइये, यह भाषण इनका नहीं होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, आप से निवेदन है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि प्रदेश में जो आज लूट खसोट, गुंडा राज्य, गुंडा परस्ती और आये दिन लोगों का कत्ल, जेलखाने हवालातें में विरोधियों को भरना, अपने रिश्तेदारों की ही मदद करना, सारे प्रदेश में हो रहा है, उसमें यह गृह मंत्री मदद दे रहे हैं, उसको पनपा रहे हैं। उसके विरोध में हम अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं। करोड़ों जनता की आवाज को यहां बुलन्द करना चाहते हैं। हमारा यह निवेदन और है आप से, सविनय आग्रह है माननीय हुकुमसिंह जी से सादर निवेदन है कि इनके भाषण को वे खुद पढ़ें और ऐसे आदमी से भाषण न पढ़वायें जिस से सारे प्रदेश में आज अराजकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

पांडेय जी, नियम के मुताबिक वे गृह मंत्री हैं और वे अपना भाषण पढ़ेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह जो माननीय पांडेय जी ने कहा है १३५ आदमियों ने लिख कर दिया था और यह सब जो हो रहा है, उसके बारे में आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था तो यही है कि जो गृह मंत्री है वह पेश करेगा। वह भाषण देगा और आप उसे सुन लीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैं यह कह रहा था कि यह विभाग ऐसा है जिसमें सरविस ही सरविस है और इसलिये इस अनुदान का अधिकांश भाग उनकी तनख्वाहों में जाता है। जो अनुदान हमने सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसमें ८३.५ प्रतिशत तनख्वाहों का हिस्सा है और बाकी १६.५ प्रतिशत.....

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, मैं आप से अब अन्तिम निवेदन करना चाहता हूं। आपसे मेरा निवेदन यह है कि यदि आप हम लोगों की बातों को सुनते नहीं हैं और मुख्य मंत्री जी कहती हैं कि यह हमारे अधिकार में नहीं है सरकार इनके विभाग को इनसे ले नहीं सकती, और ये अपने रवैये को बदल नहीं सकते। सारे जौनपुर जिले में इनके रिश्तेदार इनके खास रिश्तेदार, पार्टी के लोग आम जनता को गलत सलत मुकदमों में फंसाकर रोजगार चलाते हैं। चारों तरफ धींगा धींगी मची हुई है और जब तक इनके हाथमें पुलिस विभाग है तब तक इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। तो न तो आप मानते हैं, न सरकार मानती है और इसलिये हमें अफसोस है कि हम ऐसे मंत्री के भाषण को सुनने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये मैं जब तक इनका भाषण हाउस में होता रहेगा तब तक इस सदन में बैठना अपमान समझता हूं। यह प्रदेश की जनता का अपमान है चाहे ये अपना अपमान समझें या न समझें। मैं अब इनके भाषण के विरोध में सदन छोड़ता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

सारे सगे सम्बन्धियों को ये भरती करते चले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सारे पुलिस प्रशासन को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये, अपने सगे सम्बन्धियों के फायदे के लिये, इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। इस विरोध में हम वाक आउट कर रहे हैं।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन छोड़ कर जाने लगे।)

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैं यह कह रहा था कि जो अनुदान मैंने प्रस्तुत किया है उसका अधिकांश.... (सदन से त्याग करने वाले समाजवादी दल के सदस्यों ने गृह मंत्री मुर्दाबाद, हरगोविन्द सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाये) श्रीमन, यह हाउस का इन्होंने तरीका बना रखा है। श्रीमन्, ये एहसान इस बात का नहीं मानते कि मैंने पुलिस वालों को इसलिये रोक रखा है कि रात में इनके घर जा कर वह आवाज न लगायें कि ये हाजिर हैं या नहीं .....(शोर) (घोर शोर)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

हम इनका भाषण सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

सुनाई नहीं पड़ता है। बहुत शोर हो रहा है।

अनेक सदस्य--

हम ऐसे मंत्री का भाषण नहीं होने देंगे।

(शोर) (व्यवधान)

जन संघ दल के सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये। संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य भी सदन में वापस आ गये और अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये।

(हरगोविन्दसिंह मुर्दाबाद के नारे लगाये गये।)

श्री उग्रसेन--

हरगोविन्द सिंह कह रहे हैं कि इन्होंने पुलिस को इसलिये बन्द कर रखा है कि हम लोगों के घर आ कर हाजिरी न लें। इस तरह की वह बात करते हैं। क्या हम डाकू हैं या लुटेरे हैं...

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

बात क्या है? कुछ पता तो चले।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आप बात पूछ रहे हैं। आप यहां मौजूद थे। आपके सामने ही उन्होंने यह कहा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

पहले गृह मंत्री जी अपना अनुदान प्रस्तुत करने के लिये खड़े हुये। राम सुन्दर पांडेय जी ने अपने विचार प्रकट किये और वह रोष प्रकट कर चले गये। हम समझते थे कि हम उनकी बात सुनेंगे और इस अनुदान के ऊपर अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे और नियम के अन्दर रहेंगे लेकिन इस प्रकार का वाक्य कह कर उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। उन्होंने किस हैसियत से यह कहा कि पुलिस वालों को उन्होंने रोक रखा है कि इनके घर रात में जाकर इन लोगों की हाजिरी न लें? क्या उन्होंने हमको डाकू समझा?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

(गृह मंत्री से) आपको इस सम्बन्ध में क्या कहना है, आपने क्या कहा था?

(घोर शोर—कुछ क्षण तक)

इस मामले में शान्ति से बातचीत करने के लिये यह सदन आधे घंटे के लिये स्थगित किया जाता है।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ३ बजकर ५५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं निवेदन करना चाहता था .....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायं। ....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आपके व्यवस्था के प्रश्न को भी सुन लेंगे। पहले मुख्य मंत्री जी को सुन लीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हम उनसे निवेदन कर दें, फिर वह कहें तो अच्छा है। अध्यक्ष जी, आप जानते ही हैं कि अपने प्रदेश में गृह विभाग की क्या हालत है और माननीय गृह मंत्री जो ठाकुर हरगोविन्द सिंह हैं, उनसे क्या सम्बन्ध कुनबा परस्ती का है, जाति बिरादरी का है। यह सब प्रदेश में विदित है। हम ने सदन को छोड़ दिया था, लेकिन हमारे जाने के बाद उन्होंने एक ऐसे वाक्य का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं उसमें आप भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इधर के बैठने वालों के खिलाफ हमारे पास सबूत है, कार्यवाही भी है, लेकिन हम उनकी निगरानी रोके हुये हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वह इशारा करते हैं विरोधी दल के खिलाफ कार्यवाही करने का। अगर एक मंत्री इस तरह से गैरजिम्मेदार शब्दों का प्रयोग करे तो आप समझ सकते हैं कि सदन किस प्रकार रहेगा और उसकी गरिमा कैसे रहेगी और हम लोगों को जो अधिकार मिला हुआ है वह कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिये वह माफी मांगें और भाषण को बन्द करें.....

श्री अध्यक्ष—

मेरा आदरणीय सदन से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि हो सकता है कि माननीय मंत्री जी ..... (व्यवधान) मैं था नहीं .....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अब मेरा रुख बदल गया। आपने जो वाक्य प्रारम्भ किया कि "हो सकता है" इसका तो मैं समझता हूं एसपर्शन हमारे ऊपर है कि हमने जो सुना, आप उसे सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, हम सुनेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसके पूर्व कि मुख्य मंत्री कोई बात कहें या आप कोई अपनी राय व्यक्त करें, कम से कम आप हमारी बात सुन तो लें .....

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा था कि मैं नहीं था, हो सकता है कि उन्होंने कुछ कहा हो, जो कोई ऐसी बात हुई हो जो नहीं होनी चाहिये थी, तो सब का कतर्व्य है कि यदि कोई गलती हुई है तो उसका परिमार्जन हो जाय शान्तिपूर्वक।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपने पहले ही कह दिया कि 'हो सकता है' कि उन्होंने ऐसा कहा हो। तो हो सकता है कि उधर से उसी भाषा में बात कही जाय उत्तर में जैसा कि आप कह रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि क्या समझकर आपने ऐसा प्रारम्भ कर दिया बिला हमसे पूछे हुये। अगर आपने प्रोसीडिंग्स देखीं तब तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नहीं देखीं तो जो अफेक्टेड हैं उनको सुन लेना चाहिये, फिर चाहे मुख्य मंत्री कहें या गृह मंत्री। न आप मौजूद थे, न मुख्य मंत्री मौजद थीं और हमसे बिना सुने ही आप निर्णय देंगे.....

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि दोनों को सुन लें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जिसकी पुलिस निगरानी करती हो, जो हिस्टरी शीटर हो वह इस आदरणीय सदन का सदस्य नहीं हो सकता और न वह अपना परचा दाखिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को रोक रक्खा है कि वह निगरानी न करें, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब परचा नहीं दाखिल किया जा सकता है संविधान के खिलाफ तो माननीय हरगोविन्द सिंह ने कैसे कह दिया, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

मुझे, श्रीमन, सुन लें ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल को सुन लिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, विरोधी पक्ष के किसी भी सदस्य पर आज तक चोरी आदि करने का आरोप नहीं लगाया गया ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया पहले नेता विरोधी दल को सुन लें .....

श्री राधेश्याम शर्मा—

हमारे व्यवस्था के प्रश्न पर आपने क्या रूलिंग दी ?

श्री अध्यक्ष—

मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता सदन को सुन लें। जहां तक आपकी व्यवस्था का प्रश्न है, वह प्रश्न नहीं उठता। न तो यहां पर कोई माननीय सदस्य हिस्ट्रीशीटर है और न यहां आ ही सकता है। (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, आपकी तथा माननीय नेता सदन की अनुपस्थिति में एक ऐसी दुखद घटना इस सदन में घटी, जिसका वर्णन करने में, मैं असमर्थ हूं। वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी समय-समय पर बहुत कुछ कहा करते हैं, लेकिन आज जो शब्द कहे वह मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री ने आज कहा कि मैं विरोधी दल के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये अहसान इस बात का नहीं मानते कि मैंने पुलिस वालों को इसलिये बन्द कर रखा है कि रात में इनके घर जा कर वह आवाज न लगायें कि ये हाजिर हैं या नहीं। श्रीमन्, लेजिस्लेचर के इतिहास में, सारे भारतवर्ष में ही नहीं, वरना सारे विश्व में, ऐसी घटना नहीं घटी होगी जब कि सारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को चोर, डकैत और बदमाश माना गया हो। यह वाक्य उन्हीं के लिये इस्तेमाल होता है जो रात में चोरी, डकैती डालते हैं या बदमाशी करते हैं। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं इसका स्वयं विरोधी हूं कि किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करूं। मैं, श्रीमन्, बात को बढ़ाना भी नहीं चाहता। जो पत्रकार बैठे हैं, वे अपने एडीटोरियल में हमारे लिये लिखते हैं कि हम डेमोक्रेसी को नहीं चलने देते—(व्यवधान) . . . . किन्तु, श्रीमन्, आप स्वयं इसको देख लें। आज ऐसा भी व्यक्ति यहां है, जिसके कारण डेमोक्रेसी जिन्दा नहीं रह सकती है। मैं कोई उत्तेजना की बात यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन, श्रीमन्, कोई भी व्यक्ति, वह कितना ही संयत व्यक्ति क्यों न हो, उस वक्त अपने को काबू में कदापि नहीं रख सकता जबकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो। लेकिन इसकी, श्रीमन्, दवा क्या हो ? हमको मजबूर होकर कहना पड़ता है कि वे बिना विवाद बढ़ाए अनक्वालिफाइड अपालाजी मांगें। इस बजट भाषण से कृपया हमें मुक्त करें। जो उन्होंने कहा उस पर खेद प्रकट करें। हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमें दुःख होता है कि हम सदन की कार्यवाही नहीं करने देते परन्तु ऐसी स्थिति में, श्रीमन्, यह कैसे हो सकता है ?

श्री झारखण्डेराय—

श्रीमन्, जब हम लोग बोल लें, तब माननीय मुख्य मन्त्री बोलें।

श्री अध्यक्ष—

मुमकिन है कि माननीय मुख्य मन्त्री कुछ ऐसी बात कहें जिससे समाधान हो सके।

श्री झारखण्डेराय—

श्रीमन्, क्योंकि आप नहीं थे इसलिए जरूरी है कि आप पहले सुन लें।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी, इसके लिए जो कि माननीय गृह मन्त्री के शब्दों से आघात लगा है, उस पर कुछ मलहम लगाने की कोशिश करेंगी परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि जो शब्द गृह मन्त्री ने कहे हैं, उन पर किसी प्रकार से लीपापोती नहीं की जा सकती है। यदि वे शब्द अपने स्थान पर कायम रहते हैं तो इधर का एक भी बैठने वाला जो अपने सम्मान का जरा भी ध्यान रखता है, इस सदन में भाग नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कुछ भी कहा, उनके लिए हमने कभी

प्रदर्शन नहीं किया है और उनके प्रति सभी के दिलों में प्रशंसा है। और मैं जानता हूं कि जैसा कि गृह मन्त्री व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से स्वयं वे भी सन्तुष्ट नहीं होंगी। उनके माफी मांग लेने और माफी शब्द कहने मात्र से इस समस्या का हल नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप गृह मन्त्री को पुकारें और वे अपने शब्द को वापस लें। मैं यह भी चाहता हूं कि जो इधर के बैठने वाले हैं, नं० १० हैं, उनके लिए उनमें नैतिक साहस होना चाहिए कि वे उनका नाम लें। अगर वे ऐसे व्यक्तियों की रखवाली नहीं करते हैं तो वे अपने गृह मन्त्री के कर्तव्य से च्युत होते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। या तो उनको साहस होना चाहिए अन्यथा वे इन शब्दों को बिना किसी क्वालिफिकेशन के वापस लें और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं कि हम लोग जो यहां बैठते हैं इस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें।

श्री झारखण्डेराय---

श्रीमन्, पिछले चौदह वर्षों में माननीय गृह मन्त्री ने बहुत सी बातें कहीं हैं, जिनसे हमें तकलीफ हुई है और जिनसे आप भी परिचित हैं। आज जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उनसे बढ़कर उन्होंने पहले और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किये थे। दो बातें कहीं हैं। वे किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होतीं और न वह उन पर लागू होती हैं जो वाक आउट कर गए थे। वे लागू होती हैं पूरे विरोधी पक्ष के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जब कि पूरे विरोधी पक्ष के ऊपर बिना किसी आधार के और एक तरफा आरोप लगाया गया है जिसका अर्थ है, विरोधी पक्ष के सदस्य सब हिस्ट्री-शीटर हैं, गृह मन्त्री जी कहते हैं कि उनकी बड़ी कृपा है, हमें उनका अहसान मानना चाहिए कि वे पुलिस को आदेश नहीं देते कि हमारे घरों की रात्रि में निगरानी हो इसका अर्थ कि हम विरोधी पक्ष वाले ११० वाले हैं, इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत गहरी चोट की बात है और उनकी भावना को हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। वह हमारे लिए असम्भव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री महोदय स्वयं इस बात को ध्यान में रखकर स्पष्ट माफी मांगें, उसके बाद हम कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मान्यवर, मुझे यही कहना है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, मैं तो उस समय था नहीं....

श्री अध्यक्ष---

अगर आप नहीं थे तो कृपया बैठ जायं।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मान्यवर, मैं तो उस वक्त नहीं थी जिस समय यह वाकया हुआ, जिसको मैं दुखद समझती हूं और इसका माननीय गृह मन्त्री को भी दुख है। कुछ दिनों से इस सदन का काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है और मैं माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूं कि विरोधी दलों के नेता लोग सदन के वातावरण को अच्छा बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और सारा बजट सेशन आन-दि-होल अच्छा रहा। इसके लिए मेरे मन में उनके लिए कितना आदर है, मैं कह नहीं सकती। आप यह सभी जानते हैं कि भारत के और सूबों में क्या हो रहा है और उस समय उत्तर प्रदेश का वातावरण बहुत सुन्दर चल रहा है। यह गौरव की बात है। किसी भी तरह उनको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसका मुझे दुख है कि आज माननीय गृह मन्त्री जी की जबान से इस प्रकार के शब्द निकले जो हर हालत में नहीं निकलने चाहिए थे। इस सदन में जो भी सदस्यगण हैं, चाहे वे किसी भी पोलीटिकल पार्टी के हों, उन सब की समान इज्जत है। अगर एक मेम्बर की भी इज्जत जाती है तो हर मेम्बर की जाती है। मैंने माननीय गृह मन्त्री जी से बात चीत की। उनको भी अफसोस है कि उन्होंने गुस्से में आकर ऐसे शब्द कह दिए। उधर से जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वैसा भी इस हाउस में नहीं होना चाहिए था। गुस्से का रिएक्शन तो होता ही है। क्रोध चाहे जिधर से हो, वह अच्छा नहीं होता।

श्री उग्रसेन—

आपके पास तोप है तो उसको लगा दीजिए। नागालैंड के लोगों से बातचीत हो सकती है, लेकिन हम से नहीं हो सकती। यही आप सब किया करती हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं माननीय उग्रसेन जी से कहती हूं कि वह भी अगर क्रोध न किया करें तो अच्छा होगा। क्रोध से वातावरण भी खराब होता है और स्वास्थ्य भी खराब होता है। (व्यवधान) मुझे अफसोस है कि नेतागण वातावरण को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करते हैं। माननीय गृह मन्त्री जी क्रोध के वश होकर कुछ कह गए, उन्हें भी इसका अफसोस है। उसके परिमार्जन स्वरूप वे कुछ कहेंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, बहुत अच्छी बात होती यदि हमको श्रीमन् ने पहले ही मौका दे दिया होता और हम अपनी बात स्पष्ट कर दिए होते। श्रीमन्, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ज्यों ही मैं अनुदान प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ त्यों ही एक नारा शेम-शेम का लगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नारा नहीं लगा था। प्वाइन्ट आफ आर्डर मैंने रेंज किया था।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

शेम-शेम का नारा लगा था। उसको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन सी संसदीय परम्परा है। मैंने शुरू में कहा था कि मैं यहां का गृह मन्त्री हूं और यह मेरा फर्ज है कि मैं इस सदन के सामने पुलिस का बजट प्रस्तुत करूं। उस समय शेम-शेम का नारा लगना, यह मुझे असह्य सा मालूम हुआ। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि....

श्री काशीनाथ मिश्र—

उसके लिए तो उपाध्यक्ष बैठे हुए थे....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

लेकिन मैं चुप रहा और मैंने अनुदान प्रस्तुत किया। अनुदान पेश करने के बाद जो भाषण का संसदीय तरीका है, मेरे भाषण के समय बहुत सी आपत्तियां उठाई गयीं और माननीय उपाध्यक्ष जी ने उनका उत्तर दिया और फिर मैंने अपना भाषण शुरू किया। उसके बाद माननीय राम सुन्दर जी आए.. (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार भी प्रकट करता हूं कि अधिकांश लोगों ने उसमें सहयोग भी दिया। रामसुन्दर जी ने उठकर पहले कुछ आपत्तियां कीं और उसके बाद वह चले गए, कुछ मेरे ऊपर आक्षेप उन्होंने व्यक्तिगत भी किए, कहीं मेरे रिश्तेदारों के बारे में, कहीं किसी को पटा रहे हैं और न जाने क्या-क्या कर रहे हैं लेकिन मैंने उन तमाम बातों का खयाल

नहीं किया। वह सदन से चले गए। यह उनको अधिकार था कि भवन में वह रहना चाहें तो रहें या चले जायं लेकिन सदन के बाहर न जाकर, मुझे बड़ा अफसोस है कि किसी ने भवन के अन्दर ही बाहर न जाकर यह नारा लगाना शुरू किया कि "हरगोविन्द सिंह मुर्दाबाद"। मैं अपने को देशद्रोही नहीं समझता और हूं भी नहीं और फिर भी अगर मेरे ऊपर 'देशद्रोही हरगोविन्द-सिंह मुर्दाबाद' के नारे लगने लगें या खाली 'मुर्दाबाद' के नारे लगने लगें तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ। मैं भी मनुष्य ही हूं, कोई उससे ऊपर तो हूं नहीं, उस वक्त मैंने यह कहा या कोई आक्षेप मैंने भवन के सभी माननीय सदस्यों को किया, यह नितांत गलत है और अगर किन्हीं माननीय सदस्यों ने ऐसा समझा तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वह उनकी भूल थी और अगर उनका इससे परिमार्जन हो तो मैं उन्हें फिर दोहराए देता हूं। मैंने माननीय सदस्यों के प्रति यह नहीं कहा, केवल मैंने यह कहा कि यह लोग 'मुर्दाबाद' के नारे लगा रहे हैं.... (व्यवधान)

अनेक सदस्य—

गलत है—गलत है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इससे मामला सुलझ नहीं सकता....

श्री अध्यक्ष—

उनको समाप्त करने दीजिए।

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर मैंने कहा था तो मैं अब भी महसूस करता हूं....

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप देख लीजिए, वह क्या कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं इस सम्बन्ध में प्रिविलेज का नोटिस देता हूं। यह मामला सदन के सामने हुआ था, सदन की प्रोसीडिंग मंगा ली जाय, वह हाउस के सामने झूठ बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं महसूस करता हूं कि उस 'मुर्दाबाद' के नारे से मैं भी आवेश में आ गया, यह मैं तसलीम करता हूं कि और कोई भले ही आवेश में आ जाय लेकिन जिस पद पर मैं हूं आवेश में नहीं आना चाहिए था और इसीलिए मुझे दुख भी है कि मुझे वह चीज नहीं कहना चाहिए थी। अगर्चे वह सत्य भी हो तो.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अब तो सारी सुलह की शर्तें समाप्त हो गईं। एक भला आदमी अगर वातावरण को शांत करना चाहता है तो वह स्वयं ऊंचा उठ कर कह देता है कि अगर मेरी बात कड़वी-मीठी लग रही है तो मैं उस को वापस लेता हूं। वह कह रहे हैं कि अगर सत्य भी हो तो श्रीमन् इस का मतलब यह है कि ये स्वयं नहीं चाहते कि सदन में शांत वातावरण हो और यहां पर कार्य सुचारू रूप से चले।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन् मैंने प्रिविलेज नोटिस दे दिया है। माननीय गृह मन्त्री ने झूठ बोला है। आप प्रोसीडिंग मंगा लें। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि अगर्चे सही भी हो। आप देख लें कि उन्होंने क्या कहा और अब वे कहते हैं कि "अगर्चे सही भी हो।"

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इन शब्दों से जो इन्होंने कहे उस बात की पुष्टि करते हैं। अगर ये सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या इन्हें ऐसे शब्द कहने चाहिए ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, आवेश में आकर मेरी जबान से वे शब्द निकल गए जो इस भवन की परम्परा इस सदन की मर्यादा को देखते हुए मेरे मुंह से नहीं निकलने चाहिए थे उनके लिए मुझे अफसोस है लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस बात की भी भर्तसना की होती कि इस भवन में 'मुर्दाबाद' बोला जाय। आपको और हमें भी इस माननीय सदन की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। तो उसके कारण जो शब्द यहां पर मेरी जबान से निकल गए उनके लिए मुझे अफसोस है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, पहले प्रोसीडिंग मंगा ली जाय। इन्होंने गलत बयानी की है। मैंने प्रिविलेज का नोटिस दे दिया है। मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कितनी गलत बयानी उन्होंने की है।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरा निवेदन सुन लें।....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, ये रोज-रोज माफी मांगते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, अगर हम लोग गलती करते हैं तो आप हमें सदन से बाहर कर देते हैं लेकिन इनको आप कुछ नहीं कहते हैं। यह उचित बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप इन्हें भी सजा दें।

श्री अध्यक्ष—

जो शब्द माननीय हरगोविन्द सिंह जी ने कहे, वे मेरे सामने हैं। जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए वे संसदीय शिष्टता को ध्यान में रखते हुए अनुचित हैं और मैं समझता हूं कि मन्त्री पद पर होते हुए सरकार तो सदैव आलोचना की पात्र रहेगी। यहां पर सरकार ही है जो राज्य का कार्य संचालन करती है और सरकार को शांतिपूर्वक प्रत्येक आलोचना को सुनना चाहिए। यदि किसी समय कोई ऐसी बात हो जाय जो कि संसदीय न हो तो उसके लिए केवल एक मार्ग यह है कि सरकारी पक्ष से जो पीठासीन व्यक्ति हो उसको अपील की जाय कि अमुक सदस्य ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसको रोका जाय लेकिन वह स्वयं अगर उनका अनुकरण करने लगे, जिन्होंने असंसदीय बातें कीं, तो मैं समझता हूं कि अपने स्तर से नीचे उतर जाते हैं। सरकार के अन्दर जो पद धारण किए हुए हैं, उन्हें मर्यादाओं का संरक्षण करना चाहिए जिससे प्रजातन्त्र की पद्धतियां फलती और फूलती रहें। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो खेद प्रकट किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह भी आप आदेश कर दें कि इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय हरगोविन्द सिंह यहां कई बार खेद प्रकट कर चुके हैं, कई बार माफी मांग चुके हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री से और आप से भी कहना चाहता हूं कि आप कृपया ऐसी व्यवस्था कर दें कि कोई व्यक्ति अगर ५ बार माफी मांगे तो उसका नाम माफी मन्त्री रख दें या अगर कोई आदमी ५ बार खेद प्रकट करे तो उस का कुछ और नाम रख दें या उसे पद से हटा दें। ऐसी व्यवस्था हो जाय। आगे से यह गृह मन्त्री नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरीश कुमार जी, आप तो रूल्स कमेटी के सदस्य हैं।

(गृह मन्त्री से) आपने शायद अपना अनुदान प्रस्तुत कर दिया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, अब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, कुछ कहने से पहले मैं इस सदन के माननीय सदस्य, इधर के हों या उधर के हों, सब से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में अभी तक उस प्रकार की घटनायें नहीं घटित हुई कि जिससे आज अन्यान्य प्रान्त बरी नहीं हैं और यह हम आप सबकी जिम्मेदारी होगी कि हम अपनी विधान सभा के अन्दर उस प्रकार की घटना का शिकार न बनें। इस के लिए आवश्यक है, मतभेद अपनी जगह पर रहेंगे, विचारों का संघर्ष अपनी जगह पर रहेगा, परन्तु इसके लिए आवश्यक और जिम्मेदारी हम सब की है, और विशेष कर फ्रन्ट बैंचें चाहे उधर हों या इधर हों, कि इस प्रकार के शब्द प्रयोग न हों जो असन्तुलित हों, जो किसी के अपमानकारक हों। व्यंग, हास्य और चुटकी हो सकती है परन्तु व्यक्तिगत घात, प्रतिघात अनुचित है और मैं आशा करूंगा कि मेरे निवेदन पर सदन के सभी सदस्य विचार करेंगे। क्योंकि इस प्रकार हम शब्द प्रयोग करें तो आज उस गैलरी में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन से आप को राज्य का प्रशासन करवाना है, जिन से आपको नीति चलवानी है आज उन के मन में क्या अनुभव होगा, या उन के मन में क्या प्रतिक्रिया होगी इस को भी आप विचार करें। आपका जो शासन तन्त्र है उस के अन्दर भी आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मनुष्य स्वभाव है, उनके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी, आज इस को आप विचार करें क्योंकि आज जो देश के अन्दर एक दुखद घटना विद्रोह की सब तरफ खड़ी हो रही है ऐसी स्थिति में अगर शासन तन्त्र के मन में ये भावनायें खड़ी हो गई, मुझे क्षमा किया जाय मैं किसी का अपमान नहीं करता, परन्तु उस के मन में अगर यह भाव खड़ा हो गया कि इस सदन में बैठने वाले लोग क्रोध और प्रतिक्रोध शोध और प्रतिशोध से कार्य करते हैं, उस के मन में यह भाव खड़ा हो गया कि टू राग्स मेक ए राइट, इस विचार से लोग कार्य करते हैं तो आप क्षमा करेंगे कहने को, चाहे किसी दल की सरकार हो, सरकार चलाना असम्भव हो जायगा क्योंकि सरकार के कर्णधारों के प्रति तन्त्र के लोगों के अन्दर एक अवहेलना का भाव पैदा हो जायगा और फिर तन्त्र नहीं चलेगा।

आज, श्रीमन्, जो पुलिस बजट पेश किया है, उस में कटौती का प्रस्ताव आप की आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं:

"सम्पूर्ण अनुदान संख्या १४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

आज स्वराज्य को प्राप्त किये २० वर्ष के लगभग हो गया। परन्तु शान्ति और सुरक्षा हेतु पुलिस का जो ढांचा है, उसकी जो स्प्रिट है उसमें कोई बदलाव हुआ? अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि जो कांटिनेनटल पुलिस है, चाहे ब्रिटिश पुलिस सिस्टम को ले लें उसमें यह बात नहीं है। अपना ही देश ऐसा है जहां पर पुलिस की गवाही के बारे में विश्वास हमारी कचेहरियों में से भी

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

उठता जा रहा है। यह पुलिस की स्थिति क्यों है? सरकार की ओर से केवल इस बात का प्रयास होता है कि जो सरकारी रिपोर्ट है वही सही है और बहुत बार परिणाम यह देखा जाता है कि वह रिपोर्ट गलत साबित होती है और सदन में जवाब गलत दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसका नीचे का स्तर आज भी करीब-करीब उसी प्रकार का है जैसा ब्रिटिश काल में था और उस स्तर का पिष्टपोषण होता है जिसका नतीजा यह होता है कि वह स्तर हाथ से बाहर हो जाता है और तब वह अत्याचार और अन्याय का रूप ले लेता है। उस पर जब कहा जाता है कि उसे दण्ड दो तो सरकार की प्रेस्टिज का सवाल हो जाता है। मैं इस सिलसिले में एक उदाहरण दे दूं। एटा जिले में कितने लाइसेन्सेज पड़े हुए हैं, यह एक प्रश्न मैंने किया था। यह एक फेहरिस्त आई सन् ६४, ६५ की जिसमें लाइसेन्सेज न दिये जाने की सूची दी गयी है। अब मैं सरकार का प्वाइंट आफ व्यु समझ सकता हूं। अब उनसे कहा जाय कि उनको दिलवाया जाय, एटा में इतनी अव्यवस्था है, इतनी एप्लिकेशंस आई और पड़ी रह गयीं और यह नीचे के तंत्र की ढिलाई है उसके करप्शन की वजह से है तो उत्तर यह आता है कि सरकार मजबूर है। उत्तर यह वही देंगे जो सेक्रेटेरियट तथा जिला स्तर से उनके पास आता है और वह इस ढंग से बन कर आता है कि इनकी प्रेस्टीज इन्वाल्व हो जाती है।

अब थोड़ा विचार करने की बात है कि प्रेस्टीज के मानी क्या हैं। भय के इकबाल को कहते हैं। जैसे कोलोनियल पावर हो, विदेशी सरकार हो उसकी सत्ता की बुनियाद, उसका अस्तित्व किसी देश पर भय पर निर्भर करता है और जो दंड के प्रतीक हैं उनको दंड दे दे तब उसका वजूद खतरे में आ जाता है लेकिन डेमोक्रेसी में प्रेस्टिज इस बात में होती है कि जनता में उसके कार्यकलाप के प्रति विश्वास हो और वह विश्वास तभी खड़ा रह सकता है कि जहां तंत्र ने गलती की हो वहां उसे समुचित तथा उचित दंड दिया जाय। और वह भी जल्दी होना चाहिये। जस्टिस डिलेड इज आलवेज जस्टिस डिनाइड।

यहां बहुत बार प्रश्न उठा कि हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये पुलिस के ऊपर। जब प्रश्न होता है कि जिन अफसरों के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किये गये, उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की तो उधर से उत्तर आता है कि सरकार विचार कर रही है, जांच कर रही है। विचार तो समझ में आ सकता है कि उसका दोष कितना है, उसके अनुसार उसे दंड दें, परन्तु जांच किस बात की? क्या हाई कोर्ट के जज के फैसले की जांच होगी कि उसने जो फैसला दिया है वह उचित है या अनुचित और वह भी विभागीय स्तर पर और वही विभाग जांच करेगा जिसके ऊपर वह स्ट्रिक्चर है। डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के ऊपर आप क्या जांच करेंगे? आप यह कहेंगे कि वह फैसला उचित है या अनुचित, सबूत पर है या बिना सबूत पर। इस प्रकार अपनी तरफ से सारे समाज में इस बात को व्याप्त करती है कि जो आपका न्यायिक प्रशासन है, उसका भी फैसला सबजेक्ट टु दि स्कुटिनी आफ ब्यूरोक्रेसी है। मैं उदाहरण दूं, अध्यक्ष महोदय, कि अगर मैंने चोरी की और मेरे ऊपर एक फैसला हुआ। अब वहां फैसला मेरे पास आये कि मैं उसका स्कुटिनी करूं कि यह उचित है या अनुचित, तो आप बतायें कि क्या स्कुटिनी होगी? अभी एक पुस्तिका आपके विभाग से छपी है, जिसमें आपने ऐसे मामलों के आंकड़े दिये हैं कि जिनके ऊपर जजमेंट्स हुये हैं और जो विभाग में अभी भी चल रहे हैं। बहुत किया तो आप उसके करेक्टर रोल में एन्ट्री कर दी। आज कल करेक्टर रोल की एन्ट्री का कोई मूल्य रह गया है? आज जब प्रेशर और काउन्टर प्रेशर सब तरफ से हो रहा है तब करेक्टर रोल की एन्ट्री का क्या मूल्य? अभी जौनपुर के डी० एस० पी० के ऊपर स्ट्रिक्चर पास हुआ। मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनका तबादला किया जायगा। उन्हें जौनपुर से सहारनपुर का सिटी डी० एस० पी० बना कर भेज दिया गया स्ट्रिक्चर पास होने के बावजूद भी। यह प्रोमोशन है या डिमोशन? इस प्रकार की जो गलती करेगा और उसका आप पृष्ठपोषण करते चले जायंगे तो आप बताइये कि उसको गलती की सीख कब मिलेगी।

गलती के बाद वह गलती करता रहेगा और इस प्रकार की भीषण गलतियां होती रहेंगी कि अभी आपके सदन में यह बात आयी कि जिन्दा आदमी के लिये ३०२ में फांस दिया। अगर वह आदमी प्रकट न हुआ होता तो जो फंस गया था वह ३०२ में फांसी पा जाता और फिर वह आदमी पैदा हो जाता तो क्या आपका सारा प्रशासन आपका राजतंत्र, आपका मंत्रितंत्र उस निर्दोष व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकता था? जस्टिस का सब से मूलभूत सिद्धान्त यह है कि एक निर्दोष न सजा पाये भले ही दस दोषी छूट जायं। उस सिद्धान्त को आपने एकदम उलट कर के यह रूप ले आये कि दोषी चाहे फांसी पाये या न पाये, लेकिन निर्दोष को जरूर लटका दो। इसी सदन में इसके बारे में बातचात हुई कि सरकार ने उस अफसर के खिलाफ क्या किया, जो लोग उस कुकर्म——मैं उसे कुकर्म कहूंगा——के दोषी थे, उनके प्रति आपने क्या किया?

मैं दूसरा एटा का उदाहरण फिर देता हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस समय सुल्ताना डाकू का इतिहास चल रहा था, जिस दिन वह ऐक्सस्कांडर डिक्लेयर हुआ उसी दिन उसकी सारी जायदाद जब्त, घर बन्द, रिश्तेदारों पर कड़ी कार्यवाही और दफा २१६ का कार्यवाही जो होती है वह भी हुई। इसी तरह से एक नहीं सीरीज डकैती हो रही है, और डकैती ही नहीं बल्कि मर्डर्स हो रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय यहां सान्त्वना दे देते हैं लेकिन क्या सान्त्वना देने के अलावा कभी उन घायलों को देखने के लिये अस्पताल में भी गये? मैं नहीं जानता कि वे गये। इतने सीरीज कांड हो रहे हैं लेकिन आपने क्या किया? मेरे पास लिस्ट मौजूद है, आज उन डकैतों का पृष्ठपोषण किया जा रहा है और मैं स्पष्टतः कह सकता हूं कि एटा में जो डकैती बढ़ी है उसके दो ही कारण हैं। उसका सब से बड़ा कारण यह है कि डकैतों का राजनीतिक पृष्ठपोषण हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि वहां का जो स्थानीय राजतंत्र है चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे एस० पी० हो, निकम्मा है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब मुझे यह बतलाया गया कि एक लड़की पी० ए० सी० के पास जाती है तो डायरी में चाहे जो कुछ लिख लिया गया हो क्योंकि वह तो ७ दिन तक खुली पड़ी रहती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर जैसा चाहे उसे भर लिया जाय, उस लड़की से पुलिस वाले कहते हैं कि क्या हमारी जान प्यारी नहीं है, हमारी जान फालतू है जो हम वहां जायं। और वे मेले का इन्तजाम कर रहे हैं, मर्डर हो रहा है और बुलाने के लिये जाने पर कहा जाता है कि हम मेले का इन्तजाम कर रहे हैं और २० मिनट के अन्दर सारी बातें हो जाती हैं।

आपके सामने एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं और जिस सज्जन ने मुझे यह बात बतलायी, मैं समझता हूं कि वह सही बात है कि वहां आगरा रेंज के डी० आई० जी० कलेक्टर के यहां बैठे हुए थे, एस० पी० बैठे हुए थे और एक वकील साहब भी बैठे हुए थे। एटा में जो हिन्दुस्तान लिवर ब्रदर्स वालों की घी फैक्टरी है, वहां बार बार डकैती पड़ी और ६ महीने पहले ही उन्होंने लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दी थी लेकिन उनको लाइसेंस नहीं दिया गया, वह दरख्वास्त ऐसे ही पड़ी रही, आखिर क्यों? वकील साहब ने कलेक्टर की तरफ इशारा करके कहा कि यह आप हैं जिसकी वजह से इतनी डकैती यहां बढ़ी हुई है, इसलिये कि जो तंत्र वहां है, उनके ऊपर राजनीतिक पृष्ठपोषण का भय लगा हुआ है और इस भय के कारण वे इस बात की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आज राजनीतिक तंत्र के अन्दर जितने लोग हैं उन सभी आफिसरों के अन्दर एक वृत्ति है कि ठेले जाओ, जहां तक हो सके। श्रीमन्, आप देखें कि इस पुस्तिका में एक बात और बड़े जोरों से कही गयी है। मंत्री महोदय ने और उनके विभाग में बड़े जोरों से कहा और आंकड़े से बतलाया कि जुर्म तो घट गये। मैं तो समझता हूं कि ये आंकड़े कुक्ड हैं। आबादी तो बढ़ कर ५ करोड़ से ८ करोड़ की हो गयी लेकिन क्राइम्स की ये आंकड़े कुक्ड हैं। आबादी तो बढ़ कर ५ करोड़ से ८ करोड़ की हो गयी लेकिन क्राइम्स की तादाद घट गयी। मालूम होता है कि ३ करोड़ जो पैदा हुए वे सब युधिष्ठिर और ब्रह्मा ही पैदा हुए। क्राइम्स के अन्दर आखिर इनका परसेंटेज कहां गया?

अध्यक्ष महोदय, जो कत्ल के परसेंटेज दिये गये हैं, वह सब न पढ़ कर मैं केवल सन् ६५–६६ के आंकड़े ही पढ़ देता हूं और वह है २४४१। मुझे यह पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सूबे

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

में जो बड़े ही क्रीमिनल डिस्ट्रिक्ट्स वे हैं—सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, खीरी और बदायूं। अगर मैं गलत नहीं कहता हूं, सही मैं कहता हूं कि औसतन महीने में एक कत्ल वहां जरूर होता है (औसतन ३ कत्ल होने की आवाज) तो अगर ५ जिले में ३० कत्ल एक महीने में हो गये, तो इस तरह से ३६० कत्ल साल में एक-एक जिले में ही हो गये। अब जरा १,२०० से उसको गुणा कर दीजिये तो देखिये क्या होगा? आखिर यह फिगर्स क्यों दिये जाते हैं और क्यों इस बात का प्रयास किया जाता है यह दिखाने का कि हमने ऐसा काम किया? मैं आपकी पी० ए० सी० की तारीफ करूंगा जिसने चीन के मुकाबले में अपने जीवन की होली खेली, वह प्रशंसा की पात्र है। लेकिन यह पुलिस जो क्राइम्स को रोकने का प्रयास कर रही है, वह इस तरह के गलत आंकड़े दे, तो अच्छा नहीं है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले जो रिपोर्ट्स आती थीं वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स होती थीं जो इस आदरणीय सदन में रखी जाती थीं। उनमें यह स्पष्ट दिया होता था कि कहां सफलता हुई है और कहां असफलता हुई है। लेकिन अब यह ढोल में पोल ३, ४ पन्ने की यह मियां मिट्ठू बनने की रिपोर्ट है और इसमें कुछ नहीं है। मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मुझे हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ कि जिस प्रदेश के डाक्टर गोविल्स ने यह रिपोर्ट बनाई, आखिर में उसने यह वाक्य जोड़ दिया कि हत्या तथा कत्लों के अपराध में थोड़ी वृद्धि का मुख्य कारण व्याप्त गुटबन्दी और दलबन्दी है। इसका क्या अर्थ है? कैसी गुटबन्दी और कैसी दलबन्दी? अगर कहा जाय कि गांव की गुटबन्दी तो वह किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक एक गुटबन्दी फैली हुई है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं दूसरा उदाहरण दे देना चाहता हूं और आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे।

अकबरपुर क्षेत्र के गांव में १० दिन में ८ डकैतियां हुईं। यह बड़ा आश्चर्यजनक है। फैजाबाद एक बहुत बड़ा जिला है। उसके एक क्षेत्र अकबरपुर में १० दिन में ८ डकैतियां हों। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ यह भी निकलता है कि स्थानीय पुलिस अधिकारी, चाहे वह स्टेशन आफिसर हो, डी० एस० पी० हो या एस० पी० हो उनको अपने क्षेत्र की जो सूचना चाहिये या इंटेलीजेंटस चाहिये वह या तो उनको है नहीं और यदि है तो इसका सीधा सादा स्पष्ट अर्थ है कि क्रिमिनल वर्ल्ड से पुलिस का गठबन्धन है।

इसके लिये, श्रीमन्, मैं दो एक प्रमाण दिये देता हूं। अभी काशी के चेतगंज थाने से एक लड़का गायब हो गया। इस पर लोगों ने बड़ा हल्ला किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन जिस दिन मालूम हुआ कि इंक्वायरी सी० आई० डी० को दे दी गई है तो लड़के को थाने में उपस्थित कर दिया गया। यदि प्रोफेशनल डिकनैपर्स होते तो वे लड़के को कहीं और ले जाते और उसको वे या तो चोर बनाते या गिरहकट बनाते या कुछ भी करते। लेकिन यदि उपस्थित कर दिया गया तो उसके माने यह हैं कि वह लड़का कहीं नहीं गया था। जो रक्षक थे वे ही भक्षक हो गये। आप को याद होगा कि इसी काशी में ७, ८ लाशें बरामद हुई थीं। उसकी इन्क्वायरी हुई तो यह बात सामने आई कि उस समय के सिटी कोतवाल और क्रिमिनल में गठबन्धन था। यदि पुलिस चाहे तो चोरी नहीं हो सकती क्योंकि वह चोर को जानती हैं। यदि पुलिस चाहे तो डकैती भले ही हो सकती है लेकिन छिछोर डकैती नहीं हो सकती है। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज लोअर्स स्टाफ तन्त्र जो नीचे पड़ा हुआ है, उसका क्रिमिनल वर्ल्ड से बड़ा खतरनाक गठबन्धन है। मैं तो अपनी आंखों से देखा हुआ दृश्य आपके सामने कहना चाहता हूं, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन फिर भी आपके सामने दृश्य का वर्णन करना चाहता हूं यह जो पुलिस के माल्ट हर चौराहे पर खड़े रहते हैं, उन्हें आपने देखा होगा वह किस तरह से दोनों हाथ खड़े करके चौराहे पर ट्रकों को दिखाते हैं। एक हाथ से तो वह एक तरफ की ट्रक को डाइरेक्शन देता है और दूसरी तरफ वह अपने हाथ से दूसरा अर्थ सिद्ध करता है। यह जो चौराहे पर क्राइस्ट की स्टैच्यू बन कर खड़ा होता है वह किस बात का द्योतक है? इनका हक हर थाने पर बंधा हुआ है।

मैं तो ऐसे सूबे जानता हूं जहां पर कानेस्टिबिल के लिये घूस का कोई चारा नहीं। लेकिन इस सूबे के अन्दर जो स्थिति है वह दिन रात बिगड़ती जा रही है। थानों का नीलाम और एलाटमेंट शुरू हो गया है। थाना 'ए' और 'बी' चाहिये तो उसके अनुसार दो हजार और डेढ़ हजार रुपया दीजिये। तो आखिर जो दो हजार और तीन हजार देकर थाना पाएंगे वह कुछ कमाएंगे या नहीं? इसीलिये तो उन्होंने पूजा की है। तो मैं पुलिस मंत्री और पुलिस विभाग के उपस्थित समस्त अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर कितनी गलत रिपोर्टिंग होती हैं। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं फैजाबाद से बाराबंकी होकर आ रहा था, कल्याणी पुल के पास मैंने देखा। वहां पर हमें शाम हो गयी थी और वहां पर खेमा लगा हुआ था, फौज सजी हुई थी बाकायदा पहरे पर कानेस्टिबेल खड़ा हुआ था। मैंने वहां पर गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक कर थोड़ी देर के लिये बाहर आया, सिगरेट पी। तो वहां पर जाकर देखा कि गांव वाले परेड कर रहे थे और एक दरोगा घोड़ा दौड़ा रहे थे। मैंने वहां पर लोगों से पूछा कि यह किसका खेमा है, उन्होंने मुझे बताया कि यह कप्तान साहब का खेमा है। मैंने पूछा कि वह कहां हैं, तो मुझे एक कानेस्टिबेल ने बताया कि फलां गांव गये हैं वहां उनकी रवानगी है। उसी समय मैंने गांव वालों से उस खेमे के बारे में पूछा तो हमें मालूम हुआ कि उसने कहा आप जाओ कप्तान साहब कहीं शहर में होंगे, ऐसा हमेशा होता है, रात भर वह शहर में रहेंगे और सबेरे यहां आ जाएंगे।

इसी तरह से मैं जौनपुर का उदाहरण देना चाहता हूं और सिटी कोतवाली की बात कहना चाहता हूं। मैं इस बात का आह्वान करता हूं कि आप यहां पर बैठे रहिये और वहां की सरप्राइज चेकिंग कराइये तो आप पायेंगे कि डायरी भरी हुई होगी कि फलां जगह की रवानगी है, वहां पर हैं, लेकिन अगर आप उनके घर पर रेड कर लें तो आप पाएंगे कि वह सुरा-सुन्दरी में घर में पड़े होंगे। एक बात मैं और बताऊं, मुझे उस पर बड़ा आश्चर्य है, शायद विभाग का ध्यान उस पर गया होगा। वह इस प्रकार है जो मैं आपको सुनाता हूं।

"*Largest number of goondas in U. P.*—Uttar Pradesh has the largest number of "known goondas" in the country.

According to figures available from the Ministry of Home Affairs, there are as many as 16,080 "known goondas" in Uttar Pradsh

Punjab comes next with 4,345, followed by Maharashtra with 3,950.

The number of goondas in other States are : Andhra Pradesh—1,125; Gujrat—1,946 ; Kashmir—400 ; Kerala—193 ; Madhya Pradesh—3,789 ; Madras—1,935 ; Orissa—1,286 ; Rajasthan—2,657 ; West Bengal—3,426 ; and Delhi—2,735.

Assam and Mysore have reported that there was "no organied goonda activity" in their States. Bihar says that no exact figures are available."

मैं नहीं जानता कि यह आंकड़े सही हैं या नहीं, मंत्री जी स्वयं इसके बारे में बताएंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर जो इतने गुंडे बढ़ गये, उसका कारण क्या है। या तो यह दूसरे सूबे से भाग कर यहां आए वहां की पुलिस ने जब उनका दमन शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि सबसे सुरक्षित, बढ़िया, आनन्दमय स्थान अवध की गद्दी है। यह क्यों है? या तो गुंडे इसलिये आनन्द से घूम रहे हैं कि वे पुलिस से सम्बद्ध होंगे और इसीलिये यहां जो आज हल्ला हो रहा है कि जुर्म बढ़ रहे हैं। सही बात है। यह इस बात का द्योतक है कि इस प्रान्त की पुलिस के नीचे का जो स्तर है वह गुंडे, क्रिमिनल एलीमेंट्स के हाथ में हो रहा है। अगर यह नोन गुंडे हैं तो यह पकड़े क्यों नहीं जाते? अगर सारे लोग जानकारी में हैं तो इसको पकड़ना चाहिये था। सीधा सवाल उठता है कि यह छूटे हुए क्यों घूम रहे हैं? इनके पकड़ने के लिये आपने क्या कदम उठाया, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं.. (लाल बत्ती होने पर) मुझे दस मिनट का समय दिया जाय क्योंकि इतना बड़ा बजट है।

श्री अध्यक्ष—

आप दस मिनट ले लीजिये। सदन सवा पांच बजे तक बैठा रहेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अस्त्र-शस्त्र की बरामदगी की बात अब मैं कहता हूं। इस पुस्तिका में बड़ी प्रशंसा की गई है कि हमने बड़े अस्त्र बरामद किये हैं लेकिन अगर आप देखें तो कहीं एक राइफल कहीं एक बारह बोर की बन्दूक। लेकिन यह जो सारी इल्लीगल चीजें बन रही हैं और यह डकैत जो घूम रहे हैं यह अस्त्र-शस्त्र उनके पास कहां से आते हैं। या तो इनका सम्बन्ध आर्मी से है या फिर लोकली इंडीजनस प्रोडक्शन है। इनका सम्बन्ध आर्मी से है यह कहना बड़ा कठिन है। या तो फिर यह स्मगलर्स हैं। आखिर इनको यह अस्त्र-शस्त्र मिल कहां से रहे हैं?

मैंने बजट में कहा था और आज भी दोहराता हूं कि जिस समय यहां पंचमांगी काम कर रहे थे और माननीय कुंवर साहब ने १७ या १८ ट्रान्समीटर्स की लिस्ट दी थी उस विभाग को उस पर यहां क्या हुआ? इंटेलीजेंस का विभाग बहुत कमजोर है और इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। एटा में सहावर स्टेशन है। तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक रोचक घटना हुई। तीन दरोगा उसमें मौजूद थे। मुझे जो सूचना मिली है वह मैं बता रहा हूं कि वे दरोगा वर्दी में थे। सहावर के प्लेटफार्म के बाहर पुलिस स्टेशन है। दो, तीन आदमी डिब्बे में घुसते हैं बन्दूक से लैस और कहते हैं कि उतर जाओ। सब उतर जाते हैं। तीनों दरोगा जी भी उतर जाते हैं। साढ़े आठ बजे दिन का वाकया है, लेकिन दारोगा लोग पकड़ते नहीं हैं। एक आदमी के मुंह पर ठोढ़ी पर हाथ रख कर कहते हैं कि भइया, जरा इसको बाहर ले जाओ। आश्चर्यजनक बात है, श्रीमन्, गुंडों, दुष्टों, डकैतों और चोरों के साथ भइया, बबुआ कहने से काम नहीं चलेगा। डाकुओं, दुष्टों और अराष्ट्रीय लोगों का दमन करना चाहिये। दरोगा जी यह नहीं कि उनको पकड़ते, बाहर चले गये। यह क्या है? आज हमारी पुलिस इस स्थिति में पहुंच गयी है कि जब विप्लवियों और विघटनकारियों की आग अपने देश के सारे चहारदीवारी पर शुरू हो चुकी है, नागा लैण्ड के बाद मीजो लैण्ड शुरू हो गया है और यदि हम ने वही गलती फिर की तो आश्चर्य नहीं है कि खासी और गारोहिल्स में वही बात फिर हो जाय ऐसी स्थिति में जनतंत्र की रक्षा कैसे होनी चाहिये। दुर्भाग्य है कि यह नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूं बार-बार कहने के बाद भी उस कलम के कितने प्रो पाक इलीमेन्ट्स को आपने अरेस्ट किये। हाउस में कंसेन्सस हुए। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने भी कुछ संख्या दी थी और उस संख्या में से आपने कितनों को पकड़ा। आप नहीं समझते कि आप का प्रदेश आज कितनी गड़बड़ी में चल रहा है। इस स्मगलर्स का एक रिंग सेंटर है। उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? आज भी आप उसको तोड़ नहीं पाये।

श्रीमन्, अभी नगीना में, बदायूं जिले में यह हाल हुआ कि होली के अवसर पर शान्तिपूर्वक एक जुलूस जा रहा था। मेरी जो सूचना है उसके अनुसार जुलूस जिस समय निकल रहा था उस समय दरोगा जी ने स्वयं आश्वासन दिया था कि वे जुलूस में हैं और इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। मैं साथ-साथ चलता हूं। जिस समय वह एक मुहल्ले में पहुंचा उस समय वहां ऊपर से ईंट और पत्थर बरसने लगे। दरोगा साहब गायब हो गये, एस० डी० एम० जीप पर बैठ कर अपने बंगले पहुंच गये। टेलीफोन की लाइन काट दी गयी, ७० दुकानें लूट ली गयीं, घर फूंक दिये गये, १६ लाख की संपत्ति नष्ट हुई। इस घटना के तीन चार घंटे बाद पुलिस का आगमन हुआ। जैसे पुलिस हमेशा करती है कि मारने के बाद पुलिस आती है, फिर वही करते हैं कि इनको फंसाया और अपना उल्लू सीधा किया। क्राइम का मुकाबला इस तरह से किया जाता है। यहां क्राइम का मुकाबला भइया, बबुआ और श्रीमान कह कर करते हैं। क्या बात है? पुलिस तब पहुंचती है जब क्राइम खत्म हो जाती है। तब दरोगा जी लम्बी चौड़ी कानूनी पेंच लेकर पहुंचते हैं और इनसे वह ले इनसे यह ले यह शुरु हो जाता है। मेरे पास दो उदाहरण हैं। शाहजहांपुर की लम्बी चौड़ी फेहरिस्त मेरे पास है। घटना में नाम ले लेकर विवरण दिया गया है। वहां बसंतापुर गांव है। उसके जो बड़े दरोगा हैं उनका नाम श्यामबीर सिंह है। उन्होंने दो सौ

रुपया मे ढई से लिया और किस किस से लिया, यह पूरी लिस्ट है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो समय ख त्म हो जायगा। मैं इसे मंत्री जी के पास भेज दूंगा। वहां, श्रीमन्, औरतों को नीलाम किया जाता है और कत्ल के मुकदमें को बदल कर पैसा वसूल किया जाता है। यह सब क्या हो रहा है? एक और घटना हुई है। अभी बदायूं में एक दरोगा जी हैं। वे हरिजन हैं। एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर हैं। उनसे उन्होंने कहा कि हम दरोगा हैं। यह भी कहा कि हम तुमको बचा देंगे। दारोगा जी का प्रेम संबंध किसी एक मास्टरनी से था। उसका तबादला हो गया तो उसको मारा जाता है, उसकी बहू-बेटी की लाज लूटी जाती है, ईंट पत्थर से मारकर उसकी टांग तोड़ी जाती है। इसका अन्त कहां होगा? इसका अर्थ मैं एक ही समझता हूं कि आज प्रशासन की बागडोर जिनके हाथ में हैं, जिनकी कड़ाई से उसको अपने हाथ में रखना चाहिये, उसको वह रख नहीं रहे हैं—जो भी कारण हो। आज उस ढिलाई का परिणाम है कि सारी गड़बड़ियां होती रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में जो आपका सी० आई० डी० का दफ्तर है, गोखले मार्ग पर, वहां के स्टोर क्लार्क साल ६ महीने में ५० हजार का गबन करके भागे हैं और सी० आई० डी० पकड़ नहीं पाती है। कारण क्या है? यह मैं आपके विचार के लिये छोड़ देता हूं। यह सारी चीजें इनकाम्पीटेंस का द्योतक हैं।

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि सरकार कड़ाई से काम ले, स्पष्ट नीतियों से काम ले और जो उचित लोग है जो डकैतों को मार सकते हैं, उनको बन्द कर सकते हैं, उनका सर्वनाश कर सकते हैं, अगर उनका उपयोग सरकार करे और फ्री हैन्ड दे—क्योंकि हमारे प्रदेश में एक बड़ी भारी बीमारी खड़ी हो गयी है कि जो मिनिस्टरी का काम है पालिसी बनाना वह उचित रूप से नहीं होता परन्तु जो एग्जीक्यूशन करने का काम है, उसमें हस्तक्षेप होता है पूरी तरह से मिनिस्टरी की ओर से। आप बजट बना दीजिये, एक गोल बना दीजिये, ध्येय निर्धारित कर दीजिये कि यह काम पूरा करना है, लेकिन जिस सज्जन द्वारा करना है वह उस पर छोड़िये—बीच में इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि आज पोलिटिकल इंटरफेयरेंस है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको आप बन्द करें तभी प्रशासन ठीक होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उससे प्रदेश की बड़ी हानि होगी।

मैं एक नम्र निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि मंत्री जी को बड़ा क्रोध आता है और उधर से हल्ला किया जाता है कि यह क्यों मांग की जाती है इस्तीफे की। अपोजीशन का काम बिलकुल डेमोक्रेटिक पद्धति के आधार पर है। मैं आपको "ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम" नामक किताब से १७३ पृष्ठ से उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें मिनिस्टर्स की क्या रेस्पांसिबिलिटी है उस पर प्रकाश डाला गया है। जो उसके फंक्शंस हैं उसमें आप देखें—

"But he must also secure the favour of the House of Commons, and succeed either in justifying clearly any action on the part of his department which is called in question, or in apologising gracefully for any slip, and conveying the impression that there will be no repetition of the blunder impugned. A minister who seeks to defend the indefensible may be appreciated by his office as loyal to his subordinates, but from the governmental point of view such an attitude is probably a mistake. If he cannot keep the confidence of the Commons, it is clearly desirable that he should resign, and thus save his colleagues from the difficulty of defending him or the unpleasantness of removing him."

अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको बतला दूं कि इस कटौती के प्रस्ताव पर कल जो लोग बोलेंगे वह इस विभाग की भर्त्सना करेंगे। उधर से भी भर्त्सना ही होगी वैसे वह इस अनुदान का समर्थन करते हैं ऐसा शुरु में कहेंगे। जैसे कि मध्यकालीन भारत में कर्मकान्ड का होता था, एक रिचुअल होता था कि मंदिर में जाकर देवता का पूजन करते हैं और सारी बातें उसके खिलाफ करते हैं। ऐसा ही रिचुअल यहां भी होता है कि शुरु में समर्थन कर दिया और बाकी

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

सारी स्पीच में विरोध। मुख्य मंत्री जी चली गयीं, अगर होती तो मैं प्रार्थना करता कि जरा इस पर भी प्रकाश डालें कि आपके पुलिस विभाग और मंत्रिमंडल में क्या स्थिति है? कितना कानफिडेंस है मंत्रिमन्डल में इधर या उधर के माननीय सदस्यों का। अगर यह देखना हो तो फ्री वोट होना चाहिए और व्हिप हटा दिया जाय तब वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जायगी। एसी स्थिति में मंत्रिमंडल के लिये आवश्यक है कि वह विचार करें। जिस विभाग के ऊपर सुरक्षा का भार है और अगर वह विभाग उस सुरक्षा को कायम रखने में असमर्थ है तो आपकी सारी योजनायें व्यर्थ हो जायेंगी। मूल स्तम्भ में अगर खराबी है, तो उसे ठीक करने की आवश्यकता है। यह तभी होगा जब कि हाउस के दोनों तरफ का कान्फीडेन्स इन्हें प्राप्त हो। आज तक किसी भी मंत्री के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन आदि नहीं हुआ और न ही उधर से कभी किसी मंत्री द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० मार्च, १९६६।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५–२७६ पर]

तालिका "क"

१९६५–६६ सीजन में देवरिया जिले की भटनी चीनी मिल द्वारा सुतावर, खुखुन्दु तथा मेहन क्रय केन्द्रों से ८—२–६६ तक खरीदे गए गन्ने का विवरण

क्रम-संख्या	क्रय केन्द्र का नाम	गन्ना जो आफर किया गया (क्विंटल में)	गन्ने की खरीद ८–२–६६ तक (क्विंटल में)	शेष उपलब्ध गन्ना (क्विंटल में)
१	सुतावर ..	४४,०००	१७,०५९.८६	२७,०००
२	खुखुन्दू ..	१७,०००	१०,५३०.७३	७,०००
३	महेन ..	२५,०००	१०,२७६.५०	१५,०००

तालिका "ख"

वर्तमान सीजन में खड्डा चीनी मिल के क्षेत्र में ३४ लाख मन उपलब्ध गन्ने में से जो गन्ना अन्य पड़ोसी मिलों को पेराई के लिए डाइवर्ट किया गया उसका विवरण

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम जिसे खड्डा चीनी मिल क्षेत्र का गन्ना डाइवर्ट किया गया	खड्डा चीनी मिल के क्षेत्र से डाइवर्ट किये गये गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)	अभियुक्ति
१	सिसवा बाजार ..	१.५०	सीजन के प्रारम्भ में इन मिलों को गन्ना डाइवर्ट किया गया।
२	रामकोला (पी) ..	८.००	
३	लक्ष्मीगंज ..	२.००	
४	छितौनी ..	२.००	४–२–६६ से डाइवर्ट हुआ।
५	रामकोला खेतान ..	१.७५	
	योग ..	१५.२५	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर]

मई, जून तथा जुलाई, १९६५ में मुख्य सचिव, अन्य सचिव एवं उनके कर्मचारियों द्वारा नैनीताल तथा अन्य पर्वतीय स्थानों की यात्रा पर हुए व्यय का विवरण

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	सचिवों की यात्रा पर व्यय	कर्मचारी जो साथ गये और उनकी यात्रा पर व्यय			कुल व्यय
			कर्मचारियों का विवरण		कर्मचारियों की यात्रा पर व्यय	
		रु० पैसा			रु० पैसा	रु० पैसा
१	श्री के० के० दास, मुख्य सचिव	६१८.६३	स्टेनोग्राफर	२	१,००८.७१	१,६२०.३४
			चपरासी	२		
			जमादार	१		
२	श्री बी० बी० लाल, सचिव, सिंचाई, विद्युत ..	६३०.०८	स्टेनोग्राफर	२	५५१.६४	११८८.७२
			चपरासी	१		
३	श्री बी० एम० भिडे, सचिव, वित्त विभाग ..	३८५.६३	चपरासी	२	१९१.२२	५७६.८५
४	श्री एम० ए० कुरेशी, सचिव, कृषि उत्पादन ..	६०६.९२	स्टेनोग्राफर	२	५३०.९०	१,१३०.८२
			चपरासी	१		
५	श्री बी० पी० जोशी, सचिव, गृह एवं निबुक्ति विभाग ..	६४१.८०	स्टेनोग्राफर	१	३०६.६०	९४८.४०
			चपरासी	१		
६	श्री आर० के० तलवार, सचिव, शिक्षा विभाग ..	१,०९४.०५	स्टेनोग्राफर	१	७,११.८६	१,८०६.६१
			चपरासी	१		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७	श्री एस० एस० सिद्धू, सचिव, मुख्य मंत्री तथा सचिव सूचना विभाग ।	९६५.४३	स्टेनोग्राफर जमादार	२ १	५७४.२१	१५३९.६४
८	श्री एस० के० सहगल, सचिव, नियोजन विभाग ..	४९४.६०	स्टेनोग्राफर चपरासी	१ १	५४९.९६	१०४४.५६
९	श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना, सचिव, उद्योग विभाग ..	३८४.२३	स्टेनोग्राफर	२	२२७.७३	६११.९६
१०	श्री अश्विनी कुमार, सचिव, आबकारी एवं पुनर्वास विभाग	३८.००	स्टेनोग्राफर	१	८६.०२	१२४.०२
११	श्री के० सी० पुरी, सचिव, विधायिक विभाग ..	२०५.९५	स्टेनोग्राफर चपरासी	१ १	१८२.५५	३८८.५०
१२	श्री आर० चन्द्रा, सचिव, न्याय विभाग ..	४३१.३०	चपरासी	१	६४.३६	४९५.६६
१३	श्री पी० एन० कपूर, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ..	७०६.१४	स्टेनोग्राफर चपरासी	१ १	४१४.२५	११२०.३९
१४	श्री एस० के० सरकार, विशेष सचिव, सिंचाई विभाग ..	२८७.२८	चपरासी	१	१५.३१	३०२.५९
१५	श्री ए० आर० सिद्दीकी, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन तथा वन विभाग।	८५२.३०	स्टेनोग्राफर चपरासी	१ १	२९२.१४	११४४.५१
	कुल व्यय ..	८३५०.११	..		५७०७.४६	१४०५७.५७

मुख्य मन्त्री,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर]

सूची—अ

विकास क्षेत्रों की सूची जिनको गत तीन वर्षों में अनुदान दिए गए

१९६२—६३

१—लालगंज	३,०००.००
२—हरैया	३,०००.००
३—कोपागंज	३,०००.००
४—बिलरियागंज	३,०००.००
५—अहिरौला	३,०००.००
६—तहबरपुर	३,०००.००
७—मोहम्मदपुर	३,०००.००
८—फतेहपुरमन्डाव ..	३,०००.००
९—परवहा	३,०००.००
१०—पल्हनी	३,०००.००

१९६३—६४

१—घोसी	३,०००.००
२—कोयलसा	३,०००.००
३—सठियांव	३,०००.००

१९६४—६५

१—मिर्जापुर	३,०००.००
२—मोहम्मदपुर	३,०००.००
३—रानी की सराय	३,००.०००.०
४—दोहरीघाट	३,०००.००
५—मोहम्मदाबाद	३,०००.००
६—फतेहपुर मन्डाव	३,०००.००
७—पल्हनी	३,०००.००
८—महराजगंज	३,०००.००
९—फूलपुर	३,०००.००
१०—सठियांव	३,०००.००

विधान सभा सचिवालय पटना

सूची—ब

विकास खण्डों की सूची जिन्होंने अनुदान का भुगतान नहीं किया

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	स्वीकृत धनराशि	भुगतान न होने का कारण
१	२	३	४
		१९६२–६३	
१	लालगंज ..	३,०००.००	क्षेत्र विकास अधिकारी, लालगंज का कथन है कि इस क्षेत्र में एक हरिजन सहकारी समिति निबन्धित है किन्तु अब तक कार्यान्वित नहीं है और न होने की आशा ही थी, इसलिये व्यक्तिगत अनुदान ग्रहीताओं को ४८१.२५ (चार सौ इक्यासी रुपया पचीस पैसा) का भुगतान किया गया है शेष २५१८.७५(दो हजार पांच सौ अठारह रुपया पचहत्तर पैसा) के उपभोग की कार्यवाही की जा रही है ।
२	हरैया ..	३,०००.००	विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कोई हरिजन सहकारी समिति निबन्धित नहीं है, इसलिये अनुदान की धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका है ।
३	कोपागंज ..	३,०००.००	८००.०० (आठ सौ रुपया) उपभोग किया जा चुका है । शेष धनराशि का उपभोग क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य कोई हरिजन उद्योग समिति न होने के कारण अब तक नहीं हो सका है ।
४	बिलरियागंज ..	३,०००.००	क्षेत्र के अन्तर्गत कोई हरिजन सहकारी समिति निबन्धित न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया ।
५	अहिरौला ..	३,०००.००	,, ,, ,,
६	पल्हनी ..	३,०००.००	हरिजन कुक्कुट सहकारी समिति पल्हनी को १५००.००(पन्द्रह सौ रुपया) का भुगतान किया गया है । शेष समिति से व्यय-विवरण न प्राप्त होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है ।

१	२	३	४
		१९६४—६५	
१	मिर्जापुर ..	३,०००.००	चर्म शोधन सहकारी समिति, सरायमीर का अनुदान स्वीकृत किया गया है। समिति द्वारा मशीन लगा लेने पर भुगतान कर दिया जायगा।
२	मोहम्मदपुर	३,०००.००	हरिजन सहकारी समिति, कतरा को २५००.०० (पचीस सौ रुपया) भुगतान किया जा चुका है। शेष पांच सौ रुपये का भुगतान कार्य पूर्ति के पश्चात किया जायगा।
३	रानी की सराय ..	३,०००.००	विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कोई निबन्धित हरिजन सहकारी समिति न होने के कारण १००.०० (एक सौ रुपया) की धनराशि व्यक्तिगत अनुदानग्रहीता को भुगतान किया गया है। शेष २९००.०० (दो हजार नौ सौ रुपये) की धनराशि आवेदन-पत्रों के अभाव में नहीं स्वीकृत किया गया है।
४	दोहरीघाट ..	३,०००.००	विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कोई निबन्धित हरिजन सहकारी समिति न होने के कारण व्यक्तिगत अनुदान-ग्रहीताओं को अनुदान स्वीकृत किया गया है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के अभाव में भुगतान अभी नहीं किया जा सका है।
	कोइरपन्डाब ..	३,०००.००	हरिजन उद्योग सहकारी समिति, जोलहा-पुर को अनुदान स्वीकृत किया गया है। समिति अभी निबन्धित नहीं है इसलिये भुगतान नहीं किया गया है।
६	पल्हनी ..	३,०००.००	हरिजन कुक्कुट सहकारी समिति, हीरा पट्टी को १५००.००(एक हजार पांच सौ रुपया) का भुगतान किया गया है। शेष १५००.०० (एक हजार पांच सौ रुपया) का भुगतान समिति द्वारा व्यय विवरण प्रस्तुत न करने के कारण अब तक नहीं किया गया है।

१	२	३	४
७	महराजगंज ..	३,०००.००	विकास क्षेत्र के अन्तर्गत हरिजन सहकारी समिति निबन्धित न होने के कारण अब तक कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है जिसके कारण भुगतान नहीं किया गया है ।
८	फूलपुर ..	३,०००.००	क्षेत्र समिति द्वारा दिसम्बर, १९६५ में व्यक्तिगत अनुदान ग्रहीताओं को अनुदान स्वीकृत किया गया है । अभी भुगतान नहीं हुआ है ।
९	सठियांव ..	३,०००.००	हरिजन सहकारी समिति के निबन्धन में विलम्ब होने के कारण अब तक भुगतान नहीं किया गया है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८९ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	सुपरिन्टेन्डेन्ट यूटिलाइ-जेशन के नाम	कहां तैनात किये गये हैं	किस जगह से तरक्की पाकर आये हैं	किन-किन जिलों का कार्य देखते हैं
१	२	३	४	५
मेरठ जोन				
१	श्री पी० सी० शर्मा, मेरठ		अवीक्षक, उत्पादन लोनी मेरठ।	मेरठ एवं बुलन्दशहर
२	श्री एस० एन० मिश्रा, मेरठ		इन्वेस्टीगेटर, पायलेट प्रोजेक्ट स्कीम, देवबन्द।	
३	श्री ए० एच० खान, सहारनपुर		बाहरी व्यक्ति	देहरादून, सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर।
४	श्री डी० एन० सेठ, अलीगढ़		औद्योगिक निरीक्षक, मथुरा।	अलीगढ़ एवं मथुरा
५	श्री के० एल० शर्मा, आगरा		औद्योगिक निरीक्षक, आगरा।	आगरा, मैनपुरी एवं एटा।
बरेली जोन				
६	श्री एम० एल० कुरील, बरेली		औद्योगिक निरीक्षक, हरदोई।	बरेली, रामपुर एवं बदायूं।
७	श्री बी० के० अग्रवाल, बरेली		औद्योगिक निरीक्षक,	
८	श्री आशा राम गोयल, मुरादाबाद		औद्योगिक निरीक्षक, मुरादाबाद।	मुरादाबाद एवं बिजनौर
९	श्री प्रयाग शर्मा, नैनीताल		असिस्टेन्ट सुपरिन्टेडेन्ट प्रोडक्शन (डी)।	नैनीताल, अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल, एवं पौड़ी गढ़वाल।
१०	श्री मो० सईद खान, शाहजहांपुर		औद्योगिक निरीक्षक, रामपुर।	पीलीभीत एवं शाहजहांपुर।
इलाहाबाद जोन				
११	श्री पी०एन० अवस्थी, इलाहाबाद		जिला उद्योग अधिकारी, जौनपुर।	इलाहाबाद एवं फतेहपुर।
१२	श्री एम० जैड० अरसद, कानपुर		यू० पी० स्माल इंडस्ट्रीज (कोआपरेशन)।	कानपुर
१३	श्री बी० वी० सिंह, फर्रुखाबाद		ए० डी० ओ० (इंडस्ट्रीज) कानपुर।	इटावा एवं फर्रुखाबाद

१	२	३	४	५
१४	श्री ए० पी० सोनकर,	झांसी	रिकार्ड कीपर-कम-एकाउन्टेन्ट, उद्योग विभाग।	झांसी एवं जालौन
१५	श्री राजबीर सिंह,	बांदा	बाहरी व्यक्ति	बांदा एवं हमीरपुर
	वाराणसी जोन			
१६	श्री ए० यू० सिद्दीकी,	वाराणसी	औद्योगिक निरीक्षक, इलाहाबाद।	वाराणसी, मिर्जापुर एवं जौनपुर।
१७	श्री पी० एस० लाल,	वाराणसी	बाहरी व्यक्ति	
१८	श्री आर० सी० सिंह,	गाजीपुर	सहायक कार्यालय अधीक्षक इंडस्ट्रियल स्टेट सेक्शन (उद्योग विभाग)।	आजमगढ़, गाजीपुर एवं बलिया।
१९	श्री हसन अहमद,	गोरखपुर	बाहरी व्यक्ति	गोरखपुर, देवरिया एवं बस्ती।
	लखनऊ जोन			
२०	श्री एस० एस० द्विवेदी,	लखनऊ	औद्योगिक निरीक्षक, इलाहाबाद।	लखनऊ, बाराबंकी, खीरी एवं रायबरेली।
२१	श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद, त्रिपाठी।	लखनऊ	बाहरी व्यक्ति	
२२	श्री नागेन्द्र भूषण मिश्रा,	हरदोई	नोटर एन्ड ड्राफ्टर इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सेक्शन।	उन्नाव, हरदोई एवं सीतापुर।
२३	श्री पी० एम० रेना,	गोंडा	अधीक्षक (शो रूम) आगरा।	फैजाबाद, गोंडा एवं बहराइच।
२४	श्री पी० सी० उपाध्याय।	सुल्तानपुर	बाहरी व्यक्ति	सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़।
	मुख्यालय कानपुर			
२५	श्री जी० डी० जोशी,	ऋण एवं अनुदान विभाग उद्योग निदेशालय, कानपुर।	निरीक्षक (लोन प्रान्ट्स) उद्योग विभाग।	मुख्यालय में ऋण एवं अनुदान विभाग में प्रदेश के संपूर्ण जिलों की ऋण एवं अनुदान की वसूली तथा उपयोग का कार्य देखते हैं।
२६	श्री इन्द्र नारायण कपूर,	,,	सीनियर इंस्पेक्टर आफ एकाउन्ट्स, उद्योग विभाग।	
२७	श्री बी० एन० गुप्त,	निलम्बित	औद्योगिक निरीक्षक, वाराणसी	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे. २९० पृष्ठ पर)

नाम समिति

१—आजमगढ़ दि हैन्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, मऊ ।
२—मऊ सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, मऊ ।
३—हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, आजादपुर रानी मऊ ।
४—हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० काजीडूमपुरा ।
५—कोआपरेटिव हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी लि० रघुनाथपुरा, मऊ ।
६—कोआपरेटिव हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी लि० छसरपुरा, मऊ ।
७—कोआपरेटिव हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी लि० कासिमपुरा, मऊ ।
८—कोआपरेटिव हैन्डलूम वीवर्स सोसइटी लि० बुलाकीपुरा, मऊ ।
९—शंकर करघा कोआपरेटिव सोसाइटी, मऊ ।
१०—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० मलिकटोला, मऊ ।
११—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० नियाज मोहम्मदपुर, मऊ ।
१२—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० अबराहीमपुरा, मऊ ।
१३—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० अलहाबादपुरा, मऊ ।
१४—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० पुरावाज मऊनाथ भंजन ।
१५—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० औरंगाबाद (ए), मऊ ।
१६—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० औरंगाबाद (बी), मऊ ।
१७—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० मिर्जा हादीपुरा, मऊ ।
१८—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० डोमनपुरा, मऊ ।
१९—हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० पठान टोला, मऊ ।
२०—हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० किपारी टोला, मऊ ।
२१—कादीपुरा कोआपरेटिव हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी लि० कादीपुरा, मऊ ।
२२—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० पुरा, मऊ ।
२३—जनता करघा उद्योग सहकारी समिति लि० मु० महारानी, मऊ ।
२४—भारत बुनकर उद्योग सहकारी समिति लि० जड्डू की मंडी ।
२५—मऊ हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० दखिन टोला मऊनाथ भंजन ।
२६—रसूलपुर बुनकर कोआपरेटिव सोसाइटी लि० रसूलपुर, मऊ ।
२७—बुनकर बस्ती सहकारी समिति लि० मऊ ।
२८—हैन्डलूम सहकारी समिति लि० कासिमपुरा कोट, मऊ ।
२९—बुनकर उद्योग सहकारी समिति लि० दानकबीर, मऊ ।
३०—राष्ट्रीय बुनकर उद्योग सहकारी समिति लि० विश्वनाथपुरा, मऊ ।
३१—बुनकर करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि० यूसुफपुरा, मऊ ।
३२—आदर्श करघा उद्योग सहकारी समिति लि० खुशहाल राय, मऊ ।
३३—सलान करघा को० सो० लि० मऊनाथ भंजन ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६–१७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

जिला का नाम	धनराशि
१—मैनपुरी	८०,०००.००
२—बिजनौर	७५,०००.००
३—कानपुर	५२,०००.००
४—जालौन	१,०७,५८५.००
५—बांदा	१,२६,२१३.००
६—गोरखपुर	७५,१०१.००
७—सीतापुर	२०,६५१.००
८—फैजाबाद	३,५१,६४१.३२
९—गोंडा	३,००,३१०.०२
१०—सुल्तानपुर	५०,०००.००
११—बाराबंकी	५३,२५५.२५
१२—जौनपुर	६५,३७७.००
१३—मुरादाबाद	२,५०,०००.००
१४—फतेहपुर	३,७६,६००.००
१५—हमीरपुर	१,९२,६४६.१७
१६—वाराणसी	३,००,०००.००
१७—नैनीताल	१,१५,२९५.००
१८—बहराइच	५१,०००.००
१९—उन्नाव	१,०३,१००.००

जिलों की सूची जहां सुरक्षा कोष में अन्न मिला

सहारनपुर, मेरठ, मैनपुरी, शाहजहांपुर, इटावा, कानपुर, बांदा, गोरखपुर, टेहरी गढ़वाल, खीरी, गोंडा, उत्तरकाशी, नैनीताल, मुजफ्फरनगर, उन्नाव ।

संसद विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

घटना का विवरण

७–१२–६५ को श्री राम निरंजन सिंह वकील वर्तमान निवासी डंकिनगंज, मिर्जापुर ने करीब ९–३० बजे सुबह सुन्दर नामक एक व्यक्ति को गोली से मार दिया। कुछ लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई जिसमें श्रीराम नामक एक व्यक्ति भी था। श्री राम के आगे बढ़ने पर श्री राम निरंजन सिंह ने उन पर गोली चला दी जिससे उनकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। घटना की सूचना टेलीफून द्वारा पुलिस को मिली। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया और बन्दूक आदि को कब्जे में लिया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर धारा ३०२ भा० दं० विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया था और मामले में जांच हो रही है।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०२ पर)

फिरोजाबाद के कांच उद्योग को केमिकल्स आयात करने हेतु दिये गये अनिवार्य प्रमाण-पत्रों की वार्षिक सूची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम तथा पता		१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
१	२		३	४	५
			रु०	रु०	रु०
१	दी गोल्डेन ग्लास वर्क्स,	फिरोजाबाद	१९,०६०.००	४,९००.००	३०,८४०.००
२	माथुर ग्लास वर्क्स	,,	८,०२५.००	६,१००.००	४,०७२.००
३	लक्थी ग्लास वर्क्स	,,	७,७७५.००	..	६१,६०.००
४	सेन्ट्रल सावरी ग्लास वर्क्स	,,	१८,७१५.००	१२,४००.००	१२,४००.००
५	गोविन्द ग्लास वर्क्स,	,,	१५,३८०.००	११,०००.००	८,७८६.००
६	गिरधर ग्लास वर्क्स	,,	८,६४८.००	१५,४००-००	६,९२२.००
७	राधा ग्लास वर्क्स,	,,	१०,८२६.००	११,३००-००	४,५२३.००
८	कारोनेशन ग्लास वर्क्स,	,,	२१,७१४.००	१७,१००.००	१०,४७८.००
९	दामनमल नन्हू मल,	,,	१४,९२०.००	७,७००.००	—
१०	फ्रेन्डस ग्लास वर्क्स,	,,	१३ ७२९.००	२७,७००.००	११,३६१.००
११	हेनले ग्लास वर्क्स,	,,	२२,८५०-००	१३,४००.००	२१,६५०.००
१२	आदर्श ग्लास वर्क्स,	,,	९,२००-००	—	१८,७७४-००
१३	ईफरान ग्लास वर्क्स,	,,	१३,१९५.००	९,७००.००	७,३८७.००
१४	हनुमान ग्लास वर्क्स,	,,	२३,९६७.००	१९,१५०.००	४,००८.००
१५	विश्वनाथ ग्लास वर्क्स,	,,	३,८५०-००	३,५००.००	—
१६	कृष्णा ग्लास वर्क्स,	,,	१०,००२.००	—	८,३७७.००
१७	रामलाल हर प्रसाद चौबे ग्लास वर्क्स,		१३,११०.००	९,४००.००	११,५१२.००
१८	गिरधारी लाल मनोहर लाल ग्लास वर्क्स नं० ५।		२,७४५.००	९ २००.००	८,५४६.००
१९	वारीश ग्लास वर्क्स,	,,	४,२९०-००	४,५००-००	३,४९६-००
२०	सत्य नारायण ग्लास वर्क्स,	,,	१३,६४०.००	—	९,६३१.००
२१	विजय ग्लास वर्क्स,	,,	६,८०३.००	४,९००.००	७,९५८.००
२२	प्रेम ग्लास वर्क्स,	,,	७,११०.००	४,१५०.००	९,७७४.००
२३	दुर्गा ग्लास वर्क्स,	,,	७,६१५.००	५,८००.००	३,००८.००
२४	विश्म्भर ग्लास वर्क्स	,,	६,९५५.००	५,८००.००	३,४७६.००
२५	मदन लाल राम स्वरूप ग्लास वर्क्स,		१६,८७०.००	८,१००.००	११,६१६.००
२६	कमला ग्लास वर्क्स,	,,	४,६२५.००	६,७५०.००	८,१६०.००
२७	मनोहर ग्लास वर्क्स	,,	३,२२०.००	१५,१००.००	१८,१८३.००
२८	रुस्तम ग्लास वर्क्स,	,,	—	८,२००.००	७,९७८.००
२९	जगदीश ग्लास वर्क्स,	,,	—	४,१५०.००	५,७६७.००
३०	शारदा ग्लास वर्क्स	,,	—	५,२००.००	४,५२०.००
३१	कार्मशियल ग्लास वर्क्स नं० १	,,	—	४,७००.००	४,४८८.००
३२	श्री शिव ग्लास वर्क्स	,,	—	७,५४०.००	९,००२.००

क्रम-संख्या	संस्था का नाम तथा पता	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
३३	गोयल ग्लास वर्क्स नं० २, ,,	—	१२,७५०.००	१०,२९६.००
३४	हिन्दू ग्लास वर्क्स ,,		३,१००.००	४,०१५.००
३५	सिकन्दर वर्क्स एन्ड नादिर ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	—	१,१००.००	४,२२०.००
३६	आजाद ग्लास वर्क्स ,,	—	१,५००.००	२,०८०.००
३७	रामा ग्लास वर्क्स ,,	—	५,२००.००	६,४३४.००
३८	चन्द्रभान अनिल कुमार ग्लास वर्क्स, ,,	--	५,०००.००	--
३९	श्री जगदम्बा ग्लास वर्क्स, ,,	--	२,६००.००	--
४०	इन्डियन आर्ट एन्ड ग्लास इन्डस्ट्रीज ,,	—	१८,६५०.००	१३,८५०.००
४१	गोपाल ग्लास वर्क्स नं० १, फिरोजाबाद	—	३,१००.००	६०५०.००
४२	एडवांस ग्लास वर्क्स ,,	—	८,७००.००	१२,४१२.००
४३	इसपेसी लाइट इन्डस्ट्रीज ,,	--	८,०००.००	—
४४	दी नारायण ग्लास वर्क्स ,,	—	६,५००.००	४,७३५.००
४५	अमर ग्लास वर्क्स ,,	—	१,५००.००	२,३८६.००
४६	ओरियन्ट ग्लास वर्क्स ,,	—	१६,४००–००	८,०७५.००
४७	दी भातर ग्लास वर्क्स ,,	—	७,२००.००	--
४८	मुन्शी लाल बेनी राम जैन ग्लास वर्क्स ,,	—	२,६००.००	—
४९	भूरे खान ग्लास बेंगल फैक्ट्री ,,	—	३,७००.००	—
५०	मिर्जा ग्लास वर्क्स ,,	—	२,९००.००	—
५१	नादर वर्क्स एण्ड ग्लास वर्क्स ,,	—	६,३००.००	६,३२०.००
५२	गौरी शंकर राम गोपाल ग्लास वर्क्स ,,	—	४,१००.००	५,४३७.००
५३	कोदरी ग्लास वर्क्स ,,	—	७,१८०.००	—
५४	गंगा ग्लास वर्क्स ,,	—	१७,१५०.००	—
५५	होडेरिया ब्लाक ग्लास वर्क्स ,,	—	८,८००.००	५,२८०.००
५६	एवरेस्ट ग्लास वर्क्स ,,	--	—	५,६६४.००
५७	चट्टान एण्ड स्टोन्स ,,	—	—	१,५००.००
५८	श्री महाबीर ग्लास वर्क्स, ,,	—	—	१०,६०७.००
५९	अन्नसार ग्लास वर्क्स ,,	—	--	२,०००.००
६०	श्री सावित्री ग्लास वर्क्स ,,	--	--	३,३००.००
६१	पारसनाथ ग्लास वर्क्स ,,	--	--	५,७७३.००
६२	राम (हरिहर) ग्लास वर्क्स ,,	—	—	१,८२४.००
६३	वैश्य ग्लास वर्क्स ,,	—	—	८,०१७.००
६४	कौपिरिहान केमिकल ग्लास वर्क्स ,,	--	--	५,३६६.००
६५	शंकर नावेल्टीज ग्लास इन्डस्ट्रीज ,,	--	--	१,२०८.००
६६	गुरूजी ग्लास वर्क्स, ,,	--	--	२,०००.००
६७	श्री गंगा ग्लास वर्क्स, ,,	--	--	२०,३५०.००
६८	हाजी सादुल्ला शहबुद्दीन ग्लास वर्क्स ,,	--	—	१,८९२.००
६९	हिन्द वैकुम फ्लैक्स इन्डस्ट्रीज ,,	—	—	२,५६०.००

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०३ पर)

संख्या ४७११/छब्बीस–९४३-१९६५

प्रेषक,

राजकुमार तलवार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

हरिजन सहायक विभाग, दिनांक, लखनऊ, ८ फरवरी, १९६६ ।

विषय :—जिला हरिजन सहायक समिति का पुनर्गठन ।

महोदय,

दिनांक १९ अप्रैल, १९६२ की राजाज्ञा संख्या ३१८/छब्बीस–८७९-१९६१ का आंशिक संशोधन करके मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि जिला हरिजन सहायक समिति का तुरन्त निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाय :—

१—अध्यक्ष जिला परिषद	अध्यक्ष
२—राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य	सदस्य
३—जिले में रहने वाले अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के विधान सभा, विधान परिषद् तथा संसद सदस्य	,,
४—नगर महापालिका/नगर पालिका द्वारा मनोनीत मुख्य अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा स्वास्थ्य अधिकारी ..	,,
५—जिलाधीश द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति का एक सदस्य ..	,,
६—जिलाधीश द्वारा मनोनीत विमुक्त जाति का एक सदस्य ..	,,
७—जिलाधीश द्वारा मनोनीत पिछड़ी जाति मोमिन अन्सार जाति का एक सदस्य	,,
९—जिलाधीश द्वारा मनोनीत मेहतर समाज का एक सदस्य ..	,,
९—पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा मनोनीत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी	,,
१०—जिला विद्यालय निरीक्षक	,,
११—अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) जिला नियोजन अधिकारी ..	सदस्य–सचिव
१२—जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी (यदि किसी जिले में एक से अधिक हों तो सब से ज्येष्ठ)	संयुक्त सचिव

टिप्पणी—(१) सरकारी अधिकारी चुनाव में भाग नहीं लेंगे ।

(२) यदि क्रम संख्या ३ में इन जातियों के सदस्य सम्मिलित हों तो क्रम संख्या ६, ७ व ८ भरने की आवश्यकता नहीं है ।

(३) यदि जिले में विमुक्त जन जातियां नहीं हैं तो जिलाधीश विमुक्त जन जातिगों का सदस्य मनोनीत नहीं करेंगे ।

आपका विश्वासपात्र,

ह० राजकुमार तलवार, सचिव

संख्या ४७११(१)/छब्बीस-९४३-१९६५

१—प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:—

(१) समस्त जिला परिषद् के अध्यक्ष,
(२) समस्त जिलाधीश,
(३) समस्त अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) जिला नियोजन अधिकारी,
(४) समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी,
(५) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
(६) समस्त जिला उद्योग अधिकारी ।

२—प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :—

(१) सचिवालय के समस्त विभाग,
(२) विकास आयुक्त,
(३) शिक्षा निदेशक,
(४) समस्त मंडलाधीश,
(५) उद्योग निदेशक,
(६) कृषि निदेशक,
(७) पशुपालन निदेशक,
(८) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,
(८) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक,
(१०) मुख्य अरण्यपाल ।

संख्या ४७११ (२)/छब्बीस-९४३/१९६५

प्रतिलिपि महालेखापाल,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) राजेन्द्र वर्मा,
अनुसचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संख्या ४७११/छब्बीस–९४३–१९६५

प्रेषक,

श्री राज कुमार तलवार,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

निदेशक,
हरिजन तथा समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

समस्त जिलाधीश, उत्तर प्रदेश

हरिजन सहायक विभाग

दिनांक, लखनऊ, ३१ जनवरी, १९६६ ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिजन कल्याण मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार करके राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से अग्रिम आदेशों तक राज्य में क्षेत्र समितियों हरिजन कल्याण की केवल उन्हीं योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित रहेंगीं जिनका सीधा संबंध कृषि उत्पादन से है जैसे अनुसूचित जातियों, विमुक्त जन जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये कृषि उत्थान तथा लघु सिंचाई योजनायें । बाकी समस्त योजनायें अब से संबंधित जिला हरिजन सहायक समिति के परामर्श से जिला परिषदों द्वारा कार्यान्वित की जायेंगीं तथा इन योजनाओं से संबंधित धन जिला परिषदों के निजी लेखा खाते में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे ।

२––मुझे यह भी कहना है कि केवल निम्नलिखित राजाज्ञाओं में स्वीकृत की गई धनराशि ही क्षेत्र समितियों के अधीन रखी जायं :––

		रु० लाखों में
(१)	संख्या १७७/छब्बीस–७७-१९६५, दिनांक ११ मई, १९६५	.. ४.५०
(२)	संख्या १८६/छब्बीस–७५७–१९६५, दिनांक १५ मई, १९६५	.. ३.००
(३)	संख्या १७४/छब्बीस–७२-१९६५, दिनांक १ मई, १९६५	.. ३.००

आपका विश्वासपात्र,
(ह०) राजकुमार तलवार,
सचिव ।

सामुदायिक विकास विभाग

संख्या ४७११(१)/छब्बीस–९४३-१९६५

प्रतिलिपि सूचनार्थ तथा तुरन्त उचित कार्यवाही के लिये उत्तर प्रदेश के समस्त जिला नियोजन अधिकारी /अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) को प्रेषित ।

आज्ञा से,
(ह०) मंजूर आलम कुरैशी,

हरिजन सहायक विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही के लिये :––

१––उत्तर प्रदेश की समस्त जिला परिषदों के अध्यक्ष,
२––उत्तर प्रदेश को समस्त क्षेत्र समितियों के अध्यक्ष,
३––समस्त जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ।

आज्ञा से,
(ह०) राजकुमार तलवार,
सचिव ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०५ पर)

तालिका

मेसर्स ए० के० नियोगी एन्ड कम्पनी ने १९६२ तथा सन् १९६३ में प्रत्येक माह में जो बन्दूकें बनाई उनका विवरण :

माह	१९६२	१९६३	१९६४
१—जनवरी	..	१७	३	५
२—फरवरी	..	१०	४	—
३—मार्च	..	..	२	८
४—अप्रैल	..	..	१	
५—मई	..	१	३	
६—जून	..	४	५	
७—जुलाई	..	७	१०	
८—अगस्त	..	८	१६	
९—सितम्बर	..	..	६	
१०—अक्तूबर	..	..	..	
११—नवम्बर	..	..	..	
१२—दिसम्बर	..	..	..	

मेसर्स ए० के० नियोगी एण्ड कम्पनी ने सन् १९५८ से १९६२ तक प्रतिवर्ष जो बन्दूकें बनाई उनका विवरण :

१९५८	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२
..	..	..	४	४६

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०६ पर)

बाराबंकी जिले में अप्रैल, १९६५ से जनवरी, १९६६ तक हुए डकैती, राहजनी, कत्ल तथा चोरी के मामलों की थानों पर प्राप्त रिपोर्टों की सूचना

थाने	डकैती	राहजनी	कत्ल	चोरी नकबजनी
१—कोतवाली	२	१	७	२१७
२—सफदरगंज	७	५	६	७९
३—रामसनेहीघाट	४	..	..	२३
४—मेलसर	२	१	५	७५
५—मबई	४	..	१	३८
६—लोनीकटरा	४	३	५	९९
७—कोठी	..	..	४	२८
८—कुरसी	७	४	९	६९
९—मुहम्मदपुर	९	२	७	६८
१०—रामनगर	६	२	९	८३
११—टिकैतनगर..	३	१	१	६१
१२—फतेहपुर	५	२	७	१२०
१३—सुबहा	..	१	२	३४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३०७ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची ।

१—खंड २ में मूल अधिनियम की धारा १० की प्रस्तावित उपधारा (५) के अन्तिम शब्द "जाय" के स्थान पर शब्द "जांय" रख दिया गया है ।

२—खंड ३ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ११ (७) में प्रतिस्थापित शब्दों में शब्द "कुलपति" व शब्द "कोई" के बीच का कामा निकाल दिया गया है ।

३—खंड ४ में मूल अधिनियम की धारा १३ से संबंधित भाग (३) की प्रथम पंक्ति में कोष्ठक तथा अंक "(४) (५)" के स्थान पर कोष्ठक, अंक तथा कामा "(४), (५)", रख दिये गये हैं ।

४—खंड ६ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "यथास्थित" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति" रख दिया गया है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३५ एल० ए०—१९६६—८६२।